

## अध्याय-3

राजस्व विभागों से संबंधित अनुपालन  
लेखापरीक्षा टिप्पणियाँ



## अध्याय-3

### राजस्व विभागों से संबंधित अनुपालन लेखापरीक्षा टिप्पणियाँ

#### औद्योगिक विकास विभाग (खनन)

#### 3.1 जिला देहरादून में खनन गतिविधियों पर विषय विशिष्ट अनुपालन लेखापरीक्षा

##### 3.1.1 परिचय

बालू खनन को खान और खनिज (विनियमन और विकास) अधिनियम, 1957 (एम एम डी आर अधिनियम) और संबंधित राज्य सरकारों द्वारा बनाए गए खनिज परिहार नियमावली के अनुसार विनियमित किया जाता है। इसके अतिरिक्त, अधिनियम की धारा 23-सी, राज्य सरकार को खनिजों के अवैध खनन, परिवहन और भण्डारण को रोकने के लिए नियम बनाने की शक्ति प्रदान करती है।

तदनुसार, उत्तराखण्ड सरकार ने उत्तराखण्ड उप-खनिज परिहार नियमावली, 2001 और उत्तराखण्ड उप-खनिज अवैध खनन, परिवहन और भण्डारण निवारण नियमावली, 2005, यथासंशोधित तैयार किए हैं।

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने सतत बालू खनन प्रबंधन दिशा निर्देश 2016 जारी किए हैं, जो अन्य बातों के साथ-साथ खनन सामग्री के अनुश्रवण के संबंध में बालू/नदी के किनारे खनन के अनुश्रवण के लिए प्रक्रिया पर जोर देते हैं जो दीर्घकालिक पर्यावरण प्रबंधन योजना के सफल कार्यान्वयन के लिए महत्वपूर्ण है। अन्य बातों के साथ-साथ, अनुश्रवण तंत्र का सार इस प्रकार है: (i) बालू की आवाजाही को अभिवहन पास<sup>1</sup> के माध्यम से नियंत्रित किया जाता है; (ii) खनन की गई सामग्री और परिवहन की मात्रा के प्रभावी अनुश्रवण के लिए सूचना प्रौद्योगिकी और सूचना प्रौद्योगिकी सक्षम सेवाओं के उपयोग के साथ-साथ प्रक्रिया पुनर्रचना को अधिसूचना का एक भाग बनाया गया है; (iii) सूचना प्रौद्योगिकी उपकरणों बार कोडिंग, एस एम एस आदि का उपयोग करके स्रोत से गंतव्य तक खनन की गई सामग्री की आवाजाही के लिए कड़े अनुश्रवण और (iv) स्रोत से गंतव्य तक वाहन के मार्ग को जाँच बिंदुओं, रेडियो-फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन टैग्स और ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम (जी पी एस) प्रणाली के उपयोग के माध्यम से पता लगाया जाएगा।

##### 3.1.2 लेखापरीक्षा उद्देश्य, कार्यक्षेत्र और कार्यविधि

जिला देहरादून में अवैध खनन गतिविधियों का आकलन करने के लिए 2017-18 से 2020-21 तक के खनन वर्षों<sup>2</sup> का आच्छादन करते हुए अनुपालन लेखापरीक्षा जनवरी से दिसंबर 2021 के दौरान संपादित की गई थी।

<sup>1</sup> अभिवहन पास की सुरक्षा विशेषता इंडियन बैंक एसोसिएशन द्वारा अनुमोदित मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकग्निशन पेपर पर मुद्रित होनी चाहिए; यूनिक बार कोड; यूनिक क्यू आर कोड; फ्यूजीटीव इंक बैकग्राउंड; इनविसिबिल इंक मार्क; वॉण्ड पैन्टोग्राफ और वॉटरमार्क जैसे होनी चाहिए।

<sup>2</sup> एक खनन वर्ष अक्टूबर से जून तक होता है।

लेखापरीक्षा द्वारा अवैध खनन की उपस्थिति का आकलन करने के लिए रिमोट सेंसिंग और जिओग्राफिक इन्फॉर्मेशन सिस्टम (जी आई एस) टूल्स का उपयोग किया गया। रिमोट सेंसिंग टेक्नोलॉजी के परिणामों की पुष्टि संयुक्त भौतिक सत्यापन, विभाग के ट्रांसिट पास (प्रपत्र-एम एम-11 और प्रपत्र-जे) के डेटाबेस का विश्लेषण और सरकारी एजेंसियों द्वारा खनन सामग्री की खपत के माध्यम से की गयी।

लेखापरीक्षा ने जिला देहरादून में 24 खनन स्थलों में से तीन नदी स्तर बालू खनन स्थलों<sup>3</sup> नामतः सोंग-3 (सोंग नदी); ढकरानी में 21/3 और कुल्हाल (यमुना नदी) में 23/3 का चयन किया, रिमोट सेंसिंग-आधारित लेखापरीक्षा प्रारम्भ करने से पूर्व ये सभी विगत तीन से 48 माह<sup>4</sup> तक आधिकारिक तौर पर प्रचालन में नहीं थे।

लेखापरीक्षा ने एक तकनीकी सलाहकार<sup>5</sup> को नियुक्त किया, जिसने उपर्युक्त तीन स्थलों पर अवैध खनन और खनन योजनाओं/पर्यावरण अनुकूल उपायों के साथ गैर-अनुपालन का मूल्यांकन किया। यह रिपोर्ट तकनीकी परामर्शदाता द्वारा प्रस्तुत की गई रिपोर्ट पर आधारित है।

## लेखापरीक्षा निष्कर्ष

### 3.1.3 रिमोट सेंसिंग/जी आई एस परीक्षण के परिणाम

चयनित स्थलों में रिमोट सेंसिंग/जी आई एस परीक्षण के परिणाम केस स्टडीज के रूप में नीचे दिए गए हैं।

#### 3.1.3.1 केस स्टडी-1: ढकरानी साइट

ढकरानी खनन स्थल यमुना नदी पर स्थित है और इस साइट को जनवरी 2017 से खनन के लिए पट्टे पर नहीं दिया गया है। तदनुसार, जनवरी 2017 से कोई खनन गतिविधि नहीं होनी चाहिए थी। उक्त खनन स्थल पर कोई अवैध खनन गतिविधि हुई है या नहीं, इसका आकलन करने के लिए लेखापरीक्षा द्वारा तकनीकी सलाहकार की मदद से 2020 में (नीचे चित्र-1) अलग-अलग समय पर सेंटिनल इमेज<sup>6</sup> का विश्लेषण किया गया। इन इमेजेज़ की समीक्षा करने पर, लेखापरीक्षा ने पाया कि फरवरी 2020 तक घेरे हुए क्षेत्र में कोई खनन गतिविधि नहीं थी। मई 2020 की इमेज में क्रमिक रूप से काला पैच दिखाई देने लगा, यह फरवरी से मई 2020 तक खनन गतिविधि का सूचक है। यह उल्लेखनीय है कि इस अवधि में कोविड-19 महामारी के कारण लगभग पूर्ण लॉकडाउन था।

मानसून की अवधि (जुलाई से सितंबर) के दौरान नदी के किनारे की सामग्री फिर से भर जाती है। इसलिए, लेखापरीक्षा द्वारा उक्त साइट पर अक्टूबर 2020 के बाद अवैध खनन के विस्तार-क्षेत्र की


<sup>3</sup> 21/3 और 23/3 लॉट संख्याएं हैं। ये पट्टों की पहचान के लिए दिए जाते हैं।

<sup>4</sup> सोंग-3 (सोंग नदी); ढकरानी में 21/3 और कुल्हाल में 23/3 क्रमशः जून 2019, जनवरी 2017 और अक्टूबर 2020 से गैर-परिचालन में थे।

<sup>5</sup> पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज, चंडीगढ़।


<sup>6</sup> खनन की अनुपस्थिति में, नदी के किनारे का क्षेत्र सफेद या आकाशीय नीला रंग दिखाई देगा, जबकि खनन चिन्ह को काले या गहरे नीले पैच के रूप में देखा जाएगा।

जाँच की गयी। इमेजेज़ (चित्र-1) में स्पष्ट रूप से अक्टूबर से नवंबर 2020 की अवधि के दौरान अवैध खनन गतिविधि में वृद्धि दिखाई दी।



चित्र-1: खनन चिन्ह दर्शाते हुए ढकरानी साइट 2020 की सेंटिनल इमेजेज़

यह भी देखा गया कि, अवैध खनन की घटना 2020 तक ही सीमित नहीं थी। विगत वर्षों के सेंटिनल इमेजेज़ (नीचे चित्र-2) का विश्लेषण करने पर, लेखापरीक्षा ने पाया कि खनन चिन्ह 2017, 2018 और 2019 में भी मौजूद थे।



चित्र-2: ढकरानी साइट पर विभिन्न वर्षों के खनन चिन्ह (गहरे नीले पैच)

अग्रेत्तर विश्लेषण करने के लिए, लेखापरीक्षा ने खनन अधिकारियों के साथ उक्त स्थल का संयुक्त भौतिक सत्यापन किया। लेखापरीक्षा ने बड़े गड्ढों की उपस्थिति, बालू के ढेर और भारी वाहन ट्रैक

जैसे खनन चिन्हों को पाया, जैसा कि नीचे चित्र-3 (क), 3 (ख) में देखा जा सकता है।




चित्र-3 (क) ढकरानी (15 जनवरी 2021): साइट पर खनन की गई रेत का ढेर और बड़े गड्ढे देखे गए



चित्र-3 (ख) ढकरानी (15 जनवरी 2021): भारी वाहनों के टायर के चिन्ह

सॅटिनल इमेजेज़ के अतिरिक्त, गूगल अर्थ इमेजेज़ का उपयोग करके उसी क्षेत्र का विश्लेषण किया गया तथा लेखापरीक्षा ने व्यापक खनन चिन्ह, जैसे कि चित्र-4 (क) और 4 (ख) में दर्शाए गए हैं, देखे।




चित्र-4 (क): ढकरानी में देखे गए खनन चिन्ह



चित्र-4 (ख): ढकरानी में नदी के किनारे खनन का पॉप-अप दृश्य

### 3.1.3.2 केस स्टडी-2: सॉंग-3 साइट

सॉंग-3 साइट वन क्षेत्र में स्थित है। इस साइट के लिए वन/पर्यावरण स्वीकृति मई 2019 तक उपलब्ध थी। उसके बाद की पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त करने के लिए परियोजना प्रस्तावक ने आवेदन और स्पष्टीकरण प्रस्तुत किए थे। उत्तराखण्ड वन विकास निगम (यू एफ डी सी) द्वारा भी पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त करने का प्रयास किया जा रहा था, तकनीकी सलाहकार ने सॅटिनल रिमोट सेन्सिंग इमेज के आधार पर निष्कर्ष निकाला कि वर्ष 2018 से 2020 तक के वर्षों में खनन गतिविधियों में वृद्धि हुई है, और अक्टूबर 2019 तक पूरे नदी के किनारे को आच्छादित कर लिया गया है (पार्श्व चित्र-5 में गहरे नीले पैच)। रिमोट सेन्सिंग इमेज के विश्लेषण से प्राप्त निष्कर्षों की स्थलीय निरीक्षण द्वारा पुष्टि की गई थी।



चित्र-5: सॉंग -3 में लीज पर दी गई सीमाओं से बाहर अवैध खनन के चिन्ह

तदनुसार, संयुक्त भौतिक सत्यापन के दौरान, लेखापरीक्षा ने गड्ढे निर्माण, जल भराव, खनन के ढेर आदि जैसे खनन चिन्ह देखे [चित्र-6 (क), 6 (ख) नीचे]।



चित्र-6 (क) सौंग-3: अवैध रूप से खनन की गई बालू का ढेर



चित्र-6 (ख) सौंग-3: खनन गड्ढे, जल जमाव

### 3.1.3.3 केस स्टडी-3: कुल्हाल साइट

खनन पट्टा और पर्यावरणीय स्वीकृति के अनुसार खनन केवल पट्टे पर दिए गए क्षेत्र के भीतर ही किया जा सकता है जिसका सीमांकन जिला कलेक्टर और खनन विभाग द्वारा संयुक्त रूप से पर्यावरणीय स्वीकृति और खनन पट्टे में जियो-कॉऑर्डिनेट का उपयोग करके किया जाता है। तकनीकी सलाहकार ने, आधिकारिक तौर पर पट्टे पर दिए गए क्षेत्र के बाहर खनन गतिविधियों को रिपोर्ट किया। नीचे चित्र-7 सैटेलाइट के साथ-साथ गूगल अर्थ इमेजिज़ का उपयोग करके दृश्य विवरण दर्शाता है।



चित्र -7: कुल्हाल: गूगल अर्थ इमेज (2019) में पॉलीगन के बाहर खनन चिन्ह प्रदर्शित है।

बहिर्गमन गोष्ठी के दौरान, उपर्युक्त केस स्टडी (प्रस्तर 3.1.3.1 से 3.1.3.3) के प्रतिउत्तर में सचिव (खनन), ने आश्वासन दिया (मई 2022) कि अवैध खनन की रोकथाम के लिए आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।


### 3.1.4 अवैध खनन का विस्तार और परिणामी राजस्व हानि

तकनीकी सलाहकार ने अवैध खनन के क्षेत्र और परंपरागत धारणा कि अवैध खनन की गहराई 1.5 मीटर थी (नदी तल खनन के लिए आधिकारिक सीमा) के आधार पर 57.11 लाख मीट्रिक टन (एम टी), जैसा कि तालिका-3.1.1 में वर्णित है, की सीमा तक अवैध खनन का अनुमान लगाया। चित्र-8(क), 8(ख) और 8(ग) पर्यावरणीय स्वीकृति (पीले पॉलीगन) और सतह क्षेत्र जिसमें अवैध खनन

होना संभावित था (लाल पॉलीगन) के कॉऑर्डिनेट को दर्शाता है। लेखापरीक्षा द्वारा अवैध खनन की अनुमानित मात्रा के अनुरूप, रॉयल्टी के रूप में ₹ 39.98 करोड़<sup>7</sup> और जी एस टी के रूप में ₹ 5.71 करोड़<sup>8</sup> के राजस्व हानि का अनुमान लगाया गया।

तालिका-3.1.1: स्थलों पर खनिजों की मात्रा का विवरण

क्रम संख्या	गणना के स्रोत हेतु क्षेत्र/स्थान का नाम	खनन योजना में अनुमोदित क्षेत्र (हेक्टेयर में)	अवैध खनन क्षेत्र (वर्ग मीटर में)	अनुमत गहराई (मीटर में)	मिट्टी का घनत्व (एम टी/ घन मीटर)	वजन <sup>9</sup> (एम टी में)	वार्षिक खनन योग्य भण्डार <sup>10</sup> (एम टी में)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	ढकरानी, विकासनगर में यमुना 21/3	64.38	16,40,000	1.5	2	49,20,000	39,36,000
2	सोंग-3	270	6,90,000	1.5	2	20,70,000	16,56,000
3	कुल्हाल, विकासनगर में यमुना 23/3	14.97	56,700	1.5	2	1,70,100	1,19,070
<b>कुल</b>							<b>57,11,070</b>



चित्र-8 (क) ढकरानी



चित्र-8 (ख): कुल्हाल



चित्र-8(ग): सोंग-3

सचिव (खनन), ने तकनीकी सलाहकार द्वारा उक्त तीन खनन स्थलों जोकि सर्वेक्षण के समय पट्टे की अवधि समाप्त होने के कारण परिचालन में नहीं थे, में अवैध खनन की संभावना और परिणामस्वरूप राजस्व हानि के बारे में अवगत होने के बाद, राज्य में अवैध खनन को रोकने के लिए आवश्यक कार्यवाही करने का आश्वासन (मई 2022) दिया।

<sup>7</sup> ₹ 70 (रॉयल्टी दर) x 57,11,000 एम टी = ₹ 39,97,70,000 (अर्थात ₹ 39.98 करोड़)।

<sup>8</sup> प्रपत्र जे के अनुसार ₹10 प्रति मीट्रिक टन।

<sup>9</sup> वजन = अवैध खनन क्षेत्र x गहराई x घनत्व।

<sup>10</sup> वार्षिक खनन योग्यभण्डार की गणना ब्लॉक किए गए भण्डारों को घटाने के बाद की जाती है, अर्थात् तालिका-3.1.1 के क्रम संख्या एक और दो के कॉलम संख्या सात का 80 प्रतिशत और क्रम संख्या तीन के कॉलम संख्या सात का 70 प्रतिशत। इससे पता चलता है कि उप-खनिजों की मात्रा का आकलन यमुना में 21/3 ढकरानी और सोंग-3 में 20 प्रतिशत और यमुना 23/3 कुल्हाल में 30 प्रतिशत (तीनों स्थलों की खनन योजना का संदर्भ लेते हुए) के रूप में लिए गए ब्लाक क्षेत्र के साथ वाल्यूमेट्रिक विधि का उपयोग करके किया गया था।



### 3.1.5 अवैध खनन के पुष्ट साक्ष्य

जैसा कि ऊपर दिए गए तीन प्रकरणों के अध्ययनों में उल्लेख किया गया है, संबंधित स्थलों के संयुक्त भौतिक सत्यापन से नदी के किनारे अवैध खनन के संबंध में तकनीकी सलाहकार के निष्कर्षों की पुष्टि हुई है। लेखापरीक्षा में अन्य पुष्टिकारक साक्ष्यों के माध्यम से अवैध खनन के लिए पुष्ट साक्ष्य भी मिले। लेखापरीक्षा निष्कर्ष अनुवर्ती/निम्नलिखित प्रस्तरों में निहित हैं।

### 3.1.6 अभिवहन पास में विसंगतिया

अभिवहन पास अवैध खनन को रोकने और पता लगाने में महत्वपूर्ण नियंत्रक है। तदनुसार, इसमें सभी प्रविष्टियां (लीज संख्या, प्रपत्र संख्या, वाहन संख्या, उत्खनित खनिज की मात्रा, खनिज का प्रकार, क्रेता का विवरण) पूर्ण और प्रमाणिक होनी चाहिए। समीक्षा करने पर, लेखापरीक्षा ने निम्न पाया:

#### 3.1.6.1 यू के श्रृंखला के पंजीकरण संख्या वाले वाहन के साथ अभिवहन पासों का विश्लेषण

उत्तराखण्ड सरकार ने 2007 में वाणिज्यिक माल वाहनों (सी), सरकारी वाहनों (जी), यात्री कैरिज वाहनों (पी) और टैक्सियों (टी) को पंजीकृत करने के लिए निर्दिष्ट श्रृंखला लागू की थी। यू के श्रृंखला के पंजीकरण संख्या वाले वाहनों के अभिवहन पास की समीक्षा करने पर यह पाया गया कि जी, पी और टी श्रृंखला वाले वाहनों का उपयोग उप-खनिजों के परिवहन के लिए किया गया था, जो अवैध था क्योंकि निर्दिष्ट श्रृंखला वाले वाहनों का उपयोग वाणिज्यिक वस्तुओं /सामग्री को ले जाने के लिए नहीं किया जाना था। लेखापरीक्षा में पाया गया कि गैर-वाणिज्यिक वाहनों की श्रेणी के अन्तर्गत नीचे दी गई तालिका-3.1.2 में यथा विस्तृत कुल 6,303 वाहनों से संबन्धित 0.49 लाख अभिवहन प्रपत्रों के अन्तर्गत 3.74 लाख मीट्रिक टन मात्रा प्रभावित थी। गैर-वाणिज्यिक वाहनों की तैनाती कानून प्रवर्तन संचालन की प्रभावकारिता पर प्रश्न उठाती है।

तालिका-3.1.2: यू के श्रृंखला के पंजीकरण संख्या वाले वाहन के अभिवहन पासों का विश्लेषण

क्रम संख्या	यू के श्रृंखला वाहनों का विवरण	गैर-वाणिज्यिक वाहनों की संख्या	प्रपत्रों की संख्या	अभिवहन पास में प्रयुक्त उप-खनिज का वजन (एम टी में)
1	सरकारी श्रेणी के वाहनों की संख्या	2,969	14,293	1,24,474
2	यात्री गाड़ी श्रेणी के वाहनों की संख्या	835	14,179	97,665
3	टैक्सी श्रेणी के वाहनों की संख्या	2,499	20,746	1,52,188
	कुल	6,303	49,218	3,74,327

#### 3.1.6.2 बिना पंजीकरण संख्या और अपात्र संख्या वाले वाहन

वर्ष 2018-21 के दौरान, कुल 5.54 लाख मीट्रिक टन उप-खनिजों का परिवहन 60,882 वाहनों से 3.59 लाख अभिवहन पासों के सापेक्ष जिनके पास कोई वाहन संख्या नहीं थी या बड़ी संख्या में वाहन

संख्या उत्तराखण्ड के बाहर से या पंजीकरण संख्या पुरानी श्रृंखला की थी, से किया गया था जैसा कि तालिका-3.1.3 में वर्णित है।

तालिका-3.1.3: बिना पंजीकरण संख्या और अपात्र संख्या वाले वाहनों का विवरण

क्रम संख्या	वर्णन	वाहनों की संख्या	प्रपत्रों की संख्या	वजन (एम टी में)
1	बिना पंजीकरण संख्या वाले वाहनों की संख्या	57,571	57,571	1,23,182
2	सात अंक/अक्षरों से कम पंजीकरण संख्या दर्शाने वाले वाहन	3,276	3,01,207	4,30,424
3	10 अंकों/अक्षरों से अधिक पंजीकरण संख्या दर्शाने वाले वाहन	35	35	437
कुल		60,882	3,58,813	5,54,043

### 3.1.6.3 अपात्र/अनुपयुक्त वाहन

लेखापरीक्षा ने सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय द्वारा तैयार किए गए वाहन डेटाबेस<sup>11</sup> के साथ अभिवहन पासों में उल्लिखित वाहन पंजीकरण संख्या की जाँच की। लेखापरीक्षा द्वारा अभिवहन पासों में उल्लिखित 4.37 लाख वाहनों में से 1.18 लाख का मिलान किया गया। मिलान किए गए इन 1.18 लाख वाहनों का अग्रेत्तर विश्लेषण किए जाने पर, लेखापरीक्षा ने पाया कि 0.43 लाख अनुचित/अनुपयुक्त वाहन (एम्बुलेंस, कैश वैन, अग्निशमन, पेट्रोलियम टैंकर, दो/तीन पहिया वाहन, ई-रिक्शा), जोकि 5.02 लाख अभिवहन प्रपत्रों और 56.53 लाख मीट्रिक टन की मात्रा को प्रभावित करते हैं, का उपयोग खनन किए गए उप-खनिजों के परिवहन के लिए किया गया था। जैसा कि नीचे दी गई तालिका-3.1.4 में वर्णित है।

तालिका-3.1.4: अपात्र/अनुपयुक्त वाहनों का विवरण

क्रम संख्या	विवरण	वाहनों की संख्या	प्रपत्रों की संख्या	वजन (एम टी में)
1	उपयोग किए गए कृषि ट्रैक्टर की संख्या	7,796	3,46,926	23,01,861
2	उपयोग किए गए मोटर साइकिल/स्कूटर/मोपेड जैसे दोपहिया वाहनों की संख्या	24,745	66,503	9,20,477
3	उपयोग किए गए मोटर कार/मोटर कैब/मैक्सी कैब/बस/शैक्षिक बस/कैश वैन/ओमनी बस जैसे चार पहिया यात्री वाहनों की संख्या	7,658	26,504	2,49,053
4	खुदाई करने वाले (वाणिज्यिक)/ खुदाई करने वाले (एन टी) वाहनों की संख्या	1,374	5,354	98,626
5	उपयोग किया गए एम्बुलेंस/ अग्निशमन वाहन/शव वाहन/रोड रोलर/मोबाइल क्लिनिक/एक्स-रे वैन/मोबाइल कैंटीन की संख्या	40	160	2,470
6	उपयोग किए गए तिपहिया/ ई-रिक्शा की संख्या	261	1,174	16,531
7	उपयोग किए गए टैंकरों (पेट्रोलियम / अन्य) की संख्या	782	7,248	1,07,526
8	उपयोग किए गए अन्य अपात्र वाहनों की संख्या	201	48,451	19,56,149
कुल		42,857	5,02,320	56,52,693

उपर्युक्त प्रस्तर (प्रस्तर 3.1.6.1 से 3.1.6.3) के प्रतिउत्तर में, सचिव (खनन) ने अवगत कराया (मई 2022) कि चूंकि ई-रवन्ना वेब एप्लिकेशन, परिवहन विभाग के वाहन परिवहन प्रणाली के साथ एकीकृत नहीं है, इसलिए जिन वाहनों की संख्या ई-रवन्ना अभिवहन पास में दर्ज किए गए हैं, उनका

<sup>11</sup> जैसा कि दिसंबर 2019 में लेखापरीक्षा को उपलब्ध कराया गया था।

पता नहीं लगाया जा सकता है। उन्होंने आश्वासन दिया कि भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई, परिवहन विभाग के साथ सहभागिता स्थापित करेगी ताकि संदिग्ध वाहन पंजीकरण संख्या और अपात्र/अनुपयुक्त वाहनों की संख्या वाले अभिवहन पासों का आसानी से पता लगाया जा सके।

#### **3.1.6.4 नकद लेन-देन**

आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 206 सी के अनुसार, खनन और उत्खनन में, स्रोत पर एकत्रित कर (टी सी एस) दो प्रतिशत की दर से लागू होता है।

अभिवहन पास की समीक्षा पर, लेखापरीक्षा ने पाया कि सात प्रतिशत लेन-देन नकद में किए गए थे, जो 2018-21 के दौरान बिक्री किए गए उप-खनिज की मात्रा का चार प्रतिशत था, जैसा कि नीचे तालिका-3.1.5 में वर्णित है। नकद आधारित लेन-देन में क्रेता की पहचान का अभाव, क्रेता से टी सी एस के संग्रह में बाधा उत्पन्न करता है और कोई साक्ष्य नहीं छोड़ता है।

**तालिका-3.1.5: नकद लेन-देन का विवरण।**

क्रम संख्या	क्रेता के प्रकार	लेन-देन की संख्या	खरीदी गई मात्रा (टन में)
1	क्रेता का विवरण उपलब्ध है	93,37,642	12,27,68,978.30
2	नकद में क्रय और बिना क्रेता विवरण के	7,20,833	56,98,454.84
<b>महायोग</b>		<b>1,00,58,475</b>	<b>12,84,67,433.14</b>
3	नकद में खरीदी गई मात्रा और लेन-देन की प्रतिशतता	07	04

बहिर्गमन गोष्ठी के दौरान, सचिव (खनन) ने सहमति व्यक्त की (मई 2022) कि क्रेता के विवरण जैसे पंजीकरण संख्या, जी एस टी एन आदि के बिना बड़ी संख्या में नकद लेन-देन एक चिंता का विषय था और आश्वासन दिया कि जाँच के बाद इस मुद्दे पर आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।

#### **3.1.6.5 अमान्य लेन-देन/अभिवहन पास**

2018-21 के दौरान, 1,00,65,109 लेन-देन/अभिवहन पासों में से 33,86,869 में क्रेता की पंजीकरण संख्या नहीं थी, अर्थात् उनके पास भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई (जी एम यू) के साथ पंजीकरण नहीं था। 33,86,869 में से मात्र 91,817 लेन-देन/अभिवहन पासों में खरीद पते में जी एस टी संख्या थी। इसका तात्पर्य यह है कि लगभग सभी उप-खनिज ऐसे व्यक्ति/संस्थाओं को बेचे जा रहे थे, जिनका जी एम यू/जी एस टी के साथ कोई पंजीकरण नहीं था, जो उप-खनिजों के व्यवसाय में नहीं थे।

बहिर्गमन गोष्ठी के दौरान, सचिव (खनन), ने आश्वासन दिया (मई 2022) कि आवश्यक जाँच/कार्यवाही की जाएगी।

#### **3.1.7 सरकारी एजेंसियों द्वारा अवैध रूप से खनन किए गए खनिज की खपत**

उत्तराखण्ड सरकार खनन सामग्री की एक प्रमुख उपभोक्ता है। यह सिविल ठेकेदार को अनुसूचित दरों के आधार पर भुगतान करती है, जोकि इस धारणा पर आधारित है कि ठेकेदार रॉयल्टी और करों का

भुगतान करने के बाद सामग्री का उपयोग करता है। तदनुसार, अधिकांश सरकारी एजेंसियां ठेकेदारों को भुगतान करते समय खनन सामग्री की वैधता को संतुष्ट करने के लिए अभिवहन पास की उपलब्धता की जाँच करती हैं। आई एफ एम एस के आंकड़ों की समीक्षा और सरकार की कुछ निर्माण एजेंसियों से प्राप्त सूचना के अनुसार, लेखापरीक्षा ने पाया कि निर्माण एजेंसियों ने ठेकेदारों को अभिवहन पास के बिना (अर्थात् अवैध रूप से खनन की गई सामग्री) अनुमानित 37.17 लाख<sup>12</sup> मीट्रिक टन खनन सामग्री का उपयोग करने की अनुमति दी थी।

लेखापरीक्षा में आगे यह भी पाया गया कि जिला देहरादून में, राज्य क्रियान्वयन/निर्माण एजेंसियों द्वारा वर्ष 2017-18 से 2020-21 के दौरान राजकोष में ₹ 26.02 करोड़ रॉयल्टी जमा की गई थी, जहाँ ई-प्रपत्र<sup>13</sup> "एम एम-11" या "जे" के बिना निर्माण कार्य में उप-खनिजों का उपयोग किया गया था। उत्तराखण्ड खनन (अवैध खनन, परिवहन, भण्डारण) नियमावली समय-समय पर यथा संशोधित के अनुसार रॉयल्टी का पाँच गुना जुर्माना लगाया जाना चाहिए और वसूला जाना चाहिए, लेकिन इसका अनुपालन नहीं किया गया। परिणामस्वरूप, न्यूनतम ₹104.08 करोड़<sup>14</sup> की राजस्व हानि हुई।

सरकारी निर्माण एजेंसियों को रॉयल्टी के अतिरिक्त जिला खनिज निधि, क्षतिपूर्ति एवं स्टाम्प शुल्क की कटौती करनी चाहिए थी। तथापि, ऐसा नहीं किया जा रहा था और ऐसी कमियों पर जिला प्रशासन द्वारा कोई सुधारात्मक कार्रवाई नहीं की गई थी। इसके अतिरिक्त, अवैध खनन सामग्री पर जी एस टी का भी नुकसान हुआ।

इसके अतिरिक्त, इस बात का कोई आश्वासन नहीं था कि ठेकेदारों द्वारा निर्माण एजेंसियों को प्रस्तुत किए गए अभिवहन पास वास्तविक थे। निर्माण एजेंसियां अभिवहन पासों की प्रामाणिकता/वैधता की जाँच नहीं कर रही थीं। लेखापरीक्षा में ऐसे प्रकरण पाए गए जहाँ ठेकेदारों ने फर्जी अभिवहन पास प्रस्तुत किए थे। अभिवहन पास की समीक्षा में पाया गया कि:

- नवंबर 2021 में एक पी डब्ल्यू डी खण्ड<sup>15</sup> में ठेकेदारों ने अवैध अभिवहन पास जमा किए थे क्योंकि वे अलग-अलग ठेकेदारों और/या अलग-अलग गंतव्यों के नाम पर जारी थे। इसमें 17,432.96 मीट्रिक टन उप-खनिज सम्मिलित था। इंगित किये जाने पर संबंधित खण्ड ने अवगत कराया कि प्रकरण जाँच के लिए खनन इकाई को भेजा जायेगा।

<sup>12</sup> स्रोत: आई एफ एम एस- राज्य निर्माण एजेंसियों द्वारा ₹ 26.02 करोड़ जमा किए गए थे। इस प्रकार खनिज की मात्रा ₹ 26.02 करोड़ / ₹ 70 (रॉयल्टी की दर) = 37.17 लाख मीट्रिक टन होगी |

<sup>13</sup> खानों से राज्य के किसी भी स्थान पर उप-खनिजों के परिवहन के लिए ई-प्रपत्र "एम एम-11" जारी किया जाता है और स्टोन क्रशरों/स्क्रीनिंग संयंत्रों/खुदरा भण्डारों से खनिजों के प्रभावी परिवहन के लिए कार्य स्थल तक खनिजों के प्रभावी परिवहन के लिए प्रपत्र "जे" जारी किया जाता है।

<sup>14</sup> ₹ 26.02 करोड़ x 4 = ₹ 104.08 करोड़।

<sup>15</sup> अधिशासी अभियंता, निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग, देहरादून (नवम्बर 2021)।

- एक अन्य पी डब्ल्यू डी खण्ड<sup>16</sup> में, लेखापरीक्षा ने पाया कि ठेकेदार ने अभिवहन पास के बदले कर चालान प्रस्तुत किया था और इस प्रकार ₹ 32.73 लाख की रॉयल्टी और उस पर जुर्माना के भुगतान से बच गया।  
इंगित किये जाने पर, खण्ड ने किसी अन्य ठेकेदार/गंतव्यों के अभिवहन पास प्रस्तुत किए। इस प्रकार, ठेकेदारों ने 4.67 लाख मीट्रिक टन की मात्रा के उप-खनिजों का उपयोग अवैध रूप से किया था।
- एक अन्य खण्ड<sup>17</sup> में ठेकेदार<sup>18</sup> द्वारा 597 मीट्रिक टन के लिए जाली अभिवहन पास प्रस्तुत करना पाया (जनवरी 2020) गया था। इंगित किए जाने पर, खण्ड द्वारा प्रकरण की जांच करने के लिए सहमति व्यक्त की गयी।
- वैध अभिवहन पास को दो बार/कई बार के उपयोग को रोकने के लिए कोई प्रणाली नहीं थी। इस संदेह की हाल में ही पुष्टि की गई, जब लेखापरीक्षा में पाया गया कि एक पी डब्ल्यू डी खण्ड में एक एक ठेकेदार<sup>19</sup> ने 4,454 अमान्य/प्रतिलिपि/जाली अभिवहन पास प्रस्तुत किए थे। इस प्रकरण को मार्च 2019 को समाप्त वर्ष के लिए सी ए जी की ऑडिट रिपोर्ट<sup>20</sup> के माध्यम से प्रतिवेदित किया गया।

बहिर्गमन गोष्ठी के दौरान, सचिव (खनन) ने अवगत कराया (मई 2022) कि सरकारी निर्माण एजेंसियों द्वारा वैध अभिवहन पास के बिना, उप-खनिज के उपयोग को रोकने के लिए उत्तराखण्ड खनिज (अवैध खनन, भण्डारण और परिवहन) नियम-2021 में आवश्यक प्रावधान किए गए हैं। सभी सरकारी निर्माण एजेंसियों को नियमों का पालन करने के लिए फिर से सूचित किया जाएगा।

### 3.1.8 खदानों के संचालित नहीं होने से अवैध खनन का खतरा

नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एन जी टी), उत्तर प्रदेश की निरीक्षण समिति की रिपोर्ट<sup>21</sup> (जनवरी 2021) में यह संज्ञान लिया गया है कि जिन क्षेत्रों में केवल कुछ ही पट्टे संचालित हैं और शेष का निपटान/समर्पण नहीं किया गया है, उनका सावधानीपूर्वक विश्लेषण करने की आवश्यकता है। संचालित लीज़ की आड़ में अन्य खाली खनन पट्टों में, कार्टेल गठन और अवैध रूप से रेत के खनन की संभावना हो सकती है। जिला देहरादून में खनन पट्टों के संचालन की स्थिति (नीचे दी गई तालिका-3.1.6) की समीक्षा करने पर, लेखापरीक्षा ने पाया कि अधिकांश खदानें गैर-संचालित थीं जिससे खदानों से अवैध खनन का खतरा बढ़ गया था।

<sup>16</sup> अधिशासी अभियंता, एन एच, पी डब्ल्यू डी देहरादून 08/2017 से 07/2018 की अवधि से संबंधित।

<sup>17</sup> अधिशासी अभियंता, सिंचाई खण्ड, हरिद्वार।

<sup>18</sup> 01/ए ई -III/आई डी एच/2018-19 (मैसर्स ए आर डेवेलपर्स एंड एसोसिएट्स)।

<sup>19</sup> मैसर्स वुडहिल इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड के अनुबंध सं 13/पी डी/पी एम यूए डी बी/2013 दिनांक 23-01-2014 के अन्तर्गत।

<sup>20</sup> उत्तराखण्ड सरकार की रिपोर्ट संख्या 2 वर्ष 2020।

<sup>21</sup> [https://greentribunal.gov.in/sites/default/files/news\\_updates/REPORT%20BY%20OVERSIGHT%20COMMITTEE%20IN%20OA%20NO.%20360%20of%202015%20%28National%20Green%20Tribunal%20Bar%20Association%20vs%20Virender%20Singh%20%28State%20of%20Gujarat%29.pdf](https://greentribunal.gov.in/sites/default/files/news_updates/REPORT%20BY%20OVERSIGHT%20COMMITTEE%20IN%20OA%20NO.%20360%20of%202015%20%28National%20Green%20Tribunal%20Bar%20Association%20vs%20Virender%20Singh%20%28State%20of%20Gujarat%29.pdf) ।

तालिका-3.1.6: जिला देहरादून में खनन की स्थिति

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	वर्णन	2018-19	2019-20	2020-21
1	रॉयल्टी	58.81	45.60	प्रतीक्षित
2	वन विभाग के अधीन खनन पट्टों की संख्या	5	5	5
3	वन विभाग के अधीन सक्रिय खनन पट्टों की संख्या	5	0	0
4	गढ़वाल मंडल विकास निगम लिमिटेड (जी एम वी एन) के अन्तर्गत खनन पट्टों की संख्या	19	19	19
5	जी एम वी एन के अन्तर्गत सक्रिय खनन पट्टों की संख्या	5	10	3

बहिर्गमन गोष्ठी के दौरान, सचिव (खनन) ने इस बात पर सहमति व्यक्त की (मई 2022) कि रिक्त खनन क्षेत्र, अवैध खनन के मुख्य कारणों में से एक था और आश्वासन दिया कि खनन पट्टों पर इन रिक्त क्षेत्रों को स्वीकृति देने की प्रक्रिया को त्वरित करने के लिए आवश्यक कदम उठाए जाएंगे।

### 3.1.9 गैर पंजीकृत स्टॉकिस्ट/व्यापारी

लेखापरीक्षा ने पाया कि जिला देहरादून में बालू, पत्थर, ग्रेट, बजरी आदि का व्यापार करने के लिए 219 व्यापारी राज्य कर विभाग में पंजीकृत थे। तथापि, इनमें से केवल 34 व्यापारी जी एम यू /जिला खनन अधिकारी (डी एम ओ) कार्यालय, जिला देहरादून में पंजीकृत थे। इससे पता चलता है कि भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई स्वयं या राज्य कर विभाग की मदद से अपंजीकृत डीलरों का पता नहीं लगा सकी।

बहिर्गमन गोष्ठी के दौरान, सचिव (खनन) ने आश्वस्त किया (मई 2022) कि राज्य कर विभाग में खनन संबंधित व्यवसाय के लिए पंजीकृत लेकिन खनन विभाग में पंजीकृत नहीं होने वाले सभी व्यापारियों की जाँच कर पंजीकरण के लिए आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।

### 3.1.10 असत्यापित तौल मशीनें

विधिक मापविज्ञान अधिनियम, 2009 के बाट या माप का सत्यापन और मुद्रांकित (अध्याय-IV में प्रस्तर-24) में प्रावधानित है कि प्रत्येक ऐसा व्यक्ति, जिसके कब्जे, अभिरक्षा या नियंत्रण में कोई बाट या माप ऐसी परिस्थितियों में है, जो यह उपदर्शित करती हैं कि ऐसे बाट या माप का उसके द्वारा किसी संव्यवहार में या संरक्षा के लिए उपयोग किया जा रहा है या किया जाना आशयित या संभाव्य है, ऐसे बाट या माप को ऐसे उपयोग में लाने से पूर्व, ऐसी फीस का संदाय किए जाने पर, जो विहित की जाए, ऐसे स्थान पर और ऐसे समय के दौरान, जो नियंत्रक, साधारण या विशेष आदेश द्वारा इस निमित्त विनिर्दिष्ट करे, सत्यापित कराएगा ।

लेखापरीक्षा द्वारा बाट माप विभाग के अधिकारियों के साथ जिला देहरादून में आठ धर्मकाँटों (छः खनन स्थल पर और दो अन्य साइटों पर) का संयुक्त भौतिक सत्यापन किया (नवंबर-दिसंबर 2021) गया। यह पाया गया कि छः में से दो धर्मकाँटा मशीनों<sup>22</sup> को बाट-माप विभाग द्वारा सत्यापन और मुद्रांकित नहीं किया गया था और एक अन्य<sup>23</sup> में सत्यापित कागज़-पत्र नहीं थे। इसके अतिरिक्त, खनन स्थलों के अतिरिक्त अन्य स्थानों पर स्थापित दो धर्मकाँटों में से एक<sup>24</sup> मानक वजन परीक्षण में विफल रहा। संदिग्ध धर्मकाँटों के आलोक में, अभिवहन पास में उल्लिखित मात्रा/वजन संदेहास्पद था।

बहिर्गमन गोष्ठी के दौरान, सचिव, (खनन) ने आश्वासन दिया (मई 2022) कि संबंधित विभाग को निर्देश देकर आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।

### 3.1.11 खनन निगरानी प्रणाली को प्रारम्भ होने के पाँच वर्ष बाद भी नहीं अपनाया जाना

खान मंत्रालय, भारत सरकार और भारतीय खान ब्यूरो (आई बी एम) ने एक खनन निगरानी प्रणाली (ख नि प्र) को विकसित किया है, यह एक उपग्रह-आधारित निगरानी प्रणाली है जिसका उद्देश्य अवैध खनन गतिविधियों की घटनाओं को रोकने में राज्य सरकारों को सुविधा प्रदान करके उत्तरदायी खनिज प्रशासन की एक व्यवस्था स्थापित करना है। यह प्रणाली इस मूलभूत सिद्धांत के आधार पर कार्य करती है कि अधिकांश खनिज निरंतरता में होते हैं और उनकी उपस्थिति मात्र पट्टा क्षेत्र तक सीमित नहीं है, अपितु आस-पास के क्षेत्र में विस्तारित होने की संभावना है। ख नि प्र किसी भी असामान्य गतिविधि, जो कि अवैध खनन हो सकती है, की तलाश के लिए मौजूदा खनन पट्टा सीमा के आसपास 500 मीटर के क्षेत्र में जाँच करता है। पाई गई किसी भी विसंगति को ट्रिगर के रूप में ध्वजांकित किया जाता है। इन ट्रिगर्स को रिमोट सेंसिंग कंट्रोल सेंटर, आई बी एम में जाँच किया जाएगा और फिर राज्य के खनन और भू-विज्ञान विभाग या जिला स्तर के खनन अधिकारियों को फील्ड सत्यापन के लिए प्रेषित किया जाएगा, जो अवैधता की जाँच करेंगे और मोबाइल ऐप या ऑनलाइन पोर्टल<sup>25</sup> का उपयोग करके अपने निरीक्षणों की अनुपालन आख्या प्रस्तुत करेंगे।

भारत सरकार (खान मंत्रालय<sup>26</sup>) ने राज्य सरकार को भेजे अपने पत्र में (अक्टूबर 2016) इस बात पर जोर दिया कि ख नि प्र की सफलता पूरी तरह से संबंधित राज्य सरकार के समर्थन पर निर्भर करेगी और उनसे आवश्यक कार्रवाई करने का अनुरोध किया गया था।

समीक्षा करने पर, लेखापरीक्षा में पाया गया कि ख नि प्र को प्रारम्भ किए जाने और केन्द्र सरकार से पत्र प्राप्त होने के पाँच वर्षों के बाद भी अभी तक अपनाया जाना है।

<sup>22</sup> मैसर्स प्रदीप अग्रवाल (जी एम वी एन), सोंग -1, खीरी मान सिंह और मैसर्स रमेश रौतेला (जी एम वी एन), टोंस नदी।

<sup>23</sup> मैसर्स कैलाश रावत, सोंग -1, दुबड़ा, मालदेवता ।

<sup>24</sup> एन एस धर्मकाँटा, मटक माजरी, कुल्हाल।

<sup>25</sup> ख नि प्र उपयोगकर्ता के अनुकूल एक मोबाइल ऐप बनाया गया है और 24 जनवरी 2017 को लॉन्च किया गया है।

<sup>26</sup> <https://mines.gov.in/writereaddata/UploadFile/WayforwardMSS636124955823215184.PDF>

विभाग ने अवगत कराया (मार्च 2022) कि माइनिंग डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन और सर्विलान्स सिस्टम के विकास और रख-रखाव का कार्यान्वयन ई-टेंडरिंग प्रक्रिया के माध्यम से शुरू किया जा रहा है।

### 3.1.12 अवैध खनन के लिए जवाबदेही

जैसा कि ऊपर प्रस्तर 3.1.3 में उल्लेख किया गया है, तीन स्थलों (ढकरानी 23/3, कुल्हाल 21/3 यमुना नदी पर और सोंग-3 सोंग नदी पर) पर अवैध खनन किया गया था। इसके अतिरिक्त, सरकार की अपनी एजेंसियों द्वारा 37.17 लाख मीट्रिक टन खनन सामग्री का उपयोग वैध कानूनी दस्तावेजों (प्रपत्र एम एम-11 या प्रपत्र-जे) के बिना किया गया था। इसके अतिरिक्त, अवैध खनन का मुद्दा मीडिया रिपोर्टों और जनहित याचिका के रूप में सर्वविदित है। अवैध खनन के संबंध में व्यापक शिकायतों के आलोक में, एन जी टी ने अपने विभिन्न आदेशों के माध्यम से अन्य बातों के साथ-साथ देखा कि जिला प्रशासन अपने विभिन्न निर्देशों/पर्यावरण स्वीकृति की शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए पूरी तरह से जवाबदेह है और अवैध खनन के मामले में जिला मजिस्ट्रेटों और पुलिस अधीक्षकों को खनन उपकरण और वाहन सभी को जब्त करना होगा। इसके अतिरिक्त, अवैध खनन के मामले में अपराधिक कार्यवाही के अतिरिक्त, जिलाधिकारियों द्वारा अनुकरणीय दण्ड भी लगाया जाना चाहिए।

उपरोक्त के आलोक में, देहरादून में 2017-21 के दौरान अवैध खनन को रोकने और उसका पता लगाने में सभी जिम्मेदार अधिकारी संयुक्त रूप से और पृथक रूप से विफल रहे। अवैध खनन की रोकथाम और पता लगाने के लिए जिम्मेदार प्रत्येक प्राधिकरण के स्तर पर खामियाँ नीचे दी गई तालिका-3.1.7 में देखी जा सकती है।

तालिका-3.1.7: प्रत्येक सरकारी प्राधिकरण स्तर पर खामियाँ

क्र.सं.	प्राधिकारी	खामियों का विवरण
1	जिला कलेक्टर	खनन प्रक्रिया के सभी चरणों (खनन पट्टों की प्रक्रिया, खुदरा विक्रेताओं को लाइसेंस देना, अवैध खनन, परिवहन और भण्डारण की जाँच, ज़रमाणा लगाना, मासिक विवरण की समीक्षा, सी सी टी वी फुटेज की समीक्षा, डी एम ओ के कार्य की निगरानी) को विनियमित करने की शक्ति प्रदत्त होने और जिले के सभी विभागों के संबंध में समन्वय और निरीक्षण की जिम्मेदारी रखते हुए, वह खनन संबंधी नियमों और विनियमों और एन जी टी के निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करने में विफल रहे। इसका तात्पर्य यह भी है कि एन जी टी के निर्देश कि, अवैध खनन के लिए जिला प्रशासन पूरी तरह से जवाबदेह होगा, को जिला कलेक्टर द्वारा गंभीरता से नहीं लिया जा रहा है।
2	भू-विज्ञान खनन इकाई/डी एम ओ	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ पर्यावरणीय स्वीकृति की शर्तों तथा लागू नियमों और नीतियों के अनुपालन की जाँच करने के लिए विभिन्न स्थानों (खनन स्थलों, पारगमन/सड़क पर, भण्डारण, निर्माण स्थलों) पर निरीक्षण और प्रवर्तन तंत्र अप्रभावी था। तदनुसार, परियोजना प्रस्तावक के वाहन बिना ट्रेकिंग, निर्धारित स्थानों पर सी सी टी वी आधारित निगरानी के बिना काम कर रहे थे।</li> <li>➤ उप-खनिजों का व्यापार करने वाले व्यापारियों का पता लगाने के लिए राज्य कर विभाग के साथ समन्वय नहीं किया। तदनुसार, लेखापरीक्षा ने जिला खनन इकाई/डी एम ओ और</li> </ul>



**अध्याय-3: राजस्व विभागों से संबंधित अनुपालन लेखापरीक्षा टिप्पणियाँ**

क्र.सं.	प्राधिकारी	खामियों का विवरण
		राज्य कर विभाग के अनुसार लघु खनिजों के लिए व्यापारियों /स्टॉकिस्टों की संख्या के बीच अंतर <sup>27</sup> पाया। >जहाँ अवैध रूप से खनन की गई सामग्री का उपभोग किया जा रहा था वहाँ सरकार की निर्माण एजेंसियों के साथ समन्वय स्थापित करने में विफल रहे। >ऐसी प्रणाली स्थापित नहीं की गई जिससे सरकार की अपनी निर्माण एजेंसियां अभिवहन पास की प्रामाणिकता की जाँच कर सकें। >भारत सरकार की एक उपग्रह आधारित निगरानी प्रणाली ख नि प्र जो राज्य सरकार के अधिकारियों को अवैध खनन के ट्रिगर भेजती है, को लागू करने में विफल रहे।
3	वन विभाग	चूंकि वन भूमि के भीतर अवैध खनन एक वन अपराध है, इसलिए विभाग के प्रवर्तन तंत्र <sup>28</sup> को अन्य वन अपराधों (अवैध लकड़ी कटान, अवैध शिकार) की तरह पता लगाना चाहिए था। इसलिए, वन भूमि में अवैध खनन का व्याप्त होना अन्य प्रकार के वन अपराधों को रोकने और उनका पता लगाने में वन विभाग की प्रवर्तन गतिविधियों की प्रभावशीलता के बारे में प्रश्न उठाती है।
4	परियोजना प्रस्तावक (यू एफ डी सी, जी एम वी एन)	>पर्यावरणीय स्वीकृति प्रमाणपत्र में उल्लिखित शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए कोई प्रणाली स्थापित नहीं की। इसमें अन्य बातों के साथ-साथ सी सी टी वी आधारित निगरानी की कमी, सही अभिवहन पास जारी करना, वजन की जाँच, वेट-ब्रिज की शुद्धता सम्मिलित है। >जब किसी निजी इकाई को उप-पट्टा देना संभव नहीं था, तब खुद भी खनन नहीं किया गया।
5	परिवहन	परिवहन प्राधिकारी वाणिज्यिक और निजी वाहनों द्वारा, लागू नियमों के अनुपालन का पता लगाने के लिए भौतिक निरीक्षण करने के लिए बाध्य हैं। तथापि, विभाग उचित पंजीकरण के बिना वाहनों का संचालन, निजी वाहनों से खनन सामग्री का ढुलान और क्षमता से अधिक वजन की सामग्री ले जाने वाले वाहनों को रोकने और उनका पता लगाने में विफल रहे।
6	लोक निर्माण विभाग जैसी निर्माण एजेंसी	निर्माण एजेंसियों ने ठेकेदारों को अवैध रूप से खनन किए गए खनिजों का उपयोग करने की अनुमति दी। इसके अतिरिक्त, उन्होंने ठेकेदारों द्वारा की जा रही अवैधता के बारे में अधिकारियों (जिला कलेक्टर, जिला खनन अधिकारी, पुलिस, परिवहन विभाग) को सूचित नहीं किया।
7	उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड	उत्तराखण्ड पर्यावरण संरक्षण और प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (यू ई पी पी सी बी) खनन से पूर्व, खनन पट्टा धारक को स्थापित करने की सहमति और संचालन की सहमति देता है। उप-खनिज के अवैध खनन/परिवहन, उस स्थल के वातावरण को प्रदूषित करता है, जहाँ कहीं भी यह गतिविधि की गई, यू ई पी पी सी बी उन खनन स्थलों की निगरानी करने में विफल रहा, जहाँ अवैध खनन किया गया है।
8	पुलिस	उत्तराखण्ड पुलिस अधिनियम के अनुसार, पुलिस विभाग को भूतत्व और खनिकर्म इकाई के नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहनों की जाँच करनी चाहिए, लेकिन पुलिस विभाग अवैध खनिजों के परिवहन में सम्मिलित वाहनों की जाँच करने में विफल रहा।

<sup>27</sup> राज्य कर विभाग के अनुसार देहरादून में व्यापारियों की संख्या 219 थी जबकि जी एम यू के अनुसार देहरादून में व्यापारियों की संख्या 34 थी।

<sup>28</sup> विभाग के प्रवर्तन तंत्र जैसे वन चेक पोस्ट, बीट फॉरेस्ट गार्ड्स द्वारा गार्डिंग/गस्त, रैंजर्स और डी एफ ओ द्वारा निरीक्षण।

क्र.सं.	प्राधिकारी	खामियों का विवरण
9	विधिक बाट माप	बाट-माप विभाग तौल मशीन की जाँच में विफल रहा। लेखापरीक्षा दल द्वारा बाट-माप विभाग के अधिकारियों के साथ जिला देहरादून के खनन स्थलों के अतिरिक्त अन्य छः खनन स्थलों और स्थानों पर किए गए संयुक्त भौतिक सत्यापन (नवंबर-दिसंबर 2021) में पाया गया कि छः तौल मशीनों में से चार वजन मशीनें खनन स्थलों के बहिर्गमन क्षेत्र में स्थापित थीं, उनमें से दो मशीनों <sup>29</sup> को बाट-माप विभाग द्वारा सत्यापित और मुद्रांकित नहीं पाया गया, और एक अन्य में साइट <sup>30</sup> पर कोई सत्यापित कागज़-पत्र नहीं पाए गए थे, खनन स्थलों के अतिरिक्त अन्य स्थानों पर स्थापित अन्य दो तौल मशीनों में से एक मशीन <sup>31</sup> मानक वजन परीक्षण में विफल पाई गई।

बहिर्गमन गोष्ठी के दौरान, सचिव (खनन) ने आश्वासन दिया (मई 2022) कि वह सभी संबंधित सरकारी प्राधिकारियों जैसे जी एम यू, जिला प्रशासन, परिवहन विभाग, पुलिस विभाग, वन विभाग, जी एम वी एन, वन विकास निगम, राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, विधिक मापविज्ञान विभाग जिनकी जिम्मेदारी उनके अपने विभागीय नियमों और नीतियों में उल्लिखित है, के साथ बैठक करेंगे ताकि अवैध खनन और अवैध परिवहन को रोका जा सके। इसके अतिरिक्त, उन्होंने आश्वासन दिया कि संबंधित सरकारी विभागों की जिम्मेदारी तय की जाएगी।

### 3.1.13 निष्कर्ष

लेखापरीक्षा ने रिमोट सेंसिंग और जिओग्राफिक इन्फॉर्मेशन सिस्टम तकनीक की मदद से तीन नमूना खनन स्थलों पर अवैध खनन के साक्ष्य पाये। संयुक्त भौतिक सत्यापन के माध्यम से अवैध खनन के तथ्य की पुष्टि हुई। देहरादून में सरकार की अपनी निर्माण एजेंसियों द्वारा 37.17 लाख मीट्रिक टन "अवैध खनन सामग्री" का उपयोग किया गया था। लेखापरीक्षा ने सरकार के अभिवहन पासों की अविश्वसनीयता का खुलासा किया। बड़ी संख्या में निष्क्रिय/अक्रियाशील खदाने, अवैध खनन के जोखिम को बढ़ा रही थीं।

भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई, जिला कलेक्टर, पुलिस विभाग, वन विभाग एवं परियोजना प्रस्तावक और गढ़वाल मंडल विकास निगम लिमिटेड जैसी सभी सरकारी एजेंसियां सामूहिक रूप से अवैध खनन को रोकने और उसका पता लगाने में विफल रहीं। भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई, भारत सरकार की खनन निगरानी प्रणाली नामक पहल को विगत पाँच वर्षों से अधिक समय से लागू करने में विफल रही।

### 3.1.14 अनुशंसाएं

अवैध खनन से राज्य के राजस्व पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है, साथ ही नदी तल और तटों की स्थिरता पर भी प्रभाव पड़ता है, जिससे संपूर्ण प्रवाह प्रणाली का क्षरण होता है। राज्य सरकार राज्य

<sup>29</sup> मैसर्स प्रदीप अग्रवाल (जी एम वी एन), सौंग-1, खीरी मान सिंह और मैसर्स रमेश रौतेला (जी एम वी एन), टोंस नदी।

<sup>30</sup> मैसर्स कैलाश रावत, सौंग-1, दुबाडा, मालदेवता।

<sup>31</sup> एन एस धर्मकांटा मटक माजरी, कुल्हाल।

में नदी तल में अवैध खनन को नियंत्रित/निगरानी करने के लिए निम्नलिखित उपायों पर विचार कर सकती हैं:

- अभिवहन पास:** (i) सरकार की निर्माण एजेंसियों को ठेकेदार को भुगतान करने से पूर्व प्रत्येक अभिवहन पास की प्रामाणिकता सत्यापित करनी चाहिए। इसके अतिरिक्त, उन्हें सरकारी परियोजनाओं में अवैध रूप से खनन सामग्री के उपयोग की अनुमति नहीं देनी चाहिए और ठेकेदार द्वारा अवैध रूप से खनन की गई सामग्री की खरीद के संबंध में जिला कलेक्टर और जिला खनन अधिकारी को अनिवार्य रूप से सूचित करना चाहिए ताकि जिला प्रशासन ऐसे ठेकेदारों के खिलाफ कार्रवाई कर सके।  
(ii) सरकारी और अन्य बड़ी परियोजनाओं के लिए, अभिवहन पास में ठेकेदार की वस्तु एवं सेवा कर पहचान संख्या (जी एस टी आई एन) और गंतव्य स्थान के ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम कॉऑर्डिनेट्स होने चाहिए।  
(iii) अभिवहन पास में सभी बिन्दुओं को भली-भाँति भरा जाना चाहिए और अभिवहन पास के सभी बिन्दुओं की जाँच खनन इकाई द्वारा उचित रूप से सुनिश्चित की जानी चाहिए। ड्रूपलीकेट अभिवहन पास का प्रयोग बंद किया जाना चाहिए।
- सरकारी विभागों के बीच समन्वय और प्रभावी आंतरिक नियंत्रण:** अवैध खनन को रोकने और पता लगाने के लिए जिला प्रशासन, सरकार की निर्माण एजेंसियों, परिवहन विभाग, राज्य कर विभाग और भू-विज्ञान और खनन इकाई को प्रभावी समन्वय तंत्र स्थापित करना चाहिए। इसके अतिरिक्त, जिला प्रशासन और भूविज्ञान और खनन इकाई को प्रावधानों को अक्षरशः लागू करना चाहिए और इसके लिए प्रभावी आंतरिक नियंत्रण प्रणाली स्थापित करनी चाहिए।
- पट्टों का जियो-रेफ्रेंसिंग और खनन निगरानी प्रणाली:** खनन योजना में पट्टे का सही-सही सीमांकन करने वाले एकाधिक निर्देशांक सुनिश्चित किए जाने चाहिए ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि खनन गतिविधियों को अनुमत क्षेत्र के भीतर सीमित किया जा सके। इन कॉऑर्डिनेट्स को निर्धारित खंभों के स्थानों के साथ जमीन पर ठीक से चिन्हित किया जाना चाहिए ताकि अवैध और अवैज्ञानिक खनन को रोका जा सके और उनके स्थान डिजिटल (एस एच पी फ़ाइल में<sup>32</sup>) रूप से उपलब्ध हों। राज्य द्वारा प्रभावी अनुवर्ती कार्रवाई और त्वरित प्रतिक्रिया समय के लिए यथाशीघ्र खनन निगरानी प्रणाली को अपनाया जाना चाहिए। अवैध खनन की घटनाओं पर अंकुश लगाने में 'आकाशीय दृष्टि' का निवारक प्रभाव अत्यंत उपयोगी होगा।
- रिवर-बेड मटेरियल मात्रा का आकलन:** रिवर-बेड मटेरियल की मात्रा का आकलन और पट्टे का चित्रण एक डिजिटल स्थानिक वातावरण में 'ड्रोन प्लेटफॉर्म' के माध्यम से तैयार और निगरानी की जानी चाहिए।

<sup>32</sup> यह भौगोलिक डेटा और संबंधित विशेष जानकारी संग्रहित करने के लिए वेक्टर डेटा प्रारूप है।

5. मानव रहित हवाई वाहन या ड्रोन, जिनका खनन क्षेत्र में कई अनुप्रयोग हैं, जैसे खानों का आवधिक हवाई सर्वेक्षण और परिवर्तन का पता लगाना; थर्मल कैमरों के माध्यम से रात में अवैध खनन की निगरानी; और अनधिकृत ट्रकों की आवाजाही पर नज़र रखने हेतु, का संवेदनशील स्थलों पर विचार किया जा सकता है।
6. ठेकेदार द्वारा नियमों और विनियमों के अनुपालन की जाँच के लिए अधिकारियों द्वारा **नियमित पर्यावरण लेखापरीक्षा** की जा सकती है, और नियमों के उल्लंघन के मामले में दंडात्मक कार्रवाई की जानी चाहिए।
7. अवैध खनन को रोकने और उसका पता लगाने के लिए संबंधित प्रत्येक सरकारी विभाग के स्तर पर हुई खामियों के लिए **उत्तरदायित्व** तय किया जा सकता है।

### **3.2 अर्थदण्ड के आरोपण में विफलता**

**अवैध खनन/भण्डारण पर अर्थदण्ड आरोपित करने में विफलता के कारण ₹ 1.24 करोड़ की राजस्व हानि।**

उत्तराखण्ड उप-खनिज (परिहार) नियमावली, 2001 के नियम 3(1) में प्रावधान है कि कोई भी व्यक्ति राज्य के भीतर किसी क्षेत्र में किसी ऐसे उप-खनिजों की जिस पर यह नियमावली लागू हो, सिवाय इस नियमावली के अधीन दिये गए पट्टे या खनन अनुज्ञा-पत्र की निबंधन एवं शर्तों के अधीन और के अनुसार, कोई खनन संक्रियाएँ नहीं कर सकेगा।

उत्तराखण्ड उप-खनिज (बालू, बजरी, बोल्डर) चुगान नीति<sup>33</sup> 2016 के नियम 23 (1) के अनुसार, जल विद्युत परियोजनाओं द्वारा जलाशय/सुरंग, आदि के निर्माण कार्यों से निकलने वाले मक (उप-खनिज पत्थर/बोल्डर/बालू आदि) को परियोजना के निर्माण कार्य में उपयोग हेतु, उप-जिलाधिकारी (उ जि अ) की अध्यक्षता में गठित जिला स्तरीय समिति द्वारा परियोजना के निर्माण आगणन की जाँच/निरीक्षण व मूल्यांकन के बाद संस्तुति के आधार पर अल्प अवधि की अनुज्ञा संबंधित जिला अधिकारी (जि अ) द्वारा अनुमोदित किया जाएगा तथा जिलाधिकारी एवं निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई की संस्तुति पर उत्तराखण्ड उप-खनिज परिहार नियमावली, 2001 के नियम-68 के अर्न्तगत नियम-72 को शिथिल करते हुए नियमानुसार खनन पट्टा परियोजना की समाप्ति की अवधि तक शासन द्वारा स्वीकृत किया जाएगा।

उत्तराखण्ड शासन की अधिसूचना<sup>34</sup> दिनांक 13.11.2016 के नियम 13(2) (ख) के अनुसार, अवैध खनन / भण्डारण पर ₹ 2.00 लाख के अर्थदण्ड के अतिरिक्त, अवैध खनिज की मात्रा पर रॉयल्टी की पाँच गुना धनराशि, अवैध भण्डार धारकों/खनिकों से वसूल की जाएगी। इसके अतिरिक्त, उत्तराखण्ड

<sup>33</sup> 1561/VII-1/80-ख /2016 दिनांक 30.09.2016।

<sup>34</sup> संख्या: 1725/VII-1/16/158-ख/2004।

शासन की अधिसूचना<sup>35</sup> दिनांक 26.02.2016 के द्वारा, पहाड़ों के कटान के परिणामस्वरूप खंडों/बोल्डरों/बजरी/ग्रिट बैलास्ट सिंगल/मोरम/रेत की रॉयल्टी दर ₹ 194.50 प्रति घनमीटर अर्थात ₹ 8.85 प्रति क्विंटल निर्धारित की गई थी।

डी एम ओ, बागेश्वर (नवंबर-दिसंबर 2019) और चमोली (फरवरी 2020) के अभिलेखों की जाँच के दौरान, निम्नलिखित प्रकरण संज्ञान में आए:

अ. डी एम ओ, बागेश्वर में, यह संज्ञान में आया कि ठेकेदार द्वारा 4,536 घन मीटर क्षेत्र अवैध रूप से खनन किया गया था, जिसके लिए उसके द्वारा ₹ 2.00 लाख का अर्थदण्ड जमा (जुलाई 2018) किया गया। तथापि, नियमानुसार, ₹ 2.00 लाख के अर्थदण्ड के अतिरिक्त, अवैध खनन के लिए रॉयल्टी के पाँच गुना की धनराशि ठेकेदार पर अधिरोपित नहीं की गयी। इस प्रकार, विभाग को ₹ 44.11 लाख<sup>36</sup> के राजस्व की हानि हुई।

उक्त को इंगित किए जाने पर विभाग द्वारा लेखापरीक्षा आपत्ति को स्वीकार किया गया।

ब. डी एम ओ, चमोली में, यह संज्ञान में आया कि विष्णुप्रयाग जल विद्युत परियोजना के मरम्मत/पुनर्निर्माण कार्यों के लिए स्टोन क्रशर की स्वीकृति को जि अ, चमोली द्वारा ठेकेदार के पक्ष में तीन वर्ष की अवधि के लिए नवीनीकरण (दिसंबर 2016) किया गया था। यह भी संज्ञान में आया कि अनुज्ञप्तिधारी द्वारा परियोजना के मलवे से प्राप्त उप-खनिज का उपयोग स्वीकृत स्टोन क्रशर में क्रश करके परियोजना के निर्माण में किया जा रहा था। तथापि, जल विद्युत परियोजना में उप-खनिज के उपयोग हेतु लाइसेंस नहीं लिया गया था। लेखापरीक्षा में यह भी पाया गया कि अनुज्ञप्तिधारी द्वारा नवंबर 2016 से दिसंबर 2017 के दौरान स्टोन क्रशर में 7,990 घन मीटर उप-खनिज को क्रश किया गया था, जिस हेतु उनके द्वारा पर्यावरणीय और खनिज संपदा शुल्क ₹ 1.20 लाख जमा (जुलाई 2018) किया गया था। अनुज्ञप्तिधारी अवैध खनन और उप-खनिज के भण्डारण की मात्रा पर ₹ 79.70 लाख<sup>37</sup> के अर्थदण्ड के लिए उत्तरदायी था, जिसे अधिरोपित नहीं किया गया था।

लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किए जाने पर, विभाग द्वारा लेखापरीक्षा आपत्ति को स्वीकार करते हुए ठेकेदार पर अर्थदण्ड अधिरोपित (मार्च 2021) किया गया।

अतः अवैध खनन/भण्डारण पर अपेक्षित अर्थदण्ड अधिरोपित नहीं किए जाने के कारण ₹ 1.24 करोड़<sup>38</sup> के राजस्व की हानि हुई।

प्रकरण शासन को प्रतिवेदित (नवंबर 2021) किया गया, उत्तर प्रतीक्षित था (सितंबर 2022)।

<sup>35</sup> संख्या: 211/VII-1/24-ख/2007।

<sup>36</sup>  $4,536 \text{ घन मीटर} \times ₹ 194.50 \times 5 = ₹ 44,11,260$  ।

<sup>37</sup>  $₹ 77,70,275 (7,990 \text{ घन मीटर} \times ₹ 194.50 \times 5) + ₹ 2,00,000 = ₹ 79.70 \text{ लाख}$ ।

<sup>38</sup>  $₹ 44.11 \text{ लाख} + ₹ 79.70 = ₹ 123.81 \text{ लाख}$ , अर्थात ₹ 1.24 करोड़।

### 3.3 उप-खनिजों के अतिरिक्त भण्डारण पर अर्थदण्ड का अनारोपण/न्यूनारोपण

उप-खनिजों के अतिरिक्त भण्डारण पर अर्थदण्ड के अनारोपण/न्यूनारोपण के कारण विभाग को ₹ 2.72 करोड़ की राजस्व हानि।

उत्तराखण्ड शासन के औद्योगिक विकास अनुभाग-1 की अधिसूचना<sup>39</sup> के नियम 13(2) (ख) में प्रावधान है कि खनिज के अवैध भण्डारण पर ₹ 2.00 लाख के अर्थदण्ड के अतिरिक्त, अवैध खनिज की मात्रा पर रॉयल्टी के पाँच गुना धनराशि भी भण्डार धारकों से वसूल की जाएगी। इसके अतिरिक्त, उत्तराखण्ड शासन के औद्योगिक विकास अनुभाग-1 की अधिसूचना<sup>40</sup> में प्रावधानित है कि विहित प्रयोजनों के लिए प्रयुक्त होने वाली बालू से भिन्न नदी तल में उपलब्ध साधारण बालू या मोरम या बजरी या बोल्टर या इसमें से कोई भी मिली जुली अवस्था में हो, के लिए रॉयल्टी दर ₹ 7.00 प्रति क्विंटल या ₹ 154.00 प्रति घनमीटर (हरिद्वार एवं अन्य स्थान) होगी।

जिला खनन अधिकारी (डी एम ओ), चमोली के अभिलेखों की जाँच (फरवरी 2020) में पाया गया कि तीन भण्डार धारकों ने विभिन्न माहों में स्वीकृत मात्रा से अधिक उप-खनिजों का भण्डारण किया था, तथापि, इन भण्डार धारकों पर कोई अर्थदण्ड अधिरोपित नहीं किया गया। अतः भण्डार धारक अतिरिक्त उप-खनिज भण्डारण की मात्रा पर ₹ 2.63 करोड़ के अर्थदण्ड का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी थे, जैसा कि **परिशिष्ट-3.3.1** में वर्णित है।

उक्त को इंगित किये जाने पर विभाग द्वारा तीनों भण्डार धारकों को अर्थदण्ड के अतिरिक्त रॉयल्टी के पाँच गुना धनराशि जमा करने को नोटिस जारी (मार्च 2021) किया गया।

इसके अतिरिक्त, डी एम ओ, उत्तरकाशी के अभिलेखों की जाँच (फरवरी 2020) के दौरान, यह संज्ञान में आया कि विभाग द्वारा दो स्टोन क्रशरों पर उप-खनिजों के अतिरिक्त भण्डारण के लिए उत्तराखण्ड शासन की अधिसूचना<sup>41</sup> के अनुसार ₹ 70 प्रति टन की प्रचलित दर के बजाय ₹ 35 प्रति टन की पूर्व-संशोधित दर पर अर्थदण्ड अधिरोपित (सितंबर 2019 एवं नवंबर 2019) किया गया था। इस प्रकार विभाग द्वारा भण्डार धारकों पर ₹ 9.31 लाख<sup>42</sup> का अल्प अर्थदण्ड अधिरोपित किया गया।

<sup>39</sup> संख्या-1725/VII-1/16/158-ख/2004 दिनांक 13.11.2016।

<sup>40</sup> संख्या-842/VII-1/2016/24-ख/2007 दिनांक 19.05.2016।

<sup>41</sup> संख्या-842/VII-1/2016/24-ख /2007 दिनांक 19.05.2016।

<sup>42</sup>

क्रम संख्या	स्टोन क्रशर का नाम	निरीक्षण की तिथि	उप-खनिज की मात्रा (टन में)	धनराशि (₹ में)	
				प्रति टन रॉयल्टी का न्यूनारोपण	वसूल किए जाने वाला कुल अर्थदण्ड
1	2	3	4	5	6= (कॉलम 4 x कॉलम 5 x 5 गुना)
1	शिवम इंडस्ट्रीस	31.08.2019	3024.52	35	5,29,291
2	जमदाग्नि ऋषि महाराज कन्स्ट्रक्शन	31.08.2019	2293.96	35	4,01,443
<b>कुल</b>					<b>9,30,734 (अर्थात् ₹ 0.09 करोड़)</b>

उक्त को इंगित किये जाने पर डी एम ओ, उत्तरकाशी ने अवगत कराया (फरवरी 2020) कि भण्डार धारकों पर अर्थदण्ड की गणना देहरादून मुख्यालय द्वारा की गई थी। उत्तर स्वीकार्य नहीं था क्योंकि अर्थदण्ड शासन द्वारा जारी प्रचलित दरों पर लगाया जाना चाहिए था।

अतः, विभाग को उप-खनिजों के अतिरिक्त भण्डारण पर अर्थदण्ड अधिरोपित न करने/न्यूनारोपण के कारण ₹ 2.72 करोड़<sup>43</sup> के राजस्व की हानि हुई है।

प्रकरण शासन को संदर्भित (नवंबर 2021) किया गया। उत्तर प्रतिक्षित है (सितंबर 2022)।

## राज्य कर विभाग

### 3.4 वस्तु एवं सेवा कर के अन्तर्गत प्रतिदाय दावों के प्रसंस्करण पर विषय विशिष्ट अनुपालन लेखापरीक्षा

#### 3.4.1 परिचय

समय पर प्रतिदाय तंत्र, कर प्रशासन का एक महत्वपूर्ण घटक है क्योंकि यह कार्यशील पूंजी, मौजूदा व्यवसाय के विस्तार और आधुनिकीकरण के लिए अवरुद्ध निधियों के प्रतिदाय के माध्यम से व्यापार की सुविधा प्रदान करता है। वस्तु और सेवा कर (जी एस टी) कानूनों में निहित प्रतिदाय से संबंधित प्रावधानों का उद्देश्य जी एस टी व्यवस्था के अन्तर्गत प्रतिदाय प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित और मानकीकृत करना है। यह निर्णय लिया गया कि दावा और स्वीकृति की प्रक्रिया पूरी तरह से ऑनलाइन होगी। सामान्य पोर्टल पर इलेक्ट्रॉनिक प्रतिदाय मॉड्यूल की अनुपलब्धता के कारण, एक अस्थायी तंत्र तैयार और कार्यान्वित किया गया था। परिपत्र संख्या 17/17/2017-जी एस टी दिनांक 15 नवंबर 2017 और परिपत्र संख्या 24/24/2017-जी एस टी दिनांक 21 दिसम्बर 2017 को विस्तृत प्रक्रियाओं को निर्धारित करते हुए जारी किए गए थे। इस इलेक्ट्रॉनिक-सह-मैनुअल प्रक्रिया में, आवेदकों को सामान्य पोर्टल पर प्रपत्र जी एस टी आर एफ डी-01ए में प्रतिदाय आवेदन दाखिल करने, उसका एक प्रिंटआउट लेने और सभी सहायक दस्तावेजों के साथ इसे भौतिक रूप से क्षेत्राधिकार कर कार्यालय में जमा करने की आवश्यकता थी।

उन प्रतिदाय आवेदनों की आगे की प्रक्रिया, अर्थात् पावती जारी करना, कमी ज्ञापन जारी करना, अनंतिम/अंतिम प्रतिदाय आदेशों को पारित करना, भुगतान सूचना, आदि मैनुअल रूप से किए जा रहे थे। इलेक्ट्रॉनिक रूप से प्रतिदाय आवेदन जमा करने की प्रक्रिया के लिए, परिपत्र संख्या 79/53/2018-जी एस टी दिनांक 31 दिसम्बर 2018 जारी किया गया था जिसमें यह निर्दिष्ट किया गया था कि प्रपत्र जी एस टी आर एफ डी-01ए में प्रतिदाय आवेदन सभी सहायक दस्तावेजों के साथ

<sup>43</sup> डी एम ओ (चमोली) ₹ 2.63 करोड़ + डी एम ओ (उत्तरकाशी) ₹ 0.09 करोड़ = ₹ 2.72 करोड़।

इलेक्ट्रॉनिक रूप से प्रस्तुत किए जाने थे। तथापि, प्रतिदाय आवेदनों के प्रसंस्करण के विभिन्न पश्च प्रस्तुतीकरण चरण मैन्युअल बने रहे।

प्रतिदाय प्रक्रिया को पूरी तरह से इलेक्ट्रॉनिक बनाने के लिए, जिसमें आवेदन जमा करने से लेकर उसके प्रसंस्करण तक सभी कदम इलेक्ट्रॉनिक रूप से किए जा सकते हैं, को 26 सितंबर 2019 से सामान्य पोर्टल पर प्रदर्शित किया गया है (इसे प्रतिदाय प्रक्रिया का स्वचालन भी कहा जाता है)। तदनुसार, पहले जारी किए गए परिपत्रों में मैन्युअल प्रस्तुत करने और प्रतिदाय दावों के प्रसंस्करण के लिए या तो उन्हें हटा दिया गया है या संशोधित किया गया। मुख्य परिपत्र सं.125/44/2019-जी एस टी दिनांक 18 नवंबर 2019 के अन्तर्गत प्रतिदाय दावों के इलेक्ट्रॉनिक प्रस्तुतीकरण और प्रोसेसिंग के लिए नये दिशानिर्देशों का सैट जारी किया गया है।

### **3.4.2 लेखापरीक्षा उद्देश्य**

जी एस टी व्यवस्था के अन्तर्गत प्रतिदाय मामलों की लेखापरीक्षा का आयोजन यह आकलन करने के लिए किया गया था कि :

- (i) प्रतिदाय देने के संबंध में जारी किए गए अधिनियम, नियमों, अधिसूचनाओं, परिपत्रों आदि की पर्याप्तता;
- (ii) कर प्राधिकारियों द्वारा मौजूदा प्रावधानों का अनुपालन और करदाताओं द्वारा अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए स्थापित प्रणाली की प्रभावशीलता; तथा
- (iii) क्या प्रतिदाय आवेदनों के निपटान में विभागीय अधिकारियों के प्रदर्शन की जाँच करने के लिए प्रभावी आंतरिक नियंत्रण तंत्र मौजूद है।

### **3.4.3 लेखापरीक्षा दृष्टिकोण**

वाह्य लेखापरीक्षा के दौरान, राज्य कर विभाग, उत्तराखण्ड के चयनित क्षेत्रों में जुलाई 2017 से जुलाई 2020 तक संसाधित किए गए प्रतिदाय मामलों की जाँच की गई। जी एस टी एन से अखिल भारतीय प्रतिदाय आँकड़े प्राप्त किए गए थे और विस्तृत जाँच के लिए प्रतिदाय मामलों का एक नमूना निष्कर्षित किया गया था।

जी एस टी एन ने जुलाई 2017 से जुलाई 2020 तक अखिल भारतीय प्रतिदाय आँकड़े प्रदान किए थे। यह देखते हुए कि उपलब्ध प्रतिदाय आँकड़े 26 सितंबर 2019 के दोनों ओर काफी भिन्न हैं, इन दो चरणों के लिए प्रतिदाय जोखिम मापदण्ड भी अलग-अलग हैं। चूंकि 26 सितंबर 2019 से पहले की अवधि के लिए कोई अन्य प्रासंगिक जोखिम मापदण्ड उपलब्ध नहीं थे, इसलिए प्रत्येक श्रेणी के अन्तर्गत प्रतिदाय आवेदनों को करदाताओं द्वारा दावा की गई प्रतिदाय धनराशि के अवरोही क्रम में क्रमबद्ध किया गया था। इसके बाद, क्रमबद्ध प्रतिदाय आवेदनों को चार चतुर्थकों में विभाजित किया गया और नमूना तैयार किया गया। 26 सितंबर 2019 के बाद फाइल प्रतिदाय आवेदनों का चयन करने के लिए जोखिम मापदण्डों का उपयोग करके एक समग्र जोखिम स्कोर तैयार किया गया था।



जैसे कि प्रतिदाय का दावा (60 प्रतिशत महत्व), प्रतिदाय को स्वीकृति देने में विलम्ब (15 प्रतिशत महत्व), स्वीकृत प्रतिदाय/दावाकृत प्रतिदाय अनुपात (10 प्रतिशत महत्व) और जारी किए गए कमी ज्ञापन (15 प्रतिशत महत्व)। उपरोक्त प्राप्त जोखिम स्कोर के आधार पर 26 सितंबर 2019 के बाद की अवधि के लिए प्रतिदाय आवेदनों का चयन किया गया था।

उपरोक्त नमूने के आधार पर, 194 पूर्व-स्वचालन<sup>44</sup> और 191 पश्च-स्वचालन<sup>45</sup> वाले 385 प्रतिदाय मामलों की जाँच की गई, जिनका मौद्रिक मूल्य क्रमशः ₹ 97.52 करोड़ और ₹ 102.42 करोड़ था, जिनकी जाँच नवंबर 2020 से मार्च 2021 तक वाह्य लेखापरीक्षा के दौरान की गई थी।

### 3.4.4 वैधानिक प्रावधान और लेखापरीक्षा जाँच

निम्नलिखित धारा/नियम/अधिसूचनाएं प्रतिदायों का दावा करने की प्रक्रिया प्रदान करती हैं:

- (i) उत्तराखण्ड वस्तु और सेवा कर (यू जी एस टी) अधिनियम, 2017 की धारा 54 से 58 और धारा 77;
- (ii) यू जी एस टी नियम, 2017 के नियम 89 से 97ए; तथा
- (iii) एकीकृत वस्तु और सेवा कर (आई जी एस टी) अधिनियम, 2017 की धारा 15, 16 और 19 ।

केंद्र और राज्य के बीच करदाताओं के विभाजन के बाद, पंजीकृत व्यक्ति को उस क्षेत्राधिकार के कर प्राधिकारी के साथ प्रतिदाय का दावा फाइल करने की आवश्यकता होती है, जिसे करदाता को प्रशासनिक आदेश के अनुसार विभाजित किया गया है। यदि राज्य में ऐसा आदेश जारी नहीं किया गया है तो पंजीकृत व्यक्ति को, संबंधित प्राधिकारी द्वारा करदाताओं को विभाजित करने के लिए प्रशासनिक तंत्र लागू होने तक, केंद्रीय कर प्राधिकारी या राज्य कर प्राधिकारी के समक्ष प्रतिदाय के लिए आवेदन करने की स्वतंत्रता है। तथापि, बाद के मामले में, यह कहते हुए एक स्वघोषणा प्रस्तुत करना आवश्यक है कि प्रतिदाय की स्वीकृति का दावा केवल एक अधिकारी को किया गया है। स्वीकृत प्रतिदाय धनराशि का भुगतान केंद्र या राज्य सरकार के संबंधित कर प्राधिकारी द्वारा ही किया जाएगा। दूसरे शब्दों में, केंद्रीय वस्तु और सेवा कर (सी जी एस टी), आई जी एस टी और उपकर के संबंध में स्वीकृत प्रतिदाय धनराशि का भुगतान केंद्रीय कर प्राधिकारी द्वारा किया जाएगा जबकि राज्य वस्तु और सेवा कर (एस जी एस टी) और केंद्र शासित प्रदेश वस्तु और सेवा कर (यू जी एस टी) के संबंध में यह राज्य/केंद्र शासित प्रदेश कर प्राधिकारी द्वारा किया जाएगा। प्रतिदाय का समय पर पूर्ण भुगतान सुनिश्चित करने के लिए, बोर्ड ने निर्देश दिया था कि संबंधित स्वीकृत प्रतिदाय के भुगतान के उद्देश्य से सात दिनों के भीतर केंद्रीय कर प्राधिकारी या राज्य कर प्राधिकारी द्वारा जारी किए गए प्रतिदाय आदेश को संबंधित समकक्ष कर प्राधिकारी को सूचित किया जाएगा।

<sup>44</sup> 25/09/2019 तक संसाधित जी एस टी प्रतिदाय प्रकरण।

<sup>45</sup> 26/09/2019 से संसाधित जी एस टी प्रतिदाय प्रकरण।

### 3.4.5 लेखापरीक्षा के परिणाम

क्र.सं.	विवरण	प्रमुख लेखापरीक्षा निष्कर्ष
1.	समय के भीतर पावती जारी नहीं की गई।	विभाग, यू जी एस टी नियम, 2017 के नियम 90 (2) के प्रावधानों का पालन नहीं करने के कारण 60 मामलों में आवेदक (इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर से प्रतिदाय के दावों के अतिरिक्त) को समय के भीतर प्रतिदाय के लिए पावती जारी नहीं कर सका। (प्रस्तर 3.4.6)
2.	समय पर प्रतिदाय आदेश स्वीकृत नहीं किए गए।	यू जी एस टी नियम, 2017 के नियम 92 के साथ पठित यू जी एस टी अधिनियम, 2017 की धारा 54 (7) के प्रावधानों के अनुरूप 51 मामलों में ₹ 20.89 करोड़ के प्रतिदाय आदेश को समय पर स्वीकृत नहीं किया गया था परिणामस्वरूप ₹ 11.44 लाख के ब्याज की देयता सृजित हुई, जो यू जी एस टी अधिनियम, 2017 की धारा 56 के अनुसार दावेदारों को देय थी। (प्रस्तर 3.4.7)
3.	शून्य-दर आपूर्ति के कारण अनंतिम प्रतिदाय को समय के भीतर स्वीकृत नहीं किया गया।	छः प्रतिदाय मामलों में, ₹ 2.45 करोड़ की अनंतिम प्रतिदाय की स्वीकृति में विलम्ब हुआ, जिसके परिणामस्वरूप यू जी एस टी नियम, 2017 के नियम 91 (2) के साथ पठित यू जी एस टी अधिनियम, 2017 की धारा 54 (6) के प्रावधानों का अनुपालन नहीं किया गया। (प्रस्तर 3.4.8)
4.	कर अवधि के अंत में इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर (ई सी एल) में न्यूनतम शेष धनराशि पर विचार न किए जाने के कारण अधिक प्रतिदाय दिया जाना।	यू जी एस टी अधिनियम, 2017 की धारा 54 (3), यू जी एस टी नियमावली, 2017 के नियम 89 (3) एवं नियम 89 (4) का उल्लंघन करते हुए कर अवधि के अंत में ई सी एल में न्यूनतम शेष धनराशि पर विचार न करके ₹ 1.55 करोड़ का प्रतिदाय उन चार दावेदारों को दिया गया था जो किसी भी प्रतिदाय के हकदार नहीं थे। (प्रस्तर 3.4.10)
5.	विपरीत शुल्क संरचना के प्रतिदाय की अनियमित अनुमति।	विभाग द्वारा विपरीत शुल्क संरचना का प्रतिदाय प्रदान करते समय इनपुट सेवाओं पर प्राप्त इनपुट टैक्स क्रेडिट (आई टी सी) के कारण प्रतिदाय दावेदारों को ₹ 1.47 करोड़ का अनियमित प्रतिदाय मिला, जबकि 30 मामलों में, विभाग ने विपरीत दर आपूर्ति, निवल आई टी सी और समायोजित कुल टर्नओवर का निर्धारण करने के लिए प्रतिदाय आवेदन के साथ दिए गए विवरणों पर विचार नहीं किया, जिसके कारण ₹ 14.13 करोड़ के प्रतिदाय की अनियमित अनुमति दी गई। (प्रस्तर 3.4.11)
6.	अनंतिम प्रतिदायों की अनियमित स्वीकृति।	विभाग ने चार दावेदारों को विपरीत शुल्क संरचना के कारण प्रतिदाय से संबंधित 90 प्रतिशत का अनंतिम प्रतिदाय जारी किया था, जो वस्तुओं या सेवाओं की शून्य-दर आपूर्ति के मामलों के अतिरिक्त थे, जिसके परिणामस्वरूप ₹ 94.76 लाख की अनंतिम प्रतिदाय का अनियमित भुगतान हुआ। (प्रस्तर 3.4.12)
7.	शून्य-दर आपूर्ति की प्रतिदाय की अनियमित अनुमति।	विभाग ने शून्य-दर आपूर्ति के 11 प्रतिदाय मामलों में, प्रतिदाय की स्वीकृति देते समय जी एस टी आर-3बी के अनुसार शून्य-दर आपूर्ति के टर्नओवर, टर्नओवर के विवरण, अतिरिक्त आई टी सी आदि पर गलत तरीके से विचार करते हुए अनियमित प्रतिदाय की अनुमति दी, जिसके परिणामस्वरूप ₹ 3.23 करोड़ के प्रतिदाय की अनियमित स्वीकृति हुई। (प्रस्तर 3.4.13)

## लेखापरीक्षा टिप्पणियाँ

### 3.4.6 समय के भीतर पावती जारी नहीं किया जाना

यू जी एस टी नियम, 2017 के नियम 90 (2) के अनुसार, इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर से प्रतिदाय के दावे के अतिरिक्त प्रतिदाय के लिए आवेदन उचित अधिकारी को अग्रेषित किया जाएगा, जो उक्त आवेदन दाखिल करने के 15 दिनों की अवधि के भीतर, इसकी पूर्णता के लिए आवेदन की जाँच करेगा और जहाँ नियम 89 के उप-नियम (2), (3) और (4) के संदर्भ में आवेदन पूर्ण पाया जाता है, प्रपत्र जी एस टी आर एफ डी-2 में एक पावती आवेदक को सामान्य पोर्टल के माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक रूप से उपलब्ध कराई जाएगी, जिसमें स्पष्ट रूप से प्रतिदाय के लिए दावा दाखिल करने की तिथि को दर्शाया जाएगा और यू जी एस टी अधिनियम, 2017 की धारा 54 (7) में निर्दिष्ट समय अवधि को दाखिल करने की ऐसी तिथि से गिना जाएगा।

नमूना प्रतिदाय के 385 मामलों की संवीक्षा में पाया गया कि 38 पूर्व-स्वचालन मामलों में और 22 पश्च-स्वचालन मामलों में पावती जारी करने में विलम्ब हुआ था। पावती जारी करने में विलम्ब का अवधि-वार विवरण नीचे तालिका-3.4.1 में दिया गया है।

तालिका-3.4.1: पावती जारी करने में विलम्ब का अवधि-वार विवरण

क्रम संख्या	स्वचालन के प्रकार	मामलों की संख्या	पावती जारी करने में विलम्ब का अवधि-वार विवरण		
			0-3 माह	3-6 माह	6 माह से अधिक
1	पूर्व-स्वचालन	38	19	14	05
2	पश्च-स्वचालन	22	21	01	-

इसके अतिरिक्त, 21 मामलों<sup>46</sup> में, विभाग द्वारा कोई पावती जारी नहीं की गई थी, यद्यपि करदाता को आर एफ डी-06<sup>47</sup> जारी किया गया था। इसके परिणामस्वरूप यू जी एस टी नियम, 2017 के नियम 90 (2) के प्रावधानों का पालन नहीं किया गया, जैसा कि **परिशिष्ट-3.4.1** और **परिशिष्ट-3.4.1 अ** में वर्णित है।

इसे इंगित किए जाने पर (दिसम्बर 2020 से मार्च 2021), विभाग (अप्रैल 2022) ने इस तथ्य को स्वीकार करते हुए अवगत कराया कि जी एस टी के कार्यान्वयन के प्रारंभिक चरण में तकनीकी मुद्दों<sup>48</sup> विलम्ब का मुख्य कारण थे।

### 3.4.7 प्रतिदाय आदेश समय पर स्वीकृत न किया जाना

यू जी एस टी अधिनियम, 2017 की धारा 54 (5) के अनुसार यदि, ऐसे किसी भी आवेदन की प्राप्ति पर, उचित अधिकारी संतुष्ट है कि प्रतिदाय के रूप में दावा की गई धनराशि का पूर्ण या आंशिक भाग प्रतिदाय योग्य है, तो वह तदनुसार आदेश दे सकता है और धनराशि इस प्रकार धारा 57 में संदर्भित निधि में जमा की जाएगी। आगे यू जी एस टी अधिनियम, 2017 की धारा 54 (7) में

<sup>46</sup> पूर्व-स्वचालन।

<sup>47</sup> अंतिम प्रतिदाय आदेश।

<sup>48</sup> जैसे कि अधिकारिक वेबसाइट ठीक से कार्य नहीं कर रही थी और इंटरनेट कनेक्टिविटी में समस्या थी।

प्रावधान है कि उचित अधिकारी सभी मामलों में पूर्ण आवेदन की प्राप्ति की तिथि से 60 दिनों के भीतर उप-धारा (5) के अन्तर्गत आदेश जारी करेगा। इसके अतिरिक्त, यू जी एस टी अधिनियम, 2017 की धारा 56 के अनुसार, यदि किसी आवेदक को धारा 54 की उप-धारा (5) के अन्तर्गत वापस करने का आदेश दिया गया है तथा उप-धारा (1) के अन्तर्गत आवेदन प्राप्त होने की तिथि से 60 दिनों के भीतर वापस नहीं किया जाता है, तो ब्याज ऐसी दर पर जो छः प्रतिशत से अधिक नहीं होगा, जैसा कि परिषद की अनुशंसाओं पर सरकार द्वारा जारी अधिसूचना में निर्दिष्ट किया जा सकता है, उक्त उप-धारा के अन्तर्गत आवेदन की प्राप्ति की तिथि से ऐसे कर की प्रतिदाय की तिथि तक इस तरह के प्रतिदाय के संबंध में 60 दिन की समाप्ति के तुरंत बाद की तिथि से देय होगा।

प्रतिदाय के 385 नमूना मामलों की संवीक्षा में पाया गया कि 37 पूर्व-स्वचालन मामलों में और 14 पश्च-स्वचालन के मामलों में ₹ 20.89 करोड़ के प्रतिदाय की स्वीकृति में विलम्ब हुआ था। प्रतिदाय की स्वीकृति में विलम्ब का अवधि-वार विवरण नीचे तालिका-3.4.2 में दिया गया है।

तालिका-3.4.2: स्वीकृति में विलम्ब का अवधि-वार विवरण।

क्रम संख्या	स्वचालन के प्रकार	मामलों की संख्या	प्रतिदाय की स्वीकृत में विलम्ब का अवधि-वार विवरण		
			0-3 माह	3-6 माह	6 माह से अधिक
1	पूर्व-स्वचालन	37	27	04	06
2	पश्च-स्वचालन	14	14	-	-

इसके परिणामस्वरूप यू जी एस टी नियम, 2017 के नियम 92 के साथ पठित यू जी एस टी अधिनियम, 2017 की धारा 54(7) के प्रावधानों का अनुपालन नहीं किया गया। परिणामस्वरूप, यू जी एस टी अधिनियम, 2017 की धारा 56 के अन्तर्गत विभाग ने दावेदारों को ₹ 11.44 लाख की धनराशि के ब्याज का भुगतान नहीं किया, जैसा कि परिशिष्ट-3.4.2 और परिशिष्ट-3.4.2 अ में वर्णित है।

इसे बार-बार (अगस्त 2021, मार्च 2022 और अप्रैल 2022) इंगित करने के बावजूद, विभाग को अभी तक अपना उत्तर देना था (सितंबर 2022)।

### 3.4.8 शून्य-दर आपूर्ति के अनंतिम प्रतिदाय को समय अन्तर्गत स्वीकृत न किया जाना

यू जी एस टी नियम, 2017 के नियम 91(2) के अनुसार, उचित अधिकारी, दावे और उसके समर्थन में प्रस्तुत साक्ष्य की जाँच के बाद और प्रथम दृष्टया संतुष्ट होने पर कि उप-नियम (1) के अन्तर्गत प्रतिदाय के रूप में दावा की गई धनराशि देय है, आवेदक को धारा 54 की उप-धारा (6) के प्रावधानों के अनुसार प्रपत्र जी एस टी आर एफ डी-4 में एक आदेश देगा। नियम 90 के उप-नियम (1) या उप-नियम (2) के अन्तर्गत पावती की तिथि से सात दिनों से अनधिक की अवधि के भीतर अनंतिम आधार पर उक्त आवेदक को देय प्रतिदाय की धनराशि को स्वीकृति देगा।

लेखापरीक्षा ने पाया कि जुलाई 2020 तक 385 नमूना प्रतिदाय मामलों में से 100 मामले<sup>49</sup> वस्तुओं या सेवाओं या दोनों की शून्य-दर आपूर्ति<sup>50</sup> से संबंधित थे। इन 100 मामलों में से 37 मामलों<sup>51</sup> में अनंतिम प्रतिदाय की मांग की गई थी। शेष मामलों में, निर्धारितियों द्वारा किसी अनंतिम प्रतिदाय की मांग नहीं की गई थी। इन शून्य-दर आपूर्ति मामलों की जाँच की गई, और यह पाया गया कि चार पूर्व-स्वचालन अनंतिम प्रतिदाय मामलों में, ₹ 2.20 करोड़ के अनंतिम प्रतिदाय की स्वीकृति में सात से 19 दिनों तक का विलम्ब था जबकि दो पश्च-स्वचालन मामलों में ₹ 0.25 करोड़ के अनंतिम प्रतिदाय की स्वीकृति में दो से 15 दिनों तक का विलम्ब था। इसके परिणामस्वरूप यू जी एस टी अधिनियम, 2017 की धारा 54(6) के साथ पठित यू जी एस टी नियम, 2017 के नियम 91(2) के प्रावधानों का पालन नहीं किया गया। जैसा कि **परिशिष्ट-3.4.3** और **परिशिष्ट-3.4.3 अ** में वर्णित है। इसे बार-बार (अगस्त 2021, मार्च 2022 और अप्रैल 2022) इंगित करने के बावजूद, विभाग ने अभी तक अपना उत्तर नहीं दिया (सितंबर 2022)।

#### 3.4.9 प्रतिदाय दावों की पश्च-लेखापरीक्षा में विलम्ब/गैर-संचालन

केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क (सी बी आई सी/ पूर्व में केन्द्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क बोर्ड) के परिपत्र संख्या 17/17/2017-जी एस टी दिनांक 15 नवंबर 2017 ने शून्य-दर आपूर्ति के प्रतिदाय के मैनुअल प्रसंस्करण की प्रक्रिया को विस्तृत रूप से निर्धारित किया है। परिपत्र, अन्य बातों के साथ-साथ, निर्धारित करता है कि मैनुअल रूप से संसाधित प्रतिदाय आवेदनों की पूर्व-लेखापरीक्षा की आवश्यकता नहीं है, जब तक कि बोर्ड द्वारा पृथक रूप से विस्तृत दिशानिर्देश जारी नहीं किए जाते हैं, चाहे इसमें सम्मिलित धनराशि कुछ भी हो। तथापि, यह स्पष्ट किया गया कि प्रतिदाय आदेश की पश्च-लेखापरीक्षा मौजूदा दिशानिर्देशों के अनुसार जारी रहेगी। यह प्रक्रिया सी बी आई सी परिपत्र संख्या 24/24/2017 दिनांक 21 दिसम्बर 2017 के अन्तर्गत मैनुअल रूप से संसाधित सभी प्रकार के प्रतिदाय आवेदनों के लिए विस्तारित की गयी थी।

385 नमूना मामलों में से कोई भी मामला पश्च-लेखापरीक्षा के लिए नहीं भेजा गया था। इसके परिणामस्वरूप, बोर्ड के निर्देशों का पालन न करने से राजकोष को राजस्व हानि की संभावना भी हो सकती है।

इसे बार-बार (अगस्त 2021, मार्च 2022 और अप्रैल 2022) इंगित करने के बावजूद, विभाग ने अभी तक उत्तर नहीं दिया (सितंबर 2022)।

<sup>49</sup> 56 पूर्व-स्वचालन प्रकरण और 44 पश्च-स्वचालन प्रकरण।

<sup>50</sup> शून्य-दर आपूर्ति का अर्थ वस्तुओं या सेवाओं या दोनों का निर्यात है: या एक विशेष आर्थिक क्षेत्र विकासक या एक विशेष आर्थिक क्षेत्र इकाई को वस्तुओं या सेवाओं या दोनों की आपूर्ति।

<sup>51</sup> 16 पूर्व-स्वचालन प्रकरण और 21 पश्च-स्वचालन प्रकरण।

**3.4.10 कर अवधि के अंत में इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेज़र में न्यूनतम शेष धनराशि का संज्ञान न लिए जाने के कारण प्रतिदाय की अधिक स्वीकृति**

यू जी एस टी अधिनियम, 2017 की धारा 54 (3) में प्रावधान है कि शून्य-दर आपूर्ति के संबंध में इनपुट टैक्स क्रेडिट (आई टी सी) के प्रतिदाय का दावा पंजीकृत व्यक्तियों द्वारा कर अवधि के अंत में किया जा सकता है। यू जी एस टी नियमावली, 2017 के नियम 89 (3) में प्रावधान है कि आई टी सी के प्रतिदाय के लिए, आवेदक द्वारा दावा किए गए प्रतिदाय के बराबर धनराशि से ई सी एल को डेबिट किया जाएगा। इसके अतिरिक्त, यू जी एस टी नियमावली, 2017 के नियम 89(4) में एक सूत्र निर्धारित किया गया है, जिसके अनुसार शून्य-दर आपूर्ति की वस्तुओं या सेवाओं के मामले में प्रतिदाय स्वीकृत किया जाएगा।

$$\text{प्रतिदाय धनराशि} = (\text{शून्य-दर आपूर्ति की वस्तुओं का टर्नओवर} + \text{शून्य-दर आपूर्ति की सेवाओं का टर्नओवर}) \times \text{शुद्ध आई टी सी} \div \text{समायोजित कुल टर्नओवर}$$

जहाँ, "शुद्ध आई टी सी" का अर्थ प्रासंगिक अवधि के दौरान इनपुट और इनपुट सेवाओं पर लिया गया आई टी सी है और प्रतिदाय धनराशि का आशय अधिकतम प्रतिदाय धनराशि है जो स्वीकार्य है।

सी बी आई सी ने परिपत्र संख्या 59/33/2018-जी एस टी दिनांक 4 सितंबर 2018 के माध्यम से स्पष्ट किया कि शून्य-दर आपूर्ति के अप्रयुक्त आई टी सी के प्रतिदाय के मामले में, प्रतिदाय योग्य धनराशि की गणना निम्नलिखित में से न्यूनतम धनराशि के रूप में की जानी है:

- अ. यू जी एस टी नियम, 2017 के नियम 89(4) में निर्धारित सूत्र के अनुसार अधिकतम प्रतिदाय धनराशि;
- ब. कर अवधि के अंत में दावेदार के ई सी एल में शेष धनराशि जिसके लिए उक्त अवधि के लिए रिटर्न दाखिल करने के बाद प्रतिदाय का दावा फाइल किया जा रहा है; तथा
- स. प्रतिदाय आवेदन दाखिल करने के समय दावेदार के ई सी एल में शेष धनराशि।

385 नमूना मामलों में से 100 मामले<sup>52</sup> शून्य-दर आपूर्ति से संबन्धित थे। इन मामलों की जाँच की गई और यह पाया गया कि चार पूर्व-स्वचालन प्रतिदाय मामलों में, विभाग ने आवेदन दाखिल करते समय ई सी एल में शेष धनराशि के संदर्भ में प्रतिदाय की अनुमति दी थी। तथापि, रिटर्न दाखिल करने के बाद कर अवधि के अंत में ई सी एल में शेष धनराशि शून्य थी। इसलिए, इन मामलों में दावेदार किसी भी प्रतिदाय के हकदार नहीं थे। इसके कारण दावेदारों को ₹ 1.55 करोड़ के अधिक प्रतिदाय की अनुमति दी गई, जैसा कि **परिशिष्ट-3.4.4** में वर्णित है।

इसे बार-बार (अगस्त 2021, मार्च 2022 और अप्रैल 2022) इंगित करने के बावजूद, विभाग ने अभी तक अपना उत्तर नहीं दिया (सितंबर 2022)।

<sup>52</sup> 56 पूर्व-स्वचालन और 44 पश्च-स्वचालन प्रकरण।

### 3.4.11 विपरीत शुल्क संरचना की प्रतिदाय की अनियमित अनुमति

यू जी एस टी अधिनियम 2017 की धारा 54 (3) के अनुसार, एक पंजीकृत व्यक्ति किसी भी कर अवधि के अंत में किसी भी अप्रयुक्त आई टी सी के प्रतिदाय का दावा कर सकता है, जहाँ आउट पुट आपूर्ति (यानी विपरीत शुल्क संरचना) पर कर की दर, इनपुट पर कर की दर से अधिक होने के कारण क्रेडिट जमा हुआ है। इसके अतिरिक्त, यू जी एस टी नियमावली, 2017 के नियम 89(5) में विपरीत शुल्क संरचना के कारण अप्रयुक्त आई टी सी की अधिकतम प्रतिदाय का सूत्र निर्धारित किया गया है। नियम के अनुसार, शुद्ध आई टी सी में केवल प्रासंगिक अवधि के दौरान इनपुट पर प्राप्त आई टी सी सम्मिलित है और इनपुट सेवाओं पर प्राप्त क्रेडिट सम्मिलित नहीं है। यू जी एस टी नियमावली, 2017 के नियम 89(4) में प्रावधानित है कि जहाँ दावा विपरीत शुल्क संरचना के कारण किसी अप्रयुक्त आई टी सी के प्रतिदाय से संबंधित है, एक मामले में प्रतिदाय के लिए आवेदन एक कर अवधि के दौरान प्राप्त और जारी किए गए चालानों की संख्या और तिथि वाले एक विवरण के साथ होगा। वह सूत्र जिसके अनुसार विपरीत शुल्क संरचना के कारण संचित आई टी सी का प्रतिदाय दिया जाएगा।

दावा की जाने वाली अधिकतम प्रतिदाय धनराशि = [(विपरीत दर आपूर्ति की वस्तु एवं सेवा का टर्नओवर x शुद्ध आई टी सी/समायोजित कुल टर्नओवर)- विपरीत दर आपूर्ति की वस्तुओं एवं सेवाओं पर देय कर]

(1) 385 नमूना प्रतिदाय मामलों में से 205 प्रतिदाय मामलों<sup>53</sup> विपरीत शुल्क संरचना से संबंधित थे। इन मामलों की जाँच के दौरान यह पाया गया कि 11 प्रतिदाय मामलों<sup>54</sup> में प्रतिदाय प्रदान करते समय विभाग ने इनपुट सेवाओं पर प्राप्त आई टी सी का भी संज्ञान लिया। इसके परिणामस्वरूप, दावेदारों को ₹ 1.47 करोड़ के प्रतिदाय की अनियमित अनुमति दी गई, जैसा कि **परिशिष्ट-3.4.5** और **परिशिष्ट-3.4.5 अ** में वर्णित है।

(2) आगे, यह पाया गया कि 30 प्रतिदाय मामलों<sup>55</sup> में, प्रतिदाय देते समय विभाग ने विपरीत दर आपूर्ति (2), शुद्ध आई टी सी (1) और समायोजित कुल टर्नओवर (27) के निर्धारण हेतु प्रतिदाय आवेदन के साथ संलग्न विवरण का संज्ञान नहीं लिया। इसके परिणामस्वरूप ₹ 14.13 करोड़ की धनराशि के प्रतिदाय की अनियमित अनुमति दी गई, जैसा कि **परिशिष्ट-3.4.6** और **परिशिष्ट-3.4.6 अ** में दिया गया है।

इसे इंगित किये जाने पर (अगस्त 2021 एवं मार्च 2022) विभाग ने तथ्यों को स्वीकार (अप्रैल 2022) किया।

<sup>53</sup> 92 पूर्व-स्वचालन और 113 पश्च-स्वचालन प्रकरण।

<sup>54</sup> 10 पूर्व-स्वचालन और 01 पश्च-स्वचालन।

<sup>55</sup> 10 पूर्व-स्वचालन और 20 पश्च-स्वचालन।

### 3.4.12 अनंतिम प्रतिदाय का अनियमित भुगतान

यू जी एस टी अधिनियम, 2017 की धारा 54 (6) के अनुसार, पंजीकृत व्यक्तियों द्वारा किए गए वस्तु या सेवाओं या दोनों की शून्य-दर आपूर्ति के कारण प्रतिदाय के किसी भी दावे के मामले में, दावा किए गए प्रतिदाय का 90 प्रतिशत अनंतिम आधार पर स्वीकृत किया जा सकता है और उसके बाद आवेदक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों के उचित सत्यापन के बाद प्रतिदाय दावे के अंतिम निपटान के लिए उप-धारा (5) के अन्तर्गत आदेश दिया जा सकता है। अतः, वस्तुओं और/या सेवाओं की शून्य-दर आपूर्ति के कारण अनंतिम प्रतिदाय की स्वीकृति की अनुमति है, न कि अन्य श्रेणियों में।

385 नमूना मामलों में से 205 मामले<sup>56</sup> विपरीत शुल्क संरचना से संबंधित थे। इन मामलों की जाँच की गई, और यह पाया गया कि चार पूर्व-स्वचालन मामलों<sup>57</sup> में, विभाग ने विपरीत शुल्क संरचना के कारण प्रतिदाय से संबंधित 90 प्रतिशत का अनंतिम प्रतिदाय जारी किया था, जो वस्तुओं या सेवाओं की शून्य-दर आपूर्ति के मामलों के अतिरिक्त अन्य हैं। इस प्रकार, इन मामलों में प्रतिदाय की अनंतिम स्वीकृति दिये जाने के परिणामस्वरूप ₹ 94.76 लाख के अनंतिम प्रतिदाय की अनियमित स्वीकृति दी गई जैसा कि **परिशिष्ट-3.4.7** में वर्णित है।

इसे बार-बार (अगस्त 2021, मार्च 2022 और अप्रैल 2022) इंगित करने के बावजूद, विभाग ने अभी तक अपना उत्तर नहीं दिया (सितंबर 2022)।

### 3.4.13 शून्य-दर आपूर्ति के प्रतिदाय का अनियमित भुगतान

यू जी एस टी अधिनियम, 2017 की धारा 54 (3) के अनुसार आई टी सी की प्रतिदाय के संबंध में कर अवधि के अंत में पंजीकृत व्यक्तियों द्वारा शून्य-दर आपूर्ति का दावा किया जा सकता है। यू जी एस टी नियम, 2017 के नियम 89 (3) में प्रावधान है कि आई टी सी के प्रतिदाय हेतु, आवेदक द्वारा दावा किए गए प्रतिदाय के बराबर धनराशि से ई सी एल को डेबिट किया जाएगा।

चयनित किए गए 385 मामलों में से, 100 प्रतिदाय के मामले शून्य-दर आपूर्ति से संबंधित थे। इन शून्य-दर आपूर्ति मामलों की जाँच की गई, और यह पाया गया कि 11 प्रतिदाय मामलों<sup>58</sup> में, प्रतिदाय देते समय, विभाग ने जी एस टी आर-3बी (छः मामलों) के अनुसार शून्य-दर आपूर्ति के टर्नओवर, टर्नओवर का विवरण-अनुलग्नक 1 'ए' (चार मामले) और अतिरिक्त आई टी सी (एक मामला) प्रतिदाय की स्वीकृति देते समय गलत तरीके से विचार करके अनियमित प्रतिदाय की अनुमति दी। इसके परिणामस्वरूप, ₹ 3.23 करोड़ की धनराशि के प्रतिदाय की अनियमित अनुमति दी गई, जैसा कि **परिशिष्ट-3.4.8** और **परिशिष्ट-3.4.8 अ** में वर्णित है।

<sup>56</sup> 92 पूर्व-स्वचालन और 113 पश्च-स्वचालन।

<sup>57</sup> विपरीत शुल्क संरचना के कारण संचित आई टी सी का प्रतिदाय।

<sup>58</sup> चार पूर्व-स्वचालन (चार प्रकरण-जी एस टी आर-3बी) + सात पश्च-स्वचालन (चार प्रकरण-टर्नओवर, दो प्रकरण-जी एस टी आर-3बी और एक प्रकरण आई टी सी)।



इसे बार-बार (अगस्त 2021, मार्च 2022 और अप्रैल 2022) इंगित करने के बावजूद, विभाग को अभी तक अपना उत्तर देना था (सितंबर 2022)।

#### 3.4.14 निष्कर्ष

वस्तु एवं सेवा कर अधिनियम के प्रावधानों और उसके अन्तर्गत बनाए गए नियमों के बावजूद, विभाग समय पर आवेदकों (इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर से प्रतिदाय के दावे के अतिरिक्त) को प्रतिदाय के लिए पावती जारी नहीं कर सका, प्रतिदाय के आदेश समय पर स्वीकृत नहीं किए गए जिसके परिणामस्वरूप दावेदारों को देय ब्याज की देयता सृजित हुई, शून्य-दर आपूर्ति के कारण अनंतिम प्रतिदाय भी समय पर स्वीकृत नहीं किए गए थे, चयनित मामलों में से कोई भी पश्च-लेखापरीक्षा के लिए नहीं भेजा गया था, कर अवधि के अंत में इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में न्यूनतम शेष धनराशि को ध्यान में न रखते हुए ऐसे दावेदारों को अतिरिक्त प्रतिदाय दिया गया था जो किसी भी प्रतिदाय के हकदार नहीं थे, दावेदार को विपरीत शुल्क संरचना से संबंधित अनियमित प्रतिदाय का भुगतान किया गया था। विभाग ने विपरीत शुल्क संरचना के कारण 90 प्रतिशत का अनंतिम प्रतिदाय जारी किया था जो शून्य-दर आपूर्ति मामलों के अलावा थे। शून्य-दर आपूर्ति के टर्नओवर पर गलत तरीके से विचार करके अनियमित प्रतिदाय की भी अनुमति प्रदान की गई।

#### 3.4.15 अनुशंसाएं

लेखापरीक्षा निष्कर्षों के आलोक में, सरकार निम्न कर सकती है:

- 1) लेखापरीक्षा टिप्पणियों और उसके अनुभव के आलोक में अधिनियम के प्रावधानों और उसके अन्तर्गत बनाए गए नियमों के उल्लंघन में स्वीकृत किए प्रतिदाय के दावों को चिन्हित करें और कानून के अनुसार प्रभावी कार्रवाई करें।
- 2) स्वीकृति में विलम्ब, प्रतिदाय के अनियमित भुगतान और ब्याज की देनदारी के सृजन आदि से बचने के लिए प्रतिदाय की प्रक्रिया में कमियों को कम करने के उपाय करें।
- 3) वस्तु एवं सेवा कर के अनुसार निर्धारित समय-सीमा का पालन सुनिश्चित करने के लिए प्रतिदाय के मामलों के प्रसंस्करण के अनुश्रवण के लिए तंत्र को मजबूत करें।

### 3.5 वस्तु एवं सेवा कर के अन्तर्गत ट्रांजिशनल क्रेडिट पर विषय विशिष्ट अनुपालन लेखापरीक्षा

#### 3.5.1 परिचय

जी एस टी का प्रारम्भ हमारे देश में अप्रत्यक्ष करों के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण सुधार था, जिसने केंद्र और राज्यों द्वारा लगाए जाने और एकत्र किए जाने वाले एकाधिक करों को बदल दिया। जी एस टी वस्तुओं या सेवाओं या दोनों की आपूर्ति पर एक गंतव्य-आधारित कर है, जो बहु-चरणों पर अधिरोपित किया जाता है जिसके अन्तर्गत कर, आपूर्ति के साथ आगे बढ़ता है। कर, जो केंद्र और राज्यों द्वारा एक समान कर आधार पर एक साथ अधिरोपित किया जाता है, आपूर्ति के स्थान पर क्षेत्राधिकार वाले कर प्राधिकारी को प्राप्त होगा। केंद्रीय जी एस टी (सी जी एस टी) और राज्य जी एस टी (एस जी

एस टी)/केंद्र शासित प्रदेश जी एस टी (यू टी जी एस टी) राज्य के भीतर आपूर्ति पर अधिरोपित किया जाता है, जबकि एकीकृत जी एस टी (आई जी एस टी) अंतर्राज्यीय आपूर्ति पर अधिरोपित किया जाता है। आउटपुट टैक्स देनदारी के सापेक्ष सेट-ऑफ के लिए इनपुट, इनपुट सेवाओं और पूंजीगत वस्तुओं पर भुगतान किए गए करों के लिए आई टी सी की उपलब्धता, जी एस टी की प्रमुख विशेषताओं में से एक है। यह करों के व्यापक प्रभाव से बचायेगा और विक्रेता से क्रेता तक क्रेडिट का निर्बाध प्रवाह सुनिश्चित करेगा। विद्यमान अधिनियमों से जी एस टी व्यवस्था में इनपुट टैक्स का निर्बाध प्रवाह सुनिश्चित करने के लिए, 'इनपुट टैक्स के लिए ट्रांजिशनल व्यवस्था' को जी एस टी अधिनियमों में इसलिए सम्मिलित किया गया था ताकि विद्यमान विधि के अन्तर्गत भुगतान किए गए उचित करों या शुल्कों के संबंध में इनपुट टैक्स का दावा करने का अधिकार और तरीका उपलब्ध कराया जा सके।

### 3.5.2 इनपुट टैक्स क्रेडिट के लिए ट्रांजिशनल व्यवस्था

उत्तराखण्ड वस्तु और सेवा कर अधिनियम (यू जी एस टी अधिनियम), 2017 की धारा 140, करदाताओं को विद्यमान अधिनियमों के अन्तर्गत अर्जित की गई आई टी सी को जी एस टी व्यवस्था में आगे ले जाने में सक्षम बनाती है। उत्तराखण्ड वस्तु और सेवा नियमावली, 2017 के नियम 117 के साथ पठित उक्त धारा इस संबंध में विस्तृत प्रक्रियाओं को निर्धारित करती है। आई टी सी के लिए ट्रांजिशनल व्यवस्था के अन्तर्गत, विद्यमान अधिनियमों, जैसे राज्य मूल्य वर्धित कर (वैट), केंद्रीय मूल्य वर्धित कर (सेनवैट) आदि, के अन्तर्गत भुगतान किए गए विभिन्न करों की आई टी सी निम्नानुसार जी एस टी व्यवस्था में आगे ले जाने हेतु पात्र हैं:

- i. **विरासत विवरणी में क्रेडिट का अन्तिम शेष:** विवरणी में उपलब्ध वैट क्रेडिट/सेनवैट क्रेडिट के अन्तिम शेष, जो कि नियत दिन<sup>59</sup> से ठीक पूर्व के माह के लिये विद्यमान विधि के अन्तर्गत दाखिल की गई है, को ई सी एल में क्रेडिट के रूप में लिया जा सकता है।
- ii. **पूंजीगत वस्तुओं पर अप्रयुक्त क्रेडिट:** पूंजीगत वस्तुओं पर अप्रयुक्त क्रेडिट की शेष किस्त को जी एस टी ट्रान-1 में अपेक्षित घोषणा दाखिल करके लिया जा सकता है।
- iii. **शुल्क भुगतान किए गए स्टॉक पर क्रेडिट:** एक पंजीकृत कर योग्य व्यक्ति, निर्माता या सेवा प्रदाता के अलावा, इनवॉयसों के आधार पर स्टॉक में रखी गई वस्तुओं पर भुगतान किए गए कर/शुल्क का क्रेडिट ले सकता है।
- iv. **शुल्क भुगतान किए गए स्टॉक पर क्रेडिट, जब पंजीकृत व्यक्ति के पास वैट/उत्पाद शुल्क के भुगतान के साक्ष्य का दस्तावेज न हो:** जिन व्यापारियों के पास वैट या उत्पाद शुल्क इनवॉयस नहीं है, वे शुल्क भुगतान किए गए स्टॉक पर क्रेडिट लेने के लिए पात्र हैं।

<sup>59</sup> जिस दिन अधिनियम के प्रावधान लागू हुए अर्थात् 01 जुलाई 2017 ।

- v. **विद्यमान अधिनियमों के अन्तर्गत करमुक्त वस्तुएँ, जो अब कर योग्य हैं से संबंधित क्रेडिट:** करमुक्त वस्तुओं या सेवाओं के फलस्वरूप स्टॉक में इनपुट, अर्धनिर्मित एवं निर्मित वस्तुओं के संबंध में वैट/सेनवैट का आई टी सी, जो अब जी एस टी में कर योग्य हैं।
- vi. **पारगमन में इनपुट/इनपुट सेवाएँ:** नियत दिन या उसके पश्चात् प्राप्त इनपुट या इनपुट सेवाएं लेकिन उस पर शुल्क या कर का भुगतान आपूर्तिकर्ता द्वारा विद्यमान विधि के अन्तर्गत किया गया था।
- vii. **समाधान योजना के अन्तर्गत विद्यमान विधि के अधीन किया गया कर भुगतान:** जो करदाता विद्यमान विधि के अन्तर्गत देय कर के बदले में निश्चित धनराशि या निश्चित दर पर कर का भुगतान कर चुके थे, अब जी एस टी के अन्तर्गत, सामान्य योजना के अन्तर्गत कार्य कर रहे हैं, वे नियत तिथि को अपने इनपुट स्टॉक, अर्धनिर्मित एवं निर्मित स्टॉक पर क्रेडिट का दावा कर सकते हैं।
- viii. **वैट अधिनियम और वित्त अधिनियम, 1994, दोनों के अन्तर्गत किसी आपूर्ति पर भुगतान किए गए कर के संबंध में क्रेडिट:** आपूर्ति के संबंध में ट्रांजिशनल क्रेडिट, जो विद्यमान विधि के अन्तर्गत वैट और सेवा कर दोनों को आकर्षित करता है, जिसके लिए कर का भुगतान नियत तिथि से पहले किया गया था और जिसकी आपूर्ति नियत तिथि के पश्चात् की गई है।

करदाता, अधिनियम की धारा 140 की संगत उप-धारा के अन्तर्गत निम्न तालिका-3.5.1 में उल्लिखित उपयुक्त तालिकाओं में दो प्रपत्रों ट्रान-1 और ट्रान-2 में ट्रांजिशनल क्रेडिट के घटकों का दावा कर सकते हैं।

तालिका-3.5.1: आई टी सी के लिए ट्रांजिशनल व्यवस्था

विवरणी	तालिका संख्या	ट्रांजिशनल क्रेडिट के घटक
ट्रान-1	5(सी)	अंतिम विवरणी से क्रेडिट की अंतिम शेष धनराशि।
ट्रान-1	6(बी)	पूजीगत वस्तुओं पर अप्रयुक्त क्रेडिट।
ट्रान-1	7(बी)	पारगमन में इनपुट/इनपुट सेवा पर क्रेडिट।
ट्रान-1	7(सी)	चालानों/दस्तावेजों द्वारा समर्थित इनपुट पर भुगतान किए गए वैट और प्रवेश कर के संबंध में क्रेडिट।
ट्रान-1	7(डी)	वस्तुओं के स्टॉक के संबंध में क्रेडिट जो कर के भुगतान के साक्ष्य चालानों/दस्तावेजों द्वारा समर्थित नहीं है। (केवल एक बिंदु पर वैट रखने वाले राज्यों में होने के लिए)
ट्रान-1	9	प्रधान की ओर से जॉब-वर्कर को भेजे गए और उसके स्टॉक में रखी गई वस्तुओं का विवरण।
ट्रान-1	10	प्रधान की ओर से एजेंट के रूप में स्टॉक में रखी गई वस्तुओं का विवरण।
ट्रान-1	11	किसी आपूर्ति के संबंध में क्रेडिट जहाँ वैट के साथ-साथ सेवा कर का भुगतान नियत दिन से पहले किया गया था और आपूर्ति नियत दिन के पश्चात् की गई थी।
ट्रान-2	4	बिना चालानों के दावा किए गए स्टॉक पर दिया गया क्रेडिट।
ट्रान-2	5	वस्तुओं के स्टॉक के संबंध में क्रेडिट जो कर के भुगतान के साक्ष्य चालानों/दस्तावेजों द्वारा समर्थित नहीं है। (केवल एक बिंदु पर वैट रखने वाले राज्यों में होने के लिए)

समाधान योजना (अधिनियम की धारा-10 के अन्तर्गत) के अन्तर्गत कर का भुगतान करने वालों को छोड़कर, समस्त पंजीकृत करदाता नियत दिन से 90 दिनों के भीतर ट्रान-1 दाखिल करके ट्रांजिशनल क्रेडिट का दावा करने के पात्र हैं, तथापि समय सीमा को दिनांक 31 मार्च 2020 तक बढ़ाया<sup>60</sup> गया था।

### 3.5.3 संदर्भ और महत्व

विरासती व्यवस्था से जी एस टी व्यवस्था में आई टी सी का एक बार प्रवाह होने के कारण ट्रांजिशनल क्रेडिट का लाभ पिछली व्यवस्था से प्रवास करने वाले करदाताओं के साथ-साथ जी एस टी के अन्तर्गत नए पंजीकरणकर्ता द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। 31 मार्च 2018 तक, 1.19 लाख (राज्य क्षेत्राधिकार-70,004 व्यापारी तथा केंद्रीय क्षेत्राधिकार-48,578 व्यापारी)<sup>61</sup> करदाता यू जी एस टी के अन्तर्गत पंजीकृत थे जिसमें से 2,954 करदाताओं ने राज्य कर के अन्तर्गत ₹ 172.64 करोड़ के ट्रांजिशनल क्रेडिट का दावा किया था। उपरोक्त 2,954 ट्रान-1 विवरणियों में से, विभाग ने 1,008 विवरणियों का सत्यापन किया था (जनवरी 2022)। इस संदर्भ में, ट्रांजिशनल दावों की लेखापरीक्षा जाँच के लिए 200 करदाताओं को चिन्हित किया गया था। राज्य कर के अन्तर्गत इन 200 करदाताओं<sup>62</sup> के ट्रांजिशनल दावे कुल ₹ 114.19 करोड़ थे। इन 200 दावों का तालिकावार (ट्रान-1) वितरण नीचे तालिका-3.5.2 में दर्शाया गया है।

तालिका-3.5.2: ट्रांजिशनल क्रेडिट दावों का तालिकावार (ट्रान-1) वितरण

ट्रान-1 की तालिका	व्यापारियों की संख्या	दावाकृत धनराशि (₹ करोड़ में)
5(सी)	153	107.98
6(बी)	23	1.81
7(बी)	12	0.60
7(सी)	31	2.69
10	3	0.04
11	2	1.08

तालिका 5(सी) में अंतिम वैट क्रेडिट के रूप में परिवर्तित क्रेडिट, कुल किए गए ट्रांजिशनल क्रेडिट के दावे का 94.56 प्रतिशत महत्वपूर्ण भाग है और बाकी तालिकाओं में दावा किए गए कुल ट्रांजिशनल क्रेडिट का शेष 5.44 प्रतिशत है।

<sup>60</sup> ट्रान-1 विवरणी दाखिल करने की समय सीमा को शुरू में 27.12.2017 तक बढ़ा दिया गया था। तथापि, कई करदाता तकनीकी कठिनाईयों के कारण नियत तिथि के भीतर विवरणी दाखिल नहीं कर पाए। इस लिए, ऐसे करदाताओं को समायोजित करने के लिए अधिसूचना 48/2018 सी टी दिनांक 10.09.2018 द्वारा सी जी एस टी नियम, 2017 के नियम 117 के अन्तर्गत उपनियम 1ए को जोड़ा गया था। उन करदाताओं के लिए जो तकनीकी कठिनाईयों के कारण ट्रान-1 दाखिल नहीं कर पाए थे और उन मामलों के लिए जो जी एस टी परिषद् द्वारा अनुशंसित थे, के लिए सी बी आई सी के आदेश संख्या: 01/2020-जी एस टी दिनांक 07.02.2020 के माध्यम से ट्रान-1 दाखिल करने की निर्धारित तिथि को दिनांक 31.03.2020 तक बढ़ा दिया गया था।

<sup>61</sup> आयुक्त, राज्य कर, उत्तराखण्ड पत्र संख्या: 3662/आयुक्त कर, उत्तराखण्ड/प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा); 21 अक्टूबर, 2021।

<sup>62</sup> दावों की संख्या, जैसा कि चार्ट में दर्शाया गया है, चयन (200) से अधिक है क्योंकि कुछ करदाताओं द्वारा एक से अधिक श्रेणी में ट्रांजिशनल क्रेडिट प्रस्तुत किया गया था।

### 3.5.4 लेखापरीक्षा उद्देश्य

ट्रांजिशनल क्रेडिट के दावे प्रत्यक्ष रूप से जी एस टी के राजस्व को प्रभावित करते हैं, क्योंकि क्रेडिट, करदाताओं की आउटपुट टैक्स देनदारी के सापेक्ष सेट-ऑफ के लिए होते हैं। इस प्रकार, ट्रांजिशनल क्रेडिट की लेखापरीक्षा, आश्वासन प्राप्त करने हेतु निम्नलिखित उद्देश्यों के साथ की गई थी:

- (i) क्या ट्रांजिशनल क्रेडिट दावों के चयन एवं सत्यापन हेतु विभाग द्वारा परिकल्पित तंत्र पर्याप्त और प्रभावी था; तथा
- (ii) क्या करदाताओं द्वारा जी एस टी व्यवस्था में अग्रसारित किए गए ट्रांजिशनल क्रेडिट वैध और स्वीकार्य थे।

### 3.5.5 लेखापरीक्षा कार्यक्षेत्र

लेखापरीक्षा कार्यक्षेत्र में यू जी एस टी एक्ट 2017 की धारा 140 के अन्तर्गत नियत तिथि से मार्च 2020 के अंत तक करदाताओं द्वारा दाखिल किए गए ट्रांजिशनल क्रेडिट विवरणी की समीक्षा सम्मिलित की गई। इसमें अधिनियम के अन्तर्गत ट्रांजिशनल क्रेडिट के लिए निर्दिष्ट नियमों की पर्याप्तता की जाँच, अनुपालन आश्वासन हेतु ट्रांजिशनल क्रेडिट दावों की जाँच के लिए विभागीय सत्यापन प्रक्रिया की प्रभावशीलता और पाए गए विचलन पर की गई अनुवर्ती कार्रवाई सम्मिलित की गई।

### 3.5.6 लेखापरीक्षा पद्धति

ट्रांजिशनल क्रेडिट दावों की लेखापरीक्षा के लिए अपनाई गई पद्धति में अंतर्निहित अभिलेखों की लेखापरीक्षा के चयन, प्रकृति और सीमा का निर्धारण करने हेतु डेटा विश्लेषण सम्मिलित था। मूल लेखापरीक्षा में क्षेत्रीय कार्यालयों में अनुरक्षित ट्रांजिशनल क्रेडिट से संबंधित अभिलेखों की जाँच, ट्रांजिशनल क्रेडिट के संबंध में पराक्षेत्राधिकार कार्यों के कार्यान्वयन के लिए अपनाई गई प्रक्रिया; विभाग द्वारा अपनाई गई ट्रान सत्यापन प्रक्रिया और पाए गए विचलन पर की गई अनुवर्ती कार्रवाई सम्मिलित थी। इसमें अनुपालन आश्वासन हेतु चयनित ट्रांजिशनल क्रेडिट दावों की एक स्वतंत्र जाँच भी सम्मिलित थी। चयनित किए गए ट्रान-1 मामलों की जाँच संबंधित क्षेत्रीय संयुक्त आयुक्तों के अधीन उपायुक्त/सहायक आयुक्त, राज्य कर के कार्यालयों में माह जुलाई 2021 से सितंबर 2021 के मध्य की गई। विभाग को ड्राफ्ट प्रतिवेदन दिनांक 31 दिसम्बर 2021 को निर्गत किया गया था।

### 3.5.7 लेखापरीक्षा मानदण्ड

उत्तराखण्ड जी एस टी अधिनियम 2017 की धारा 140 विरासत वैट प्रावधानों से वैट क्रेडिट के ट्रांजिशन को शासित करती है। यह धारा उत्तराखण्ड जी एस टी नियमावली 2017 के नियम 117 तथा सी बी आई सी द्वारा जारी सुसंगत अधिसूचनाओं/परिपत्रों एवं उत्तराखण्ड सरकार द्वारा जारी आदेशों के साथ पढ़ी जाये।

### 3.5.8 चयन एवं अच्छादन

लेखापरीक्षा जाँच हेतु ₹ 114.19 करोड़ के कुल ट्रांजिशनल क्रेडिट दावों के 200 मामलों को चिन्हित किया गया था। विरासत डेटा का डेटा विश्लेषण एवं जी एस टी एन ट्रांजिशनल डेटा के साथ इसकी तुलना का उपयोग निम्नलिखित तीन मापदंडों के आधार पर जोखिम-आधारित लेखापरीक्षा नमूने को चिन्हित करने के लिए किया गया था:

1. पूर्व व्यवस्था में अन्तिम विवरणी (वैट) अर्थात् जून, 2017 में दर्शाये गये अन्तिम शेष तथा ट्रान-1 में दर्शाई गई तालिका 5(सी), 6(बी), 7(बी), 7(सी), 7(डी), 10 एवं 11 के समेकित अन्तिम शेष की तुलना।
2. ऐसे प्रकरण जहाँ जून 2017 और अक्टूबर 2016/दिसम्बर 2016 के मध्य क्रेडिट के अन्तिम शेष के अंतर को लेने की पद्धति अपनाकर क्रेडिट में वृद्धि दर 25 प्रतिशत से अधिक है।
3. विगत छः माह या विगत दो तिमाहियों की विवरणी दाखिल न करना।

### लेखापरीक्षा निष्कर्ष

लेखापरीक्षा निष्कर्षों को लेखापरीक्षा के उद्देश्यों के आधार पर दो व्यापक क्षेत्रों प्रणालीगत और अनुपालन मामलों के रूप में वर्गीकृत किया गया है। प्रणालीगत मामले परिकल्पित सत्यापन तंत्र की पर्याप्तता एवं प्रभावशीलता तथा जी एस टी एन पोर्टल की प्रभावकारिता को संबोधित करते हैं, जबकि अनुपालन मामले अधिनियम और नियमों के प्रावधानों से विचलन को संबोधित करते हैं।

ट्रांजिशनल क्रेडिट की लेखापरीक्षा मुख्य रूप से विभाग द्वारा उपलब्ध कराए गए अभिलेखों और अंतर्निहित अभिलेखों यथा जी एस टी एन पोर्टल पर उपलब्ध ट्रान-1, ट्रान-2 एवं ई सी एल, की पहुँच तक निर्भर थी। लेखापरीक्षा निष्कर्षों पर आगामी प्रस्तारों में चर्चा की गई है।

### 3.5.9 प्रणालीगत मामले

प्रणालीगत मामलों में अधिनियम के प्रासंगिक प्रावधानों के साथ जी एस टी एन पोर्टल की संगतता के लिए लागू प्रावधानों की समीक्षा, विभाग द्वारा परिकल्पित सत्यापन तंत्र, सत्यापन तंत्र में नीति/प्रक्रियात्मक अंतराल तथा वसूली प्रक्रिया की दक्षता सम्मिलित थे, जैसा कि निम्न चर्चा की गई है:

#### 3.5.9.1 जी एस टी एन पोर्टल में प्रभावकारिता का अभाव

- (i) यू जी एस टी नियमावली, 2017 के नियम 117(3) में प्रावधान है कि ट्रान-1 आवेदन में निर्दिष्ट क्रेडिट की धनराशि को सामान्य पोर्टल पर प्रपत्र जी एस टी पी एम टी-2 में बनाए गए आवेदक के ई सी एल में जमा किया जाएगा। अतः, ई सी एल में क्रेडिट के लिए लागू व्यावसायिक नियमों को ट्रान-1 विवरणी में दावा किए गए क्रेडिट से अधिक क्रेडिट की अनुमति नहीं देनी चाहिए।

दो राज्य कर कार्यालयों के अभिलेखों की लेखापरीक्षा जाँच में पाया गया कि व्यापारियों के ई सी एल को करदाताओं द्वारा दावा किये गये क्रेडिट से अधिक क्रेडिट किया गया था, जैसा कि निम्नवत् वर्णित है:

➤ उप-आयुक्त-1, रुद्रपुर के क्षेत्राधिकार में एक व्यापारी मैसर्स नलिन इण्डस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड द्वारा (जी एस टी आई एन:05AAECN0317J1ZS), ट्रान-1 की तालिका 7 में ₹ 9.21 लाख के ट्रांजिशनल क्रेडिट का दावा (26 अगस्त 2017) किया गया था। तथापि, व्यापारी के ई सी एल को ₹ 18.42 लाख की धनराशि से क्रेडिट किया गया था (26 अगस्त 2017)। इस प्रकार, करदाता द्वारा दावा किए गए क्रेडिट से ₹ 9.21 लाख अधिक ई सी एल में क्रेडिट हो गया था।

लेखापरीक्षा द्वारा यह दिसम्बर 2021 में इंगित किया गया, विभाग का उत्तर प्राप्त नहीं हुआ (सितंबर 2022)।

➤ इसी प्रकार, उप-आयुक्त-1, हल्द्वानी के क्षेत्राधिकार में एक व्यापारी मैसर्स तायाजी एंड संस प्राइवेट लिमिटेड द्वारा (जी एस टी आई एन: 05AAACT2611H1ZU) ट्रान-1 की तालिका 5(ए) में ₹ 6.88 लाख के ट्रांजिशनल क्रेडिट का दावा किया गया था (26 अगस्त 2017)। जबकि व्यापारी की ई सी एल को ₹ 13.75 लाख की धनराशि के साथ क्रेडिट किया गया (26 अगस्त 2017)। इस प्रकार, करदाता द्वारा दावा किए गए क्रेडिट से ₹ 6.87 लाख अधिक ई सी एल में क्रेडिट हो गया था।

लेखापरीक्षा द्वारा यह दिसम्बर 2021 में इंगित किया गया, विभाग का उत्तर प्राप्त नहीं हुआ (सितंबर 2022)।

(ii) उप-आयुक्त-1, ऋषिकेश के क्षेत्राधिकार में व्यापारी मैसर्स जेट स्टार इण्डस्ट्रीज (जी एस टी आई एन: 05AETPP1360D2ZJ), द्वारा दाखिल किए गए ट्रान-1 की लेखापरीक्षा जाँच में पाया गया कि दिनांक 29 नवम्बर 2017 को व्यापारी के ई सी एल को राज्य कर क्रेडिट के रूप में ₹ 92.74 लाख की धनराशि क्रेडिट की गई थी। जबकि व्यापारी ने ट्रान-1 के अन्तर्गत राज्य कर क्रेडिट के रूप में किसी भी धनराशि का दावा नहीं किया था।

लेखापरीक्षा द्वारा यह दिसम्बर 2021 में इंगित किया गया, विभाग का उत्तर प्राप्त नहीं हुआ (सितंबर 2022)।

(iii) उप-आयुक्त-2, रुद्रपुर के क्षेत्राधिकार में तीन व्यापारियों द्वारा दाखिल किए गए ट्रान-1 की लेखापरीक्षा जाँच में गलत दावा की गई आई टी सी ₹ 9.89 लाख ई सी एल में क्रेडिट पाया गया। तत्पश्चात्, उक्त व्यापारियों द्वारा इन क्रेडिटों को जी एस टी आर-9 (वार्षिक विवरणी प्रपत्र) में विलोमित कर दिया गया था, परन्तु ई सी एल में डेबिट और डी आर सी-03 (स्वैच्छिक कर भुगतान प्रपत्र) के माध्यम से रोकड़ बही में जमा बाद की तारीखों में किया गया था, जैसा कि निम्न तालिका-3.5.3 में वर्णित है।

तालिका-3.5.3: जी एस टी आर-09 में आई टी सी को विलोमित एवं ई सी एल तथा रोकड़ बही में डेबिट का विवरण  
(धनराशि ₹ में)

क्रम सं.	व्यापारी का नाम (जी एस टी आई एन)	दावाकृत धनराशि	दावे की तिथि	विलोमित धनराशि	जी एस टी आर-09 में विलोमित की तिथि	ई सी एल में डेबिट की तिथि (धनराशि)	रोकड़ बही में जमा की तिथि (डी आर सी-03 के माध्यम से)
1	मैसर्स श्याम इण्डस्ट्रीज (05ACZFS9624D1ZL)	1,82,309	28.08.2017	1,82,309	08.01.2020	13.02.2020 (₹ 70,874)	13.02.2020 (₹ 1,11,435)
2	मैसर्स कटारिया इण्डस्ट्रीज (05AAQFK3909A1ZK)	6,59,255	28.08.2017	6,59,255	17.01.2020	14.02.2020 (₹ 5,96,164)	14.02.2020 (₹ 63,091)
3	मैसर्स दयाल इण्डस्ट्रीज (05AAIFD6583F1ZD)	1,47,339	27.12.2017	1,47,339	03.02.2020	12.02.2020	-
	<b>योग</b>	<b>9,88,903</b>		<b>9,88,903</b>			

साथ ही, इन व्यापारियों द्वारा दाखिल किए गए डी आर सी-03 का सत्यापन और उचित अधिकारी द्वारा डी आर सी-04 (स्वेच्छा से किए गए भुगतान की स्वीकृति की पावती) जारी किया जाना लेखापरीक्षा की तिथि तक लंबित था।

उपर्युक्त अनियमितताएं जी एस टी एन पोर्टल में प्रभावकारिता और आवश्यक जाँच की कमी को दर्शाती हैं।

लेखापरीक्षा द्वारा यह दिसम्बर 2021 में इंगित किया गया, विभाग का उत्तर प्राप्त नहीं हुआ (सितंबर 2022)।

### 3.5.9.2 विभाग द्वारा परिकल्पित सत्यापन तंत्र

राज्य कर विभाग, उत्तराखण्ड ने ट्रांजिशनल क्रेडिट दावों की स्वीकार्यता एवं वैधता की जाँच तथा अनियमित ट्रांजिशनल क्रेडिट दावों का पता लगाने के प्रकरण में आवश्यक कार्रवाई हेतु निर्देश<sup>63</sup> जारी किए थे। 200 मामलों के चयनित नमूने की लेखापरीक्षा में पाया गया कि विभाग लेखापरीक्षा की तिथि (सितंबर 2021) तक केवल 15 व्यापारियों (7.5 प्रतिशत) के ट्रांजिशनल क्रेडिट दावों का ही सत्यापन कर सका, जबकि इन सभी ट्रांजिशनल क्रेडिट दावों को व्यापारियों/करदाताओं द्वारा दिसम्बर 2017 तक प्रस्तुत कर दिया गया था।

लेखापरीक्षा ने जुलाई से सितंबर 2021 के दौरान इसे किया गया, विभाग<sup>64</sup> ने अवगत कराया कि लेखापरीक्षा नमूनों के 200 मामलों में से 20 मामलों का और सत्यापन करते हुए कुल 35 मामलों का सत्यापन उनके द्वारा पूरा कर लिया गया था।

<sup>63</sup> पत्र संख्या: 5110/आयु.रा.का.उत्तरा. विधि अनु./रा.का.मु./2017-18/दे.दून.; दिनांक 25 जनवरी, 2018।

<sup>64</sup> पत्र संख्या: 5879/आयु.रा.का.उत्तरा. विधि अनु./रा.का.मु./2017-18/दे.दून.; दिनांक 12 जनवरी 2022।



इस प्रकार, विभाग तीन वर्ष से अधिक समय व्यतीत होने के बाद भी समस्त ट्रांजिशनल क्रेडिट दावों का सत्यापन करने में विफल रहा।

### 3.5.9.3 अपात्र दावों की वसूली हेतु अनुवर्ती उपाय

सत्यापन तंत्र की पर्याप्तता, जाँच के परिणाम, निरंतर अनुवर्ती कार्रवाई और राजस्व की रक्षा के लिए पाए गए विचलन के सापेक्ष पर्याप्त वसूली उपायों की पहल द्वारा निर्धारित की जाती है। लेखापरीक्षा ने उन मामलों के संबंध में वसूली के पहलुओं की जाँच की, जहाँ विभागीय सत्यापन के परिणामस्वरूप प्रावधानों के अन्तर्गत अपात्र या गलत क्रेडिट दावों का पता चला था।

उत्तराखण्ड जी एस टी नियमावली 2017 के नियम 121 में प्रावधान है कि नियम 117 के उप-नियम (3) के अन्तर्गत गलत तरीके से लिए गए और ई सी एल में जमा किए गए ट्रांजिशनल क्रेडिट को अधिनियम की धारा 73 के अन्तर्गत या धारा 74 के अन्तर्गत, जैसा भी प्रकरण हो, वसूल किया जा सकता है।

लेखापरीक्षा जाँच में पाया गया कि उप आयुक्त-3, रुड़की के क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत विद्यमान विधि के अधीन कार्य-ठेकेदार के रूप में पंजीकृत एक व्यापारी<sup>65</sup> के ट्रांजिशनल क्रेडिट दावे के विभागीय सत्यापन के परिणामस्वरूप ₹ 2.51 लाख की धनराशि के क्रेडिट के अधिक दावे का पता चला था। विभाग को गलत लिए गए क्रेडिट की वसूली के लिए अधिनियम की धारा 74 के अन्तर्गत कार्रवाई प्रारम्भ करनी चाहिए थी, लेकिन विभाग ने विद्यमान विधि के अधीन कार्रवाई की जो अधिनियम के प्रावधानों और इस संबंध में जारी विभागीय आदेश के अनुसार नहीं थी।

लेखापरीक्षा द्वारा यह दिसम्बर 2021 में किया गया, विभाग का उत्तर प्राप्त नहीं हुआ (सितंबर 2022)।

### 3.5.10 अनुपालन के मामले

अनुपालन मामले करदाताओं द्वारा जी एस टी शासन में अग्रसारित ट्रांजिशनल क्रेडिट की वैधता और स्वीकार्यता से संबंधित हैं। करदाताओं को ट्रान-1 और ट्रान-2 की उपयुक्त तालिकाओं में ट्रांजिशनल क्रेडिट का दावा करना आवश्यक था जैसा कि ऊपर तालिका-3.5.1 में दर्शाया गया है। लेखापरीक्षा हेतु चिन्हित नमूनों ने इन तालिकाओं में से प्रत्येक के अन्तर्गत दावों का प्रतिनिधित्व किया जिससे समग्र अनुपालन आश्वासन हेतु तालिकावार लागू प्रावधानों की पर्याप्तता की जाँच की जा सकी।

लेखापरीक्षा जाँच ने यू जी एस टी अधिनियम 2017 की धारा 140, धारा 142 (9) (ए) एवं (बी) के साथ-साथ धारा 50 (3) के अन्तर्गत विभिन्न श्रेणियों में करदाताओं के ट्रांजिशनल क्रेडिट दावों में विभिन्न कमियों का खुलासा किया। अनुपालन विचलन के रूप में ये कमियाँ, विरासत विवरणी से क्रेडिट के अन्तिम शेष का ट्रांजिशन, पूंजीगत वस्तुओं पर अप्रयुक्त क्रेडिट, कर भुगतान के साक्ष्य के

<sup>65</sup> मै. गिरधारी लाल कन्स्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड (जी एस टी आई एन: 05AABCG9035B1Z2)।

रूप में इन्वॉयस/दस्तावेजों द्वारा समर्थित इनपुट पर भुगतान किए गए वैट और प्रवेश कर के संबंध में क्रेडिट, वस्तुओं के स्टॉक के संबंध में क्रेडिट जो कर के भुगतान के साक्ष्य के रूप में इन्वॉयस/दस्तावेजों द्वारा समर्थित नहीं है (केवल उन राज्यों में जहाँ वैट एकल बिंदु पर है), पारगमन में इनपुट पर क्रेडिट, किसी आपूर्ति के संबंध में क्रेडिट जहाँ नियत दिन से पहले वैट के साथ-साथ सेवा कर का भुगतान किया गया था और आपूर्ति नियत दिन के बाद की गई थी, पायी गई थी।

नमूनाकृत 200 मामलों की लेखापरीक्षा में 160 मामलों में अनुपालन विचलन पाया गया था, जिससे 80 प्रतिशत विचलन दर स्थापित हुई। उच्च विचलन दर, जैसा कि नीचे तालिका-3.5.4 में दर्शाया गया है, इंगित करती है कि विभाग ने ट्रांजिशनल क्रेडिट दावा मामलों के सत्यापन के संबंध में उचित कार्रवाई प्रारम्भ नहीं की थी। इन अनुपालन विचलनों को आगामी प्रस्तारों में वर्णित किया गया है।

तालिका-3.5.4: अनुपालन विचलन की श्रेणियाँ

(₹ लाख में)

क्र. सं.	लेखापरीक्षा टिप्पणी की प्रकृति	लेखापरीक्षा नमूना		पायी गई कमियाँ		कमियाँ (नमूने का प्रतिशत)	
		संख्या	धनराशि	संख्या	धनराशि	संख्या	धनराशि
1.	कर भुगतान दस्तावेजों के साथ स्टॉक में वस्तुओं पर ट्रांजिशनल क्रेडिट का अनियमित दावा	3	28.10	3	28.10	100.00	100.00
2.	शुल्क भुगतान किए गए दस्तावेजों के बिना स्टॉक में वस्तुओं पर ट्रांजिशनल क्रेडिट का अनियमित दावा	3	4.22	3	4.22	100.00	100.00
3.	आई टी सी का अधिक अग्रसारण*	136	9574.26	133	7820.86	97.79	81.69
4.	पंजीगत वस्तुओं पर ट्रांजिशनल क्रेडिट का अनियमित लाभ	23	181.13	13	107.44	56.52	59.31
5.	पारगमन में इनपुट/इनपुट सेवाओं पर ट्रांजिशनल क्रेडिट का अनियमित दावा	12	59.52	12	59.52	100.00	100.00
6.	करमुक्त वस्तुओं पर ट्रांजिशनल क्रेडिट का अनियमित लाभ	1	0.44	1	0.44	100.00	100.00
7.	कार्य संविदा सेवा पर ट्रांजिशनल क्रेडिट का अनियमित लाभ	8	866.26	7	835.62	87.50	96.46
8.	अस्वीकार्य वस्तुओं पर ट्रांजिशनल क्रेडिट का अनियमित दावा	31	268.55	24	226.31	77.42	84.27
9.	अन्य	35	331.29	35	331.29	100.00	100.00

\* देखी गई कमियों की संख्या नमूने से अधिक है क्योंकि कुछ मामलों में आपत्तियों को एक से अधिक उप-प्रस्तारों में सम्मिलित किया गया है।

### 3.5.10.1 कर भुगतान अभिलेखों के साथ स्टॉक में वस्तुओं पर ट्रांजिशनल क्रेडिट का अनियमित दावा

यू जी एस टी अधिनियम 2017 की धारा 140(3) के अनुसार, एक पंजीकृत व्यक्ति, जो विद्यमान विधि के अधीन पंजीकृत होने के लिए उत्तरदायी नहीं था या जो छूट प्राप्त वस्तुओं या करमुक्त वस्तुओं की बिक्री में लगा हुआ था, चाहे किसी भी नाम से ज्ञात हों, या जिन वस्तुओं पर राज्य में

उनकी बिक्री के प्रथम बिंदु पर कर लगाया हो और उनकी अनुवर्ती बिक्री विद्यमान विधि के अन्तर्गत राज्य में कर के अधीन नहीं है, लेकिन जो इस अधिनियम के अन्तर्गत कर के लिए उत्तरदायी हैं या जहाँ व्यक्ति वस्तुओं की बिक्री के समय इनपुट टैक्स का क्रेडिट, यदि कोई हो, का हकदार था, निम्नलिखित शर्तों के अधीन, नियत दिन पर स्टॉक में रखे गए इनपुट एवं अर्धनिर्मित या निर्मित वस्तुओं में निहित इनपुट के संबंध में, अपने ई सी एल में, वैट का क्रेडिट लेने का हकदार होगा।

- (i) इस अधिनियम के अधीन कर योग्य आपूर्ति करने के लिए ऐसे इनपुट या वस्तुओं का उपयोग किया जाता है या उपयोग करने का इरादा है;
- (ii) उक्त पंजीकृत व्यक्ति इस अधिनियम के अधीन ऐसे इनपुट पर आई टी सी के लिए पात्र है;
- (iii) उक्त पंजीकृत व्यक्ति के पास ऐसे इनपुट के संबंध में विद्यमान विधि के अन्तर्गत कर के भुगतान के साक्ष्य के रूप में इन्वॉयस या अन्य निर्धारित दस्तावेज हैं; और
- (iv) ऐसे इन्वॉयस या अन्य निर्धारित दस्तावेज नियत दिन से तत्काल पूर्व 12 माह से पहले जारी नहीं किए गए थे।

परन्तु जहाँ किसी विनिर्माता या सेवाओं के प्रदाता से भिन्न कोई पंजीकृत व्यक्ति, इनपुटों के संबंध में कर के संदाय का साक्ष्य कोई इन्वॉयस या कोई अन्य दस्तावेज नहीं रखता है, तब ऐसे पंजीकृत व्यक्ति को, ऐसी शर्तों, सीमाओं और सुरक्षा उपायों के अधीन रहते हुए, जो विहित की जाए, जिसमें यह भी सम्मिलित है कि उक्त कर योग्य व्यक्ति ऐसे क्रेडिट के लाभ को घटी दरों के माध्यम से प्राप्तकर्ता को हस्तांतरित करेगा, ऐसी दर पर और इस प्रकार से, जो विहित की जाए, क्रेडिट लेने की अनुमति दी जा सकती है।

लेखापरीक्षा ने पाया कि दो कार्यालयों के तीन व्यापारियों ने बिक्री प्रतिदाय के रूप में ₹ 28.12 लाख<sup>66</sup> की धनराशि का क्रेडिट प्राप्त किया था लेकिन दावे का समर्थन करने के लिए संबंधित डेबिट नोट उपलब्ध नहीं थे। अतः ₹ 28.12 लाख का क्रेडिट दावा अनियमित था।

लेखापरीक्षा द्वारा यह दिसम्बर 2021 में किया गया, विभाग का उत्तर प्राप्त नहीं हुआ (सितंबर 2022)।

### 3.5.10.2 कर भुगतान दस्तावेजों के बिना स्टॉक में वस्तुओं पर ट्रांजिशनल क्रेडिट का अनियमित दावा

यू जी एस टी अधिनियम 2017 की धारा 142(14) के अनुसार, जहाँ प्रधान से संबंधित कोई वस्तु या पूंजीगत वस्तुएं नियत दिन को अभिकर्ता के परिसरों में रखी हैं, वहां अभिकर्ता निम्नलिखित शर्तों को

<sup>66</sup>

1	उप-आयुक्त-2, राज्य कर, देहरादून	मै ओप्पो मोबाइल्स प्रा लि	05AACCO2559D1ZQ	₹ 5.10 लाख
2	उप-आयुक्त-2, राज्य कर, देहरादून	मै हायर एप्लायन्सेस (इण्डिया) प्रा लि	05AABCH3162L1ZO	₹ 22.34 लाख
3	उप-आयुक्त-4, राज्य कर, देहरादून	मै ए एम इण्टरप्राइजेज	05BOTPS9220J1ZB	₹ 0.68 लाख

पूरा किए जाने के अधीन रहते हुए ऐसी वस्तु या पूंजीगत वस्तुओं पर संदत्त कर का क्रेडिट लेने के लिए हकदार होगा:

- (i) अभिकर्ता इस अधिनियम के अधीन एक पंजीकृत कर योग्य व्यक्ति है;
  - (ii) प्रधान और अभिकर्ता, दोनों ही नियत दिन से ठीक पूर्ववर्ती तिथि को ऐसे अभिकर्ता के पास रखी वस्तु या पूंजीगत वस्तुओं के स्टॉक के ब्यौरों की घोषणा ऐसे प्रारूप और रीति में तथा ऐसे समय के भीतर करते हैं, जैसा कि इस संबंध में निर्धारित किया जाए;
  - (iii) ऐसी वस्तु या पूंजीगत वस्तुओं के लिए बीजक नियत दिन से ठीक पूर्व के 12 माहों की अवधि से पूर्व जारी नहीं किए गए थे; और
  - (iv) प्रधान ने निम्न के संबंध में या तो आई टी सी को वापस कर दिया है या उसका फायदा नहीं लिया है,
- (अ) वस्तुओं; या
- (ब) पूंजीगत वस्तुओं या, ऐसे क्रेडिट का फायदा ले लेने के पश्चात् उसे, उसके द्वारा लिए गए फायदे की सीमा तक वापस लौटा दिया है।

लेखापरीक्षा ने पाया कि तीन कार्यालयों के तीन व्यापारियों ने ट्रान-1 की तालिका 10ए में ₹ 4.22 लाख<sup>67</sup> के अनियमित क्रेडिट का लाभ प्राप्त किया था। तथापि, उनके दावे के समर्थन में संबंधित इन्वॉयस/दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किए गए थे, जिसके परिणामस्वरूप दावे की पात्रता की जाँच नहीं हुई।

लेखापरीक्षा द्वारा यह दिसम्बर 2021 में इंगित किया गया, विभाग का उत्तर प्राप्त नहीं हुआ (सितंबर 2022)।

### **3.5.10.3 ट्रांजिशनल क्रेडिट का अधिक अगसारण**

यू जी एस टी अधिनियम 2017 की धारा 140(1) में प्रावधान है कि, धारा 10 के अधीन कर संदाय का विकल्प देने वाले किसी व्यक्ति से भिन्न कोई पंजीकृत व्यक्ति, अपने ई सी एल में, नियत दिन से ठीक पूर्ववर्ती दिन को समाप्त होने वाली अवधि से संबंधित विवरणी, जिसे उसके द्वारा विद्यमान विधि के अधीन ऐसी रीति में, जो विहित की जाए, प्रस्तुत किया गया है, वैट, यदि कोई हो, की धनराशि का क्रेडिट लेने के लिए हकदार होगा, परन्तु पंजीकृत व्यक्ति को निम्नलिखित परिस्थितियों में क्रेडिट लेने कि अनुमति नहीं होगी, अर्थात्:

<sup>67</sup>

1	उप-आयुक्त-3, राज्य कर, रुद्रपुर	मै राधू प्रोडक्ट्स (प्रा) लि	05AAACR0755J1ZI	₹ 1.60 लाख
2	उप-आयुक्त-3, राज्य कर, देहरादून	मै शिवम इण्टरप्राइजेज	05ANDP४6732B1ZG	₹ 1.19 लाख
3	सहायक आयुक्त-4, राज्य कर, हरिद्वार	मै बी एच डी इण्टरप्राइजेज	05ARLPP3389H1ZC	₹ 1.43 लाख

- (i) जहाँ क्रेडिट की उक्त धनराशि इस अधिनियम के अधीन आई टी सी के रूप में मान्य नहीं है; या
- (ii) जहाँ उसने नियत तिथि के तत्काल पूर्व छः माह की अवधि के लिए विद्यमान विधि के अधीन अपेक्षित सभी विवरणीयां प्रस्तुत नहीं की है।

बशर्ते उक्त क्रेडिट की उतनी धनराशि, जो केंद्रीय बिक्री कर अधिनियम, 1956 धारा 3, धारा 5 की उप-धारा (3), धारा 6, धारा 6क या धारा 8 की उप-धारा (8) से संबंधित किसी ऐसे दावे के कारण है, जिसे केंद्रीय बिक्री कर (पंजीकरण और टर्नओवर) नियम, 1957 के नियम 12 में विहित रीति और अवधि के भीतर सिद्ध नहीं किया गया हो, ई सी एल में जमा किए जाने के लिए पात्र नहीं होगी।

लेखापरीक्षा के दौरान, हमने देखा कि 200 नमूनाकृत मामलों में से, 133 व्यापारियों ने ट्रान-1 की तालिका 5(सी) के अन्तर्गत ₹ 78.21 करोड़ की धनराशि के अधिक आई टी सी को अग्रसारित किया था। अधिक ट्रांजिशनल क्रेडिट का दावा करने वाले व्यापारियों की एक बड़ी संख्या संभावित राजस्व रिसाव की संभावना को इंगित करती है क्योंकि राज्य में 2,954 व्यापारियों ने ट्रांजिशनल क्रेडिट का दावा किया था। क्रेडिट के अधिक अग्रसारण की आपत्तियों को निम्नलिखित प्रस्तरों में वर्णित किया गया है:

**अ) विगत विवरणी में उपलब्धता से अधिक क्रेडिट का अग्रसारण**

यू जी एस टी अधिनियम 2017 की धारा 140(1) में आई टी सी के लिए ट्रांजिशनल व्यवस्थाओं से संबंधित विस्तृत प्रावधान है। यह धारा एक पंजीकृत व्यक्ति, समाधान करदाता के अलावा, को निर्दिष्ट शर्तों के अधीन, वैट के अन्तिम शेष को एस जी एस टी के रूप में अग्रसारित करने का प्रावधान करती है। महत्वपूर्ण शर्तों की चर्चा नीचे की गई है:

- i. जी एस टी से पूर्व विधियों के अधीन दाखिल अन्तिम विवरणी में यथा निर्दिष्ट क्रेडिट को अग्रसारित किया जा सकता है।
- ii. ऐसा क्रेडिट, जी एस टी अधिनियम और पूर्व-जी एस टी अधिनियमों के अन्तर्गत आई टी सी के रूप में स्वीकार्य होना चाहिए।
- iii. जी एस टी लागू होने से पूर्व कम से कम पिछले छः माह की विवरणी प्रस्तुत की जानी चाहिए।

18 राज्य कर कार्यालयों के अभिलेखों की लेखापरीक्षा जाँच में पाया गया कि 25 व्यापारियों ने ₹ 11.22 करोड़ का अतिरिक्त क्रेडिट अग्रेषित किया (जैसा कि **परिशिष्ट-3.5.1** में वर्णित है)। इन व्यापारियों द्वारा दाखिल वैट विवरणियों की जाँच में पाया गया कि उक्त विवरणी के अनुसार वास्तविक क्रेडिट अवशेष, इन व्यापारियों द्वारा दावा की गई धनराशि से कम था।

लेखापरीक्षा द्वारा यह दिसम्बर 2021 में इंगित किया गया, विभाग का उत्तर प्राप्त नहीं हुआ (सितंबर 2022)।

**ब) प्रपत्रों का विवरण प्रस्तुत किए बिना क्रेडिट को अग्रसारित किया जाना तथा लंबित प्रपत्रों से संबंधित क्रेडिट को विलोमित न किया जाना**

27 राज्य कर कार्यालयों के अभिलेखों की लेखापरीक्षा जाँच में पाया गया कि 73 व्यापारियों ने ट्रान-1 की संगत तालिकाओं में प्रपत्र सी/एफ/एच का विवरण प्रस्तुत किए बिना ही ₹ 47.15 करोड़ (जैसा कि **परिशिष्ट-3.5.2** में वर्णित है) की अधिक क्रेडिट धनराशि को अग्रेषित किया।

इन व्यापारियों द्वारा दाखिल ट्रान-1 की जाँच में पाया गया कि ट्रान-1 की संबंधित तालिकाओं में प्रपत्र सी/एफ/एच का विवरण प्रस्तुत किए बिना ₹ 41.56 करोड़ के 66 दावे अनियमित आई टी सी से संबंधित थे। सात व्यापारियों ने ₹ 5.60 करोड़ की आई टी सी का दावा किया था और लंबित प्रपत्र सी/एफ/एच का विवरण प्रस्तुत किया था लेकिन लंबित प्रपत्रों से संबंधित टैक्स क्रेडिट को विलोमित नहीं किया था।

लेखापरीक्षा द्वारा यह दिसम्बर 2021 में इंगित किया गया, विभाग का उत्तर प्राप्त नहीं हुआ (सितंबर 2022)।

**स) संशोधित विवरणी के मामलों से संबंधित क्रेडिट का अतिरिक्त अग्रसारण**

यू जी एस टी अधिनियम 2017 की धारा 142 (9) (अ) यह निर्धारित करती है कि, जहाँ कोई विवरणी विद्यमान विधि के अधीन प्रस्तुत की जाती है, का नियत दिन के पश्चात् पुनरीक्षण किया जाता है, और यदि ऐसे पुनरीक्षण के अनुसरण में कोई धनराशि वसूलनीय पायी जाती है अथवा आई टी सी की धनराशि अमान्य पायी जाती है, तो उसको जब तक विद्यमान विधि के अधीन वसूला नहीं जाता, इस अधिनियम के अधीन कर के बकाया के रूप में वसूला जाएगा और इस प्रकार वसूल की गई धनराशि इस अधिनियम के अधीन आई टी सी के रूप में मान्य नहीं होगी। आगे, यू जी एस टी अधिनियम 2017 की धारा 142 (9) (ब) के अनुसार, जहाँ कोई विवरणी, विद्यमान विधि के अधीन प्रस्तुत की जाती है, का नियत तिथि के पश्चात् परन्तु विद्यमान विधि के अधीन ऐसे पुनरीक्षण के लिए विनिर्दिष्ट समय सीमा के भीतर पुनरीक्षित की जाती है, और यदि ऐसे पुनरीक्षण के अनुसरण में कोई धनराशि प्रतिदाय की जानी पाई जाती है अथवा आई टी सी किसी कर योग्य व्यक्ति के लिए स्वीकार्य पाई जाती है, विद्यमान विधि के अधीन उसको नगद प्रतिदाय की जाएगी और अस्वीकार की गई धनराशि, यदि कोई हो, इस अधिनियम के अधीन आई टी सी के रूप में स्वीकार नहीं की जाएगी।

20 राज्य कर कार्यालयों के अभिलेखों की जाँच में पाया गया कि 34 व्यापारियों ने यू जी एस टी अधिनियम 2017 की धारा 142 (9) (अ) और (ब) के प्रावधानों के उल्लंघन में संशोधित विवरणी से संबंधित ₹ 19.82 करोड़ (जैसा कि **परिशिष्ट-3.5.3** में वर्णित है) के अस्वीकार्य क्रेडिट को अग्रेषित किया।

- 31 व्यापारियों ने नियत तिथि के पश्चात् वैट विवरणी को संशोधित किया और संशोधित विवरणी के अनुसार ₹ 19.77 करोड़ की आई टी सी को अग्रेषित किया, जो यू जी एस टी अधिनियम 2017 की धारा 142 (9) (ब) के प्रावधानों के अनुरूप नहीं था।
- तीन व्यापारियों ने नियत तिथि के पश्चात् वैट विवरणी को संशोधित किया जिसके परिणामस्वरूप जी एस टी व्यवस्था में अग्रसारित करने हेतु उपलब्ध पात्र आई टी सी में कमी आई परन्तु इन व्यापारियों ने ट्रान-1 में इसे कम नहीं किया और मूल वैट विवरणी के अनुसार ₹ 5.10 लाख की अतिरिक्त आई टी सी को अग्रेषित किया जो यू जी एस टी अधिनियम 2017 की धारा 142(9)(अ) के प्रावधानों के विरुद्ध था।

लेखापरीक्षा द्वारा यह दिसम्बर 2021 में इंगित किया गया, विभाग का उत्तर प्राप्त नहीं हुआ (सितंबर 2022)।

**द) दो तालिकाओं में समान धनराशि का दावा करने के कारण क्रेडिट का अधिक अग्रेषण**

लेखापरीक्षा जाँच में पाया गया कि सहायक आयुक्त-02, देहरादून के क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत एक व्यापारी<sup>68</sup> ने ट्रान-1 की दो तालिकाओं (5सी और 7सी) में समान धनराशि का दावा किया था। जबकि, व्यापारी केवल ट्रान-1 की तालिका 5सी में क्रेडिट का दावा करने के लिए पात्र था। इसके परिणामस्वरूप, ₹ 1.86 लाख के ट्रांजिशनल क्रेडिट का अधिक अग्रेषण हुआ।

लेखापरीक्षा द्वारा यह दिसम्बर 2021 में इंगित किया गया, विभाग का उत्तर प्राप्त नहीं हुआ (सितंबर 2022)।

**3.5.10.4 पूंजीगत वस्तुओं पर ट्रांजिशनल क्रेडिट का अनियमित लाभ**

यू जी एस टी अधिनियम 2017 की धारा 140 (2) यह निर्धारित करती है कि, धारा 10 के अधीन कर का भुगतान करने का विकल्प चुनने वाले व्यक्ति के अलावा एक पंजीकृत व्यक्ति, अपने ई सी एल में, नियत दिन से ठीक पूर्व की अवधि के लिए विद्यमान विधि के अधीन ऐसे तरीके से, जैसा विहित किया जाए, प्रस्तुत विवरणी में पूंजीगत वस्तुओं के संबंध में अग्रेषित न किये गये "अप्रयुक्त आई टी सी"<sup>69</sup> का क्रेडिट लेने का हकदार होगा, बशर्ते कि पंजीकृत व्यक्ति को तब तक क्रेडिट लेने की अनुमति नहीं दी जाएगी जब तक कि क्रेडिट विद्यमान विधि के अधीन आई टी सी के रूप में स्वीकार्य न हो और इस अधिनियम के अन्तर्गत भी आई टी सी के रूप में स्वीकार्य हो।

करदाताओं को ट्रान-1 की तालिका 6(ब) के अन्तर्गत पूंजीगत वस्तुओं के अप्रयुक्त आई टी सी का दावा करना आवश्यक था। राज्य कर के आठ कार्यालयों के अभिलेखों की लेखापरीक्षा जाँच में पाया गया कि 13 व्यापारियों ने पूंजीगत वस्तुओं के संबंध में ₹ 1.07 करोड़ के आई टी सी का अनियमित क्रेडिट अग्रेषित किया, (जैसा कि **परिशिष्ट-3.5.4** में वर्णित है)। इन दावों में से ₹ 1.05 करोड़ के 12

<sup>68</sup> में रिडनप होम एप्लाइड प्राइवेट लिमिटेड (जी एस टी आई एन: 05AAGCR2652E1ZN)

<sup>69</sup> विद्यमान विधि के अधीन पूंजीगत वस्तुओं का अप्रयुक्त आई टी सी = (कुल आई टी सी - प्रयुक्त आई टी सी)।

प्रकरण उन व्यापारियों से संबंधित हैं जिन्होंने अधिक ट्रांजिशनल क्रेडिट का दावा किया था और एक व्यापारी ने संशोधित विवरणी के अनुसार ₹ 2.60 लाख के क्रेडिट का दावा किया था जो कि यू जी एस टी अधिनियम 2017 की धारा 142 (9)(ब) के प्रावधानों के विरुद्ध था।

लेखापरीक्षा द्वारा यह दिसम्बर 2021 में इंगित किया गया, विभाग का उत्तर प्राप्त नहीं हुआ (सितंबर 2022)।

#### **3.5.10.5 पारगमन में इनपुट पर ट्रांजिशनल क्रेडिट का अनियमित दावा**

यू जी एस टी अधिनियम 2017 की धारा 140(5) में प्रावधान है कि, एक पंजीकृत व्यक्ति नियत तिथि को या उसके पश्चात् प्राप्त इनपुटों, किंतु जिसके संबंध में कर का संदाय विद्यमान विधि के अधीन पूर्तिकर्ता द्वारा किया गया है, के संबंध में अपने ई सी एल में वैट का क्रेडिट, यदि कोई हो, को लेने का हकदार होगा, बशर्ते कि उसके इन्वॉयस या किसी अन्य कर संदाय संबंधी दस्तावेज को, नियत दिन से 30 दिन की अवधि के भीतर ऐसे व्यक्ति की लेखा बहियों में लेखाबद्ध किया गया था, परन्तु 30 दिन की अवधि को, पर्याप्त कारण दर्शित करने पर, आयुक्त द्वारा अतिरिक्त अवधि 30 दिनों से अधिक नहीं, विस्तारित किया जा सकता है, बशर्ते कि उक्त पंजीकृत व्यक्ति इस उप-धारा के अधीन लिए गए क्रेडिट के संबंध में ऐसी रीति से, जो विहित की जाए, विवरणी प्रस्तुत करेगा।

11 राज्य कर कार्यालयों की लेखापरीक्षा जाँच में पाया गया कि 12 व्यापारियों ने नियत दिन को या उसके पश्चात् प्राप्त इनपुट, परन्तु जिसके संबंध में व्यापारियों द्वारा कर का भुगतान वैट अधिनियम 2005 के अन्तर्गत किया जा चुका था, के संबंध में इनपुट क्रेडिट से संबंधित ₹ 59.52 लाख के अनियमित क्रेडिट (जैसा कि **परिशिष्ट-3.5.5** में वर्णित है) का दावा और अग्रेषित किया गया था। तथापि, दावों का समर्थन करने के लिए आवश्यक दस्तावेज जमा नहीं किए गए थे।

अतः, 12 व्यापारियों के संबंध में ₹ 59.52 लाख के दावे की प्रमाणिकता लेखापरीक्षा द्वारा सुनिश्चित नहीं की जा सकी।

लेखापरीक्षा द्वारा यह दिसम्बर 2021 में इंगित किया गया, विभाग का उत्तर प्राप्त नहीं हुआ (सितंबर 2022)।

#### **3.5.10.6 छूट प्राप्त वस्तुओं पर ट्रांजिशनल क्रेडिट का अनियमित लाभ**

यू जी एस टी अधिनियम 2017 की धारा 140 की उप-धारा 3 (i) यह निर्धारित करती है कि एक पंजीकृत व्यक्ति अपने ई सी एल में, स्टॉक में धारित इनपुटों और स्टॉक में धारित निर्मित वस्तुओं या अर्धनिर्मित वस्तुओं में अंतर्विष्ट इनपुटों के संबंध में नियत दिन को वैट का क्रेडिट लेने का हकदार होगा बशर्ते कि इस तरह के इनपुटों या वस्तुओं का उपयोग इस अधिनियम के अधीन कर योग्य आपूर्ति करने के लिए किया जाता है या उपयोग करने का इरादा है।



उप-आयुक्त-2, रुद्रपुर के क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत एक व्यापारी<sup>70</sup> द्वारा दाखिल ट्रान-1 की लेखापरीक्षा जाँच में पाया गया कि व्यापारी ने वस्तुओं के स्टॉक अर्थात् 'चावल', जो यू जी एस टी अधिनियम 2017 के अधीन कर योग्य नहीं है, से संबंधित इनपुट पर ₹ 0.44 लाख के ट्रांजिशनल क्रेडिट का दावा किया और अग्रेषित किया था। इस प्रकार, ₹ 0.44 लाख का दावा अनियमित था।

लेखापरीक्षा द्वारा यह दिसम्बर 2021 में इंगित किया गया, विभाग का उत्तर प्राप्त नहीं हुआ (सितंबर 2022)।

### 3.5.10.7 कार्य संविदा सेवा पर ट्रांजिशनल क्रेडिट का अनियमित लाभ

उत्तराखण्ड वैट अधिनियम, 2005 की धारा 6 की उप-धारा 8(के), यह निर्धारित करती है कि पूंजीगत वस्तुओं से भिन्न वस्तुओं के क्रय पर कोई आई टी सी अनुमन्य नहीं होगी, जब संविदा कार्य के निष्पादन में सम्मिलित वस्तुओं (चाहे वस्तु के रूप में या किसी अन्य रूप में) में सम्पत्ति के अन्तरण के माध्यम से वस्तुओं की बिक्री की गई हो।

यू जी एस टी अधिनियम 2017 की धारा 142 (11) (स) के अनुसार, जहाँ किसी आपूर्ति पर उत्तराखण्ड वैट अधिनियम, 2005 और वित्त अधिनियम, 1994 के अध्याय-V, दोनों के अन्तर्गत कर का भुगतान किया गया था, इस अधिनियम के अन्तर्गत कर आरोपणीय होगा तथा कर योग्य व्यक्ति नियत दिन के पश्चात् की गई आपूर्ति की सीमा तक विद्यमान विधि के अधीन भुगतान किए गए वैट या सेवा कर का क्रेडिट लेने का हकदार होगा और इस तरह के क्रेडिट की गणना इस तरह से की जाएगी जैसा कि निर्धारित किया जाये। राज्य कर के छः कार्यालयों की लेखापरीक्षा जाँच में पाया गया कि कार्य संविदा सेवा पर ट्रांजिशनल क्रेडिट ₹ 8.36 करोड़ का अनियमित लाभ लिया गया, जैसा कि नीचे तालिका-3.5.5 में वर्णित है।

तालिका-3.5.5: कार्य संविदा सेवा पर ट्रांजिशनल क्रेडिट का अनियमित लाभ

(₹ लाख में)

क्र. सं.	इकाई का नाम	व्यापारी का नाम (जी एस टी आई एन)	दावाकृत एवं पारगमित आई टी सी	लेखापरीक्षा टिप्पणी
1.	सहायक आयुक्त-4 (राज्य कर), देहरादून	मै जी3एस बिल्डर प्राइवेट लि (05AAF CG1561L1ZM)	202.57	व्यापारी ने ट्रान-1 की तालिका 5(सी) में ₹ 2.03 करोड़ के क्रेडिट का दावा किया था। व्यापारी, विद्यमान विधि के अधीन कार्य ठेकेदार के रूप में पंजीकृत होने के कारण, अधिनियम की धारा 140 (3) के प्रावधानों के अनुसार तालिका 5 (सी) के अन्तर्गत क्रेडिट का दावा करने के लिए पात्र नहीं था। इसके अतिरिक्त, व्यापारी ने ट्रान-1 दाखिल करने से पूर्व विवरणी को दाखिल नहीं किया था।

<sup>70</sup> मै ओम राईस इण्डस्ट्रीज, जी एस टी आई एन: 05AACFO5959L1ZT1

31 मार्च 2020 एवं 31 मार्च 2021 को समाप्त हुए वर्षों के लिए अनुपालन लेखापरीक्षा प्रतिवेदन

क्र. सं.	इकाई का नाम	व्यापारी का नाम (जी एस टी आई एन)	दावाकृत एवं पारगमित आई टी सी	लेखापरीक्षा टिप्पणी
2.	उप-आयुक्त-1 (राज्य कर), ऋषिकेश	मै जी पी टी इन्फ्रा प्रोजेक्ट्स लि (05AAACT9793J1ZS)	4.76	व्यापारी ने ट्रान-1 की तालिका 5(सी) में ₹ 4.76 लाख के क्रेडिट का दावा किया था। व्यापारी, विद्यमान विधि के अधीन कार्य ठेकेदार के रूप में पंजीकृत किया गया है। अतः व्यापारी आई टी सी का दावा करने का पात्र नहीं था।
3.	उप-आयुक्त-1 (राज्य कर), रुद्रपुर	मै शापूरजी पाल्लोनजी एण्ड कं प्रा लि (05AAACS6994C1ZB)	15.95	व्यापारियों ने तालिका 7(सी) में ₹ 16.47 लाख के क्रेडिट का दावा किया था जो इन्वॉयस/दस्तावेजों द्वारा समर्थित इनपुट पर भुगतान किए गए वैट और प्रवेश कर के क्रेडिट से संबंधित है। तथापि, विद्यमान विधि के अधीन कार्य ठेकेदार के रूप में पंजीकृत होने के कारण व्यापारी अधिनियम की धारा 140(3) के प्रावधानों के अनुसार तालिका 7(सी) के अन्तर्गत क्रेडिट का दावा करने के पात्र नहीं थे।
4.	सहायक आयुक्त-1 (राज्य कर), मसूरी	मै रौतेला एण्ड कम्पनी (05AGQPR7370E2ZO)	0.52	व्यापारियों ने किसी आपूर्ति के संबंध में ट्रान-1 की तालिका (11) में ₹ 1.08 करोड़ की क्रेडिट धनराशि का दावा किया था, जहाँ क्रमशः वैट के साथ-साथ सेवा कर का भुगतान नियत दिन से पहले किया गया था तथा आपूर्ति नियत दिन के पश्चात् की गई थी। तालिका (11) के अन्तर्गत इनपुट क्रेडिट का दावा करने के लिए आवश्यक इन्वॉयस और अन्य संगत विवरण भी प्रस्तुत नहीं किए गए थे। अतः व्यापारियों द्वारा किए गए दावे की प्रामाणिकता लेखापरीक्षा द्वारा सुनिश्चित नहीं की जा सकी।
5.	उप-आयुक्त-1 (राज्य कर), रुद्रपुर	मै शापूरजी पाल्लोनजी एण्ड कं प्रा लि (05AAACS6994C1ZB)	98.01	व्यापारियों ने किसी आपूर्ति के संबंध में ट्रान-1 की तालिका (11) में ₹ 1.08 करोड़ की क्रेडिट धनराशि का दावा किया था, जहाँ क्रमशः वैट के साथ-साथ सेवा कर का भुगतान नियत दिन से पहले किया गया था तथा आपूर्ति नियत दिन के पश्चात् की गई थी। तालिका (11) के अन्तर्गत इनपुट क्रेडिट का दावा करने के लिए आवश्यक इन्वॉयस और अन्य संगत विवरण भी प्रस्तुत नहीं किए गए थे। अतः व्यापारियों द्वारा किए गए दावे की प्रामाणिकता लेखापरीक्षा द्वारा सुनिश्चित नहीं की जा सकी।
6.	उप-आयुक्त-4 (राज्य कर), देहरादून	मै साहनी बिल्ड वैल एल एल पी (05ADAFS9305H1Z6)	10.37	व्यापारी ने ट्रान-1 की तालिका 5(सी) में ₹ 2.57 करोड़ के क्रेडिट का दावा किया था। तथापि, विवरणी के अनुसार, वह वैट विवरणी [30-06-2017 को प्रपत्र III (बी)] में दर्शित 'शून्य' धनराशि के कारण किसी क्रेडिट को अग्रेषित करने का पात्र नहीं था।
7.	उप-आयुक्त-4 (राज्य कर), देहरादून	मै कुणाल इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रा लि (05AACC७7952Q1ZW)	257.24	व्यापारी ने ट्रान-1 की तालिका 5(सी) में ₹ 2.57 करोड़ के क्रेडिट का दावा किया था। तथापि, विवरणी के अनुसार, वह वैट विवरणी [30-06-2017 को प्रपत्र III (बी)] में दर्शित 'शून्य' धनराशि के कारण किसी क्रेडिट को अग्रेषित करने का पात्र नहीं था।
8.	उप-आयुक्त (राज्य कर), खटीमा	मै एच जी इन्फ्रा इन्जीनियरिंग प्रा लि (05AABCH2668B1ZO)	246.20	व्यापारी ने ट्रान-1 की तालिका 5(सी) में ₹ 2.46 करोड़ के क्रेडिट का दावा किया था जबकि, वैट विवरणी [30-06-2017 को प्रपत्र III (बी)] के अनुसार वह किसी भी क्रेडिट को अग्रेषित करने का पात्र नहीं था।
<b>योग</b>			<b>835.62</b>	

लेखापरीक्षा द्वारा इसे दिसम्बर 2021 में इंगित किया गया, विभाग का उत्तर प्राप्त नहीं हुआ (सितंबर 2022)।

### 3.5.10.8 अस्वीकार्य वस्तुओं पर ट्रांजिशनल क्रेडिट का अनियमित दावा

यू जी एस टी अधिनियम 2017 की धारा 140(3) के अनुसार, एक पंजीकृत व्यक्ति, जो विद्यमान विधि के अधीन पंजीकृत होने के लिए उत्तरदायी नहीं था या जो छूट प्राप्त वस्तुओं या करमुक्त वस्तुओं, चाहे किसी भी नाम से ज्ञात हों, के बिक्री में लगा हुआ था, या जिन वस्तुओं पर राज्य में उनकी बिक्री के प्रथम बिंदु पर कर लग गया था और उनकी अनुवर्ती बिक्री विद्यमान विधि के अधीन राज्य में कर के अधीन नहीं है, परन्तु जो इस अधिनियम के अन्तर्गत कर के लिए उत्तरदायी हैं अथवा जहाँ व्यक्ति वस्तुओं की बिक्री के समय इनपुट टैक्स के क्रेडिट, यदि कोई हो, का हकदार था, वह अपने ई सी एल में, अधिनियम की उक्त धारा में निर्दिष्ट कुछ शर्तों के अधीन नियत दिन पर स्टॉक में रखे गए इनपुट और स्टॉक में रखे अर्धनिर्मित या निर्मित वस्तुओं में निहित इनपुट के संबंध में वैट का क्रेडिट लेने के लिए हकदार होगा।

20 राज्य कर कार्यालयों की लेखापरीक्षा जाँच में पाया गया कि 24 व्यापारियों ने अस्वीकार्य वस्तुओं पर ₹ 2.26 करोड़ (जैसा कि **परिशिष्ट-3.5.6** में वर्णित है) के ट्रांजिशनल क्रेडिट का दावा किया था।

- चार व्यापारियों ने विद्यमान विधि के अधीन "नेवार" और "टिम्बर" वस्तुओं पर ₹ 15.24 लाख की आई टी सी का दावा किया था और इसे जी एस टी में अग्रेषित किया था। तथापि, विद्यमान विधि की धारा 6 के अन्तर्गत इन वस्तुओं के क्रय पर आई टी सी स्वीकार्य नहीं था।
- 20 व्यापारियों ने ट्रान-1 की तालिका 7(सी) में ₹ 2.11 करोड़ का दावा किया था जो इन्वॉयस या अन्य निर्धारित दस्तावेजों द्वारा समर्थित इनपुट पर भुगतान किए गए वैट और प्रवेश कर के संबंध में क्रेडिट से संबंधित है। ये व्यापारी विद्यमान विधि के अधीन पंजीकृत थे और छूट प्राप्त वस्तुओं या करमुक्त वस्तुओं या ऐसी वस्तुओं की बिक्री में सम्मिलित नहीं थे, जिन पर राज्य में बिक्री के प्रथम बिंदु पर कर लग चुका हो और बाद में बिक्री, विद्यमान विधि के अधीन राज्य में कर के अधीन नहीं हैं, लेकिन जो इस अधिनियम के अन्तर्गत कर के लिए उत्तरदायी हैं। अतः इन व्यापारियों द्वारा वैट व्यवस्था के अधीन उनके क्रय पर भुगतान किया गया कर स्वतः उनके वैट विवरणी में आई टी सी के रूप में सम्मिलित हो जाएगा। इस प्रकार, ये व्यापारी उन व्यापारियों की श्रेणी से संबंधित नहीं हैं जो नियत दिन पर स्टॉक में रखे गए इनपुट और स्टॉक में रखे गए अर्धनिर्मित या निर्मित वस्तुओं में निहित इनपुट के संबंध में वैट के क्रेडिट का दावा कर सकते हैं। अतः अधिनियम की धारा 140(3) के प्रावधानों के अनुसार इन व्यापारियों का दावा अस्वीकार्य था।

लेखापरीक्षा द्वारा इसे दिसम्बर 2021 में इंगित किया गया, विभाग का उत्तर प्राप्त नहीं हुआ (सितंबर 2022)।

**3.5.10.9 ट्रांजिशनल क्रेडिट से संबंधित अन्य अनियमितताएं**

**अ) गलत तरीके से हस्तांतरित क्रेडिट पर ब्याज का भुगतान न करना/कम भुगतान करना**

उत्तराखण्ड जी एस टी नियमावली 2017 के नियम 121 में निर्धारित है कि, नियम 117 के उपनियम (3) के अधीन क्रेडिट की गई धनराशि की वसूली अधिनियम की धारा 73 या धारा 74, जैसा भी प्रकरण हो, के अन्तर्गत प्रारम्भ की जा सकती है। धारा 73 या 74 के अन्तर्गत कार्यवाही के लिए करदाता को अधिनियम की धारा 50 के अन्तर्गत उस पर देय ब्याज के साथ क्रेडिट का भुगतान करने की आवश्यकता होगी। अधिनियम की धारा 50(3) यह निर्धारित करती है कि एक कर योग्य व्यक्ति जो धारा 42 की उप-धारा (10) के अन्तर्गत आई टी सी का अनुचित या अधिक दावा करता है या धारा 43 की उप-धारा (10) के अन्तर्गत आउटपुट कर देयता में अनुचित या अधिक कमी करता है, ऐसे अनुचित या अधिक दावे पर या ऐसी अनुचित या अधिक कमी पर, जैसा भी मामला हो, ऐसी दर पर ब्याज का भुगतान करेगा जो 24 प्रतिशत से अधिक न हो, जैसा कि परिषद् की अनुशंसाओं पर सरकार द्वारा अधिसूचित किया जा सकता है।

उप-आयुक्त (क नि)-2 राज्य कर, रुद्रपुर के अभिलेखों की नमूना जाँच में पाया गया कि तीन व्यापारियों ने ₹ 9.97 लाख (जैसा कि **परिशिष्ट-3.5.7** में वर्णित है) के अनियमित ट्रांजिशनल क्रेडिट का दावा किया था, व्यापारियों ने गलत तरीके से दावा किए गए आई टी सी को विलोमित करते हुए या तो देय ब्याज जमा नहीं किया था या अधिनियम के अन्तर्गत अपेक्षित ब्याज से कम जमा किया था। इसके परिणामस्वरूप ₹ 5.07 लाख के ब्याज का अनारोपण/न्यूनारोपण हुआ।

लेखापरीक्षा द्वारा इसे दिसम्बर 2021 में इंगित किया गया, विभाग का उत्तर प्राप्त नहीं हुआ (सितंबर 2022)।

**ब) विद्यमान विधि के अधीन वर्ष 2016-17 एवं 2017-18 के मामलों का निर्धारण करते समय मांग सृजित न करना/कम करना**

विद्यमान विधि (वैट अधिनियम) के अधीन वर्ष 2016-17 के मामलों का निर्धारण करते समय निर्धारण अधिकारियों को आई टी सी की धनराशि जिसे पूर्व में ही व्यापारी द्वारा अगले वित्तीय वर्ष 2017-18 में अग्रेषित किया गया था को ध्यान में रखना चाहिए, चूँकि व्यापारियों द्वारा आई टी सी को बाद में जी एस टी व्यवस्था में पारगमित कर दिया गया था। निर्धारण प्राधिकारियों को इन व्यापारियों द्वारा अग्रसारित अनुमन्य आई टी सी को उस धनराशि से कम कर देना चाहिए था जिसका दावा अगले वित्तीय वर्ष यानी 2017-18 के वैट विवरणी में पहले ही कर दिया गया था। इसके परिणामस्वरूप या तो वैट व्यवस्था के अन्तर्गत मांग<sup>71</sup> का सृजन होता या उपलब्ध आई टी सी में कमी होती है, जिसे वर्ष 2017-18 में अग्रसारित किया जा सकता है।

<sup>71</sup> मांग, यदि कर निर्धारण वर्ष 2016-17 के अंत में आई टी सी का कोई शेष उपलब्ध नहीं था या शेष धनराशि में कमी आई थी, तो आई टी सी का अतिरिक्त शेष था।

16 राज्य कर कार्यालयों के अभिलेखों की नमूना जाँच में पाया गया कि 23 मामलों में (जैसा कि **परिशिष्ट-3.5.8** में वर्णित है), निर्धारण अधिकारियों ने विद्यमान विधि (वैट अधिनियम) के अधीन वर्ष 2016-17 के मामलों का निर्धारण करते समय आई टी सी की धनराशि पर विचार नहीं किया जो इन व्यापारियों द्वारा पहले से ही वर्ष 2017-18 में अग्रसारित कर दी गई थी। इन व्यापारियों द्वारा अग्रसारित की गई आई टी सी को तत्पश्चात् जी एस टी व्यवस्था में पारगमित कर दिया गया था।

अतः, निर्धारण अधिकारियों की इस निष्क्रियता के परिणामस्वरूप विद्यमान विधि के अधीन वर्ष 2016-17 हेतु मांग का सृजन नहीं/कम हुआ तथा वर्ष 2017-18 हेतु कर क्रेडिट की अतिरिक्त धनराशि ₹ 1.23 करोड़ अग्रसारित की गई। इसी प्रकार, दो मामलों में निर्धारण अधिकारियों ने विद्यमान विधि के अधीन वर्ष 2017-18 के मामलों का निर्धारण करते समय आई टी सी की धनराशि पर विचार नहीं किया, जिसे पहले ही इन व्यापारियों द्वारा जी एस टी व्यवस्था में पारगमित किया गया था। इसके परिणामस्वरूप विद्यमान विधि के अधीन वर्ष 2017-18 हेतु ₹ 6.36 लाख की मांग का सृजन नहीं हुआ।

इस प्रकार, विद्यमान विधि के अधीन वर्ष 2016-17 और 2017-18 के मामलों का निर्धारण करते समय पहले से ही अग्रसारित आई टी सी की धनराशि पर विचार न करने के परिणामस्वरूप ₹ 1.29 करोड़ की धनराशि की मांग का सृजन नहीं हुआ/कम सृजन हुआ।

लेखापरीक्षा द्वारा इसे दिसम्बर 2021 में इंगित किया गया, विभाग का उत्तर प्राप्त नहीं हुआ (सितंबर 2022)।

**स) विद्यमान विधि के अधीन मिथ्या आई टी सी का दावा किया गया तथा ट्रांजिशनल क्रेडिट के रूप में अग्रसारित किया गया**

उप-आयुक्त-1, विकास नगर के अभिलेखों की नमूना जाँच में पाया गया कि एक व्यापारी<sup>72</sup> ने विद्यमान विधि के अधीन वर्ष 2016-17 में क्रय से संबंधित ₹ 2.08 लाख की आई टी सी का दावा किया था और उसे जी एस टी व्यवस्था में पारगमित कर दिया था। तथापि, अभिलेखों की जाँच में पाया गया कि विक्रेता<sup>73</sup> ने अपने अभिलेखों में व्यापारी को कोई बिक्री घोषित नहीं की थी। अतः व्यापारी द्वारा ₹ 2.08 लाख की अनियमित ट्रांजिशनल क्रेडिट का दावा किया गया था।

लेखापरीक्षा द्वारा इसे दिसम्बर 2021 में इंगित किया गया, विभाग का उत्तर प्राप्त नहीं हुआ (सितंबर 2022)।

**द) ट्रान-1 की गलत तालिका में ट्रांजिशनल क्रेडिट का दावा**

करदाता ट्रान-1 और ट्रान-2 की उपयुक्त तालिकाओं में अधिनियम की धारा 140 की संबंधित उप-धाराओं के अन्तर्गत ट्रांजिशनल क्रेडिट के घटकों का दावा कर सकते हैं। सात व्यापारियों के

<sup>72</sup> मैसर्स विनिष्मा टेक्नोलॉजीस प्राइवेट लिमिटेड, जी एस टीआईए: 05AABCV4265G1ZF ।

<sup>73</sup> मैसर्स बैंके बिहारी ट्रेडिंग कम्पनी, टिन: 05016689942 ।

₹ 1.87 करोड़ की धनराशि के ट्रांजिशनल क्रेडिट दावों (जैसा कि **परिशिष्ट-3.5.9** में वर्णित है) की लेखापरीक्षा जाँच में पाया गया कि इन व्यापारियों ने अधिनियम की धारा 140 की संबंधित उप-धाराओं के अन्तर्गत उपयुक्त/लागू तालिकाओं के माध्यम से क्रेडिट अग्रेषित नहीं किए थे। इनमें से पाँच व्यापारियों ने ट्रान-1 की तालिका 7(डी) के बजाय 7(सी) में ₹ 25.10 लाख के ट्रांजिशनल क्रेडिट का दावा किया था, एक व्यापारी ने ट्रान-1 की तालिका 6(बी) के बजाय तालिका 5(सी) में ₹ 1.60 करोड़ के ट्रांजिशनल क्रेडिट का दावा किया था तथा एक व्यापारी ने ट्रान-1 की तालिका 5(सी) के बजाय तालिका 7(सी) में ₹ 1.65 लाख के ट्रांजिशनल क्रेडिट का दावा किया था। अतः, इन सात व्यापारियों के ₹ 1.87 करोड़ के दावे अनियमित थे।

लेखापरीक्षा द्वारा इसे दिसम्बर 2021 में इंगित किया गया, विभाग का उत्तर प्राप्त नहीं हुआ (सितंबर 2022)।

#### **य) विद्यमान विधि के अधीन सब्सिडी के दावे के रूप में ट्रांजिशनल क्रेडिट का अधिक दावा**

उप-आयुक्त-1, ऋषिकेश के क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत एक व्यापारी<sup>74</sup> के अभिलेखों की लेखापरीक्षा जाँच में पाया गया कि व्यापारी के ई सी एल में ₹ 92.74 लाख का क्रेडिट अवशेष था, जिसमें हिल पॉलिसी के अन्तर्गत वैट सब्सिडी के रूप में ₹ 14.32 लाख का क्रेडिट सम्मिलित था। व्यापारी की विवरणी की जाँच में पाया गया कि हिल पॉलिसी के अन्तर्गत वैट सब्सिडी के लिए पात्र धनराशि केवल ₹ 5.33 लाख थी। इस प्रकार, व्यापारी ने हिल पॉलिसी के अन्तर्गत वैट सब्सिडी के रूप में वर्ष 2017-18 में विद्यमान विधि के अधीन ₹ 8.99 लाख (₹ 14.32 - ₹ 5.33) के अतिरिक्त टैक्स क्रेडिट का दावा किया था और इसे जी एस टी व्यवस्था में पारगमित कर दिया था। इस प्रकार, विद्यमान विधि के अधीन सब्सिडी के दावे के रूप में ₹ 8.99 लाख के ट्रांजिशनल क्रेडिट का अधिक दावा वसूली योग्य है।

लेखापरीक्षा द्वारा इसे दिसम्बर 2021 में इंगित किया गया, विभाग का उत्तर प्राप्त नहीं हुआ (सितंबर 2022)।

#### **3.5.11 निष्कर्ष**

ट्रांजिशनल क्रेडिट, विरासती व्यवस्था से जी एस टी व्यवस्था में आई टी सी का एक-मुश्त प्रवाह है। 200 नमूना मामलों में से 80 प्रतिशत व्यापारियों ने प्रचलित नियमों में निहित लागू शर्तों का पालन किये बिना ट्रांजिशनल क्रेडिट का लाभ प्राप्त किया तथा मात्र 17.5 प्रतिशत नमूने का सत्यापन, विभाग के सत्यापन तंत्र की अपर्याप्तता को दर्शाता है।

#### **3.5.12 अनुशासन**

पूर्ववर्ती प्रस्तरों में वर्णित महत्वपूर्ण अनुपालन विचलन तथा 82.5 प्रतिशत नमूने के लंबित सत्यापन को देखते हुए, विभाग ट्रांजिशनल क्रेडिट दावों के सभी मामलों के सत्यापन को प्राथमिकता देने पर

<sup>74</sup> मैसर्स जेट स्टार इण्डस्ट्रीज, जी एस टी आई एन: 05AETPP1360D2ZJ ।

विचार करे ताकि गलत तरीके से प्राप्त की गई ट्रांजिशनल क्रेडिट की वसूली हेतु पर्याप्त कार्रवाई की जा सके। उपयुक्त प्राधिकारी जी एस टी एन पोर्टल में आवश्यक परिवर्तन करने पर भी विचार करे ताकि जी एस टी आर-9 दाखिल करते समय गलत दावा किए गए क्रेडिट का विलोमन केवल डी आर सी-03 के माध्यम से लागू ब्याज के साथ विलोमित धनराशि जमा करने के बाद ही प्रभावित हो।

### 3.6 कर और अर्थदण्ड का अनारोपण

**व्यापारी चार डुप्लीकेट प्रपत्र-सी के सापेक्ष बिक्री पर 12.5 प्रतिशत की अंतर दर से ₹ 6.91 लाख के कर का भुगतान करने हेतु उत्तरदायी था। इसके अतिरिक्त, वह ₹ 22.38 लाख के अर्थदण्ड के भुगतान हेतु भी उत्तरदायी था।**

केन्द्रीय बिक्री कर अधिनियम, 1956 की धारा-8 (4) यह निर्धारित करती है कि पंजीकृत व्यापारियों को अंतर्राज्यीय बिक्री रियायती दर<sup>75</sup> पर कर योग्य होगी जब कि ऐसी बिक्री प्रपत्र-सी में घोषणा द्वारा समर्थित हो। उत्तराखण्ड वैट अधिनियम, 2005 की धारा 58 (1) (XXIX) के अन्तर्गत, यदि व्यापारी मिथ्या घोषणा पत्र या प्रमाणपत्र जारी अथवा प्रस्तुत करता है तो वह अंतर्गस्त वस्तुओं के मूल्य के 40 प्रतिशत से अनधिक या ऐसी वस्तुओं पर आरोपणीय कर का तीन गुना, जो भी अधिक हो, के अर्थदण्ड के भुगतान लिए उत्तरदायी होगा।

उप-आयुक्त (कर निर्धारण)-2, बिक्री कर, विकास नगर के अभिलेखों की जाँच (अगस्त-सितंबर 2020) में पाया गया कि वर्ष 2019-20 के दौरान कर निर्धारण प्राधिकारी ने एक व्यापारी<sup>76</sup> के प्रकरण का कर निर्धारण (जून 2019) किया था, जिसमें निर्धारण वर्ष 2015-16 में व्यापारी द्वारा 35 प्रपत्र-सी के सापेक्ष ₹ 3.70 करोड़ के स्व-निर्मित हीरा काटने वाले प्लास्टिक के तार की केंद्रीय बिक्री की घोषणा की गई थी और ₹ 3.70 लाख (एक प्रतिशत की दर से) कर के रूप में जमा किए थे। लेखापरीक्षा में पाया गया कि व्यापारी द्वारा प्रस्तुत किए गए 35 प्रपत्र-सी में से ₹ 55.25 लाख धनराशि के चार प्रपत्र-सी (एक प्रतिशत की दर से कर को छोड़कर) व्यापारी द्वारा दो बार प्रस्तुत किए गए थे और ऐसे प्रपत्रों का लाभ भी कर निर्धारण प्राधिकारी द्वारा उसे प्रदान किया गया था।

अतः व्यापारी चार डुप्लीकेट प्रपत्र-सी के सापेक्ष बिक्री पर 12.5 प्रतिशत<sup>77</sup> की अंतर दर से ₹ 6.91 लाख<sup>78</sup> के कर भुगतान करने हेतु उत्तरदायी था। इसके अतिरिक्त, वह ₹ 22.38 लाख<sup>79</sup> के अर्थदण्ड का भुगतान करने के लिए भी उत्तरदायी था।

<sup>75</sup> एक प्रतिशत की दर से।

<sup>76</sup> टिन 05007883409।

<sup>77</sup> 13.5 प्रतिशत की दर से, चूंकि स्व-निर्मित हीरा काटने वाले प्लास्टिक तार, उत्तराखण्ड वैट अधिनियम, 2005 की किसी भी अनुसूची से आच्छादित नहीं हैं -1 प्रतिशत (पहले से ही भुगतान किया गया) = 12.5 प्रतिशत।

<sup>78</sup> ₹ 6.91 लाख = ₹ 55.25 लाख x 12.5 प्रतिशत।

<sup>79</sup> ₹ 55.25 लाख x 13.5 प्रतिशत x 3 गुना = ₹ 22.38 लाख या ₹ 55.25 लाख x 40 प्रतिशत = ₹ 22.10 लाख, जो भी अधिक हो।

इसे इंगित किए जाने पर शासन ने तथ्यों को स्वीकार (जनवरी 2022) करते हुए अर्थदण्ड और अवशेष कर के लिए मांग पत्र जारी (दिसंबर 2021) किया।

### 3.7 कर और अर्थदण्ड की वसूली न करने के कारण राजस्व की हानि

**मान्यता प्रमाण पत्र की प्रभावी तिथि से पूर्व के लेन-देन के लिए प्रपत्र-11 में अनाधिकृत घोषणा और उन उत्पादों की बिक्री जो व्यापारी के मान्यता प्रमाण पत्र में सम्मिलित नहीं थे, के परिणामस्वरूप ₹ 3.52 करोड़ के राजस्व और अर्थदण्ड की हानि।**

उत्तराखण्ड वैट अधिनियम, 2005 की धारा 4(2)(बी)(i)(डी) में प्रावधान है कि एक व्यापारी किसी भी अनुसूची में सम्मिलित वस्तुओं के अतिरिक्त अन्य वस्तुओं के संबंध में अपने कर योग्य व्यापार पर 13.5 प्रतिशत की दर से कर का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होगा।

उत्तराखण्ड वैट अधिनियम, 2005 की धारा 63 के अनुसार, इस अधिनियम में कहीं भी इसके विपरीत कुछ भी निहित होने के बावजूद, और धारा 58 के पूर्वाग्रह के बिना, एक व्यक्ति जो इस अधिनियम या उसके अन्तर्गत बनाए गए नियमों के किसी भी प्रावधान के अन्तर्गत निर्धारित एक मिथ्या या गलत प्रमाण पत्र या घोषणा जारी करता है, तो वह ऐसे लेन-देन पर इस धनराशि का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होगा जो इस तरह के लेन-देन पर कर के रूप में देय होती यदि ऐसा प्रमाण पत्र या घोषणा जारी नहीं की जाती। इसके अतिरिक्त, अधिनियम की धारा 58(1)(XXIX) के अनुसार, एक व्यक्ति जो मिथ्या या गलत घोषणा पत्र या प्रमाण पत्र जारी अथवा प्रस्तुत करता है तो वह इस अधिनियम के किसी भी प्रावधान के अन्तर्गत, अंतर्ग्रस्त वस्तु के मूल्य के 40 प्रतिशत से अनधिक या ऐसे वस्तु पर आरोपणीय कर के तीन गुना जो भी अधिक हो, का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी है।

सहायक आयुक्त (कर निर्धारण), सेक्टर-2, राज्य कर, हरिद्वार के अभिलेखों की नमूना जाँच में पाया गया कि निर्धारण वर्ष 2011-12 और 2012-13 के लिए निर्धारण प्राधिकारी द्वारा एक व्यापारी<sup>80</sup> के प्रकरण का कर निर्धारण करते समय डी वी डी पार्ट्स के उत्पाद, जोकि व्यापारी के मान्यता प्रमाण पत्र<sup>81</sup> में सम्मिलित नहीं थे और प्रपत्र-11<sup>82</sup> के बिना ₹ 0.33 करोड़ की धनराशि के इंडक्शन पार्ट्स उत्पाद की खरीद जिसे किसी भी अनुसूची में वर्गीकृत नहीं किया गया था, की बिक्री पर 13.5 प्रतिशत के बजाय दो प्रतिशत की दर से कर अधिरोपित (निर्धारण वर्ष 2011-12 के लिए ₹ 5.39 करोड़ और निर्धारण वर्ष 2012-13 के लिए ₹ 0.79 करोड़) किया गया। इसके

<sup>80</sup> टिन 05008383444 ।

<sup>81</sup> किसी व्यापारी को जारी किया गया प्रमाण पत्र जिसमें रियायती दरों पर खरीदे जा सकने वाली वस्तुओं का विवरण दिया जाता है {उत्तराखण्ड वैट अधिनियम, 2005 की धारा 4 (7) (बी)}।

<sup>82</sup> वाणिज्यिक कर विभाग में पंजीकृत विनिर्माताओं को प्रपत्र-11 के सापेक्ष रियायती दर पर कच्चा माल आदि क्रय करने पर धारा 4(7) के अन्तर्गत विशेष लाभ दिया जाता है।



परिणामस्वरूप, 11.5 प्रतिशत की अंतर दर से ₹ 0.75 करोड़<sup>83</sup> की धनराशि का कर न्यूनारोपण हुआ। इसके अतिरिक्त, ₹ 2.64 करोड़<sup>84</sup> का अर्थदण्ड भी आरोपणीय था।

इसी प्रकार, एक अन्य व्यापारी<sup>85</sup> पर निर्धारण वर्ष 2013-14 में ₹ 0.24 करोड़ की केबल-ट्रे, पैनल और हाइड्रेंट मशीन की खरीद हेतु पिछले वर्षों के लिए जारी प्रपत्र-11 पर दो प्रतिशत की दर से कर अधिरोपित किया गया था। व्यापारी दिनांक 07-06-2013 से मात्र केबल-ट्रे के क्रय के लिए अधिकृत था तथा पैनल और हाइड्रेंट मशीन व्यापारी के मान्यता प्रमाण में सम्मिलित नहीं थे। अतः, 11.5 प्रतिशत की अंतर दर से ₹ 0.03 करोड़<sup>86</sup> के कर के अतिरिक्त ₹ 0.10 करोड़<sup>87</sup> का अर्थदण्ड भी आरोपणीय था।

इसे इंगित किए जाने पर, शासन ने अवगत (जनवरी 2022) कराया कि व्यापारियों पर 3.52 करोड़<sup>88</sup> का कर और अर्थदण्ड अधिरोपित (अप्रैल/मई 2018) किया गया था जिसे व्यापारियों द्वारा 60 दिनों के भीतर जमा किया जाना था। व्यापारियों द्वारा कर और अर्थदण्ड जमा नहीं किए जाने के कारण, विभाग ने क्रमशः जनवरी 2019 और सितंबर 2020 में वसूली प्रमाण पत्र जारी किया। वसूली लंबित थी (सितंबर 2022)।

### 3.8 तीन वर्षों के पश्चात भी अर्थदण्ड वसूलने में विफलता

**तीन वर्षों से अधिक समय व्यतीत होने के पश्चात भी, विभाग व्यापारी से ₹ 31.86 लाख का अर्थदण्ड वसूल करने में विफल रहा।**

केंद्रीय बिक्री कर अधिनियम, 1956 (अधिनियम) की धारा 10-ए सपठित धारा 10-बी के अनुसार, यदि कोई व्यक्ति पंजीकृत व्यापारी होते हुए, किसी वर्ग की वस्तु क्रय करते समय मिथ्या तथ्य प्रस्तुत करता है कि ऐसे वर्ग की वस्तु उसके पंजीकृत प्रमाण पत्र के अन्तर्गत है, तो वह प्राधिकारी जिसने इस अधिनियम के अन्तर्गत पंजीकरण का प्रमाण पत्र यथास्थिति उसे अनुदत्त किया था या अनुदत्त करने के लिए सक्षम है, सुनवाई का युक्ति-युक्त अवसर देने के पश्चात, लिखित आदेश द्वारा अर्थदण्ड के रूप में उतनी धनराशि अधिरोपित कर सकेगा जो उस कर के डेढ़ गुना से अधिक न हो, जो उस वस्तु की उसको की गई बिक्री के बाबत धारा 8 की उप-धारा (2) के अधीन अधिरोपित की जा सकती थी, यदि बिक्री उस उप-धारा के अन्तर्गत आने वाली बिक्री होती।

<sup>83</sup> (₹ 5.39 करोड़ + ₹ 0.79 करोड़ + ₹ 0.33 करोड़) = ₹ 6.51 करोड़ × 11.5 प्रतिशत = ₹ 0.75 करोड़।

<sup>84</sup> ₹ 6.51 करोड़ × 13.5 प्रतिशत × 3 = ₹ 2.64 करोड़।

<sup>85</sup> टिन 05010966263 ।

<sup>86</sup> ₹ 0.24 करोड़ × 11.5 प्रतिशत = ₹ 0.03 करोड़।

<sup>87</sup> ₹ 0.24 करोड़ × 13.5 प्रतिशत × 3 = ₹ 0.10 करोड़।

<sup>88</sup> {टिन 05008383444 : ₹ 0.75 करोड़ (कर) + ₹ 2.64 करोड़ (अर्थदण्ड) + {टिन 05010966263: ₹ 0.03 करोड़ (कर) + ₹ 0.10 करोड़ (अर्थदण्ड)} = ₹ 3.52 करोड़।

सहायक आयुक्त (कर निर्धारण), सेक्टर-2, राज्य कर, हरिद्वार के अभिलेखों की जाँच (दिसंबर 2017) में पाया गया कि निर्धारण वर्ष 2011-12 के दौरान डी वी डी पार्टस के क्रय और निर्धारण वर्ष 2012-13 के दौरान डी वी डी पार्टस/हीट सिंक के क्रय के लिए व्यापारी<sup>89</sup> द्वारा क्रमशः ₹ 1.36 करोड़ और ₹ 28.95 लाख के प्रपत्र-सी जारी किए गए थे। केन्द्रीय पंजीकरण प्रमाण पत्र के अनुसार, व्यापारी द्वारा मल्टीमीडिया प्लेयर का विनिर्माण सितंबर, 2012 में शुरू किया गया था, जबकि डी वी डी पार्टस का क्रय 01-04-2009 से 27-08-2012 की अवधि के दौरान अर्थात् मल्टीमीडिया प्लेयर के विनिर्माण की प्रारम्भ की तिथि से पूर्व किया गया था। इसके अतिरिक्त, हीट सिंक व्यापारी के केन्द्रीय पंजीकरण प्रमाण पत्र के अन्तर्गत सम्मिलित नहीं था। इसलिए, व्यापारी ₹ 33.42 लाख<sup>90</sup> का अर्थदण्ड देने के लिए उत्तरदायी था क्योंकि वह सितंबर 2012 से पूर्व प्रपत्र-सी का लाभ उठाने के लिए अधिकृत नहीं था।

लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किए जाने पर, शासन द्वारा अवगत कराया (जनवरी 2022) गया कि केन्द्रीय बिक्री कर अधिनियम की धारा 10 (बी) के अन्तर्गत निर्धारण वर्ष 2011-12 के लिए व्यापारी पर ₹ 27.56 लाख का अर्थदण्ड अधिरोपित (मई 2018) किया गया था और ₹ 1.56 लाख की अतिरिक्त जमा धनराशि को समायोजित करते हुए ₹ 26.00 लाख की मांग की गई थी। इसी प्रकार, निर्धारण वर्ष 2012-13 के लिए व्यापारी पर ₹ 5.86 लाख का अर्थदण्ड (मई 2018) अधिरोपित किया गया था। शासन द्वारा अग्रेत्तर सूचित (जनवरी 2022) किया गया कि व्यापारी के विरुद्ध वसूली प्रमाण पत्र जनवरी 2019 में निर्गत किया गया।

अतः, विभाग व्यापारी से तीन वर्ष से अधिक का समय व्यतीत हो जाने के बाद भी ₹ 31.86 लाख<sup>91</sup> के अर्थदण्ड की वसूली करने में विफल रहा।

### **3.9 टी डी एस को विलंब से जमा करने पर अर्थदण्ड का अनारोपण**

**टी डी एस को राजकीय कोषागार में विलंब से जमा करने पर ₹ 32.74 लाख का अर्थदण्ड आरोपित नहीं किया गया।**

उत्तराखण्ड वैट अधिनियम, 2005 की धारा 35(4) में प्रावधान है कि प्रत्येक व्यक्ति, जो कार्य अनुबंध के अनुसरण में भुगतान करने के लिए जिम्मेदार है, इस तरह के भुगतान करते समय स्रोत पर कर कटौती (टी डी एस) की धनराशि की कटौती करेगा और उसे उस माह, जिसमें कटौती की गयी, के आगामी माह की समाप्ति से पूर्व राजकीय कोषागार में जमा करेगा।

इसके अतिरिक्त, अधिनियम की धारा 35 (8) के अनुसार, यदि कोई ऐसा व्यक्ति कटौती करने में विफल रहता है या कटौती करने के पश्चात इस प्रकार काटी गयी धनराशि को उप-धारा (4) के

<sup>89</sup> टिन-05008383444 ।

<sup>90</sup> ₹ 33.42 लाख = निर्धारण वर्ष 2011-12: ₹ 1,36,07,822 × 13.5 प्रतिशत × 1.5 = ₹ 27,55,584 (अर्थात् ₹ 27.56 लाख) + निर्धारण वर्ष 2012-13: ₹ 28,94,524 × 13.5 प्रतिशत × 1.5 = ₹ 5,86,141 ( अर्थात् ₹ 5.86 लाख) ।

<sup>91</sup> ₹ 31.86 लाख = ₹ 33.42 लाख - ₹ 1.56 लाख (पूर्व से समायोजित)।

अपेक्षानुसार जमा करने में विफल रहता है, तो निर्धारण प्राधिकारी ऐसे व्यक्ति को सुनवाई का अवसर देने के पश्चात, लिखित आदेश द्वारा, यह निर्देश दे सकता है कि ऐसा व्यक्ति अर्थदण्ड के रूप में, इस धारा के अधीन कटौती योग्य किन्तु नहीं काटी गयी, और यदि काटी गयी तो, राजकोष में जमा न की गयी, धनराशि के दोगुने से अनधिक धनराशि का भुगतान करेगा।

उपायुक्त (कर निर्धारण)-2, राज्य कर, काशीपुर के अभिलेखों की जाँच (अगस्त 2018) में पाया गया कि एक ठेकेदार<sup>92</sup> ने निर्धारण वर्ष 2013-14 में एक उप-ठेकेदार को ₹ 2.73 करोड़ के भुगतान पर ₹ 0.16 करोड़ की धनराशि टी डी एस (परिशिष्ट-3.9.1) के रूप में काटी थी। ठेकेदार द्वारा काटे गए टी डी एस को राजकीय कोषागार में विलंब से जमा किया गया। तथापि, निर्धारण प्राधिकारी ने दिसंबर 2017 में निर्धारण आदेश पारित करते समय, ठेकेदार पर टी डी एस विलंब से जमा करने के लिए अर्थदण्ड अधिरोपित नहीं किया। अतः उपर्युक्त नियम के अनुसार ठेकेदार पर टी डी एस की धनराशि का दो गुना, ₹ 32.74 लाख<sup>93</sup> का अर्थदण्ड अधिरोपित किया जाना था।

इसे इंगित किए जाने पर, शासन द्वारा अवगत कराया (जनवरी 2022) गया कि ठेकेदार पर ₹ 32.74 लाख का अर्थदण्ड अधिरोपित (दिसंबर 2019) किया गया। यह भी अवगत कराया गया कि टी डी एस की विलंबित जमा धनराशि के लिए ब्याज को विभाग द्वारा ठेकेदार की अग्रेषित धनराशि से समायोजित किया गया। वसूली प्रमाण पत्र जारी (अक्टूबर 2020) किया गया है। तथापि, अर्थदण्ड की वसूली प्रतीक्षित (सितंबर 2022) थी।

### 3.10 कर का न्यूनारोपण

**कर की त्रुटिपूर्ण दर लागू किए जाने के परिणामस्वरूप ₹ 21.92 लाख के राजस्व और ₹ 21.35 लाख के ब्याज की हानि।**

उत्तराखण्ड वैट अधिनियम, 2005 की धारा 4(2)(बी)(i)(डी) में प्रावधान है कि एक व्यापारी किसी भी अनुसूची में सम्मिलित वस्तुओं के अतिरिक्त अन्य वस्तुओं के संबंध में 13.5 प्रतिशत की दर से अपने कर योग्य व्यापार पर कर का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होगा। अधिनियम की धारा 34 (4) के अनुसार, स्वीकार्य रूप से देय कर को निर्धारित समय के भीतर जमा किया जाएगा, जिसमें विफल रहने पर 15 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से साधारण ब्याज देय होगा और अदत्त धनराशि पर विहित अंतिम तिथि के तत्काल बाद से ऐसी धनराशि के भुगतान की तिथि तक देय होगा। इसके अतिरिक्त, अधिनियम की धारा 41 (8) के अनुसार, कर का भुगतान न करने या विलम्ब से भुगतान के कारण आरोपणीय ब्याज, कर की धनराशि से अधिक नहीं होगा, जिस पर ऐसा ब्याज लगाया जाता है।

<sup>92</sup> टिन- 05011220306 ।

<sup>93</sup> ₹ 16,37,115 × 2 = ₹ 32,74,230 अर्थात्, ₹ 0.33 करोड़।

सहायक आयुक्त (कर निर्धारण), सेक्टर-2, राज्य कर, रुद्रपुर के अभिलेखों की जाँच (फरवरी 2019) में लेखापरीक्षा द्वारा पाया गया कि वर्ष 2013-14 और 2014-15 में एक व्यापारी<sup>94</sup> द्वारा कर का स्व-मूल्यांकन किया गया था। व्यापारी द्वारा प्रस्तुत किए गए अभिलेखों के अनुसार, रेत और बजरी की कुल बिक्री ₹ 2.10 करोड़ (वर्ष 2013-14 में ₹ 1.44 करोड़ और वर्ष 2014-15 में ₹ 0.66 करोड़) घोषित की गई थी, जिस पर पाँच प्रतिशत की दर से कर का भुगतान किया गया था। कर निर्धारण पत्रावली के साथ संलग्न क्रय सूची के अवलोकन में पाया गया कि रेत और बजरी को स्टोन क्रशरों से क्रय किया गया था। इस प्रकार, स्टोन क्रशर से क्रय किए गए रेत और बजरी पर 13.5 प्रतिशत की दर से कर लगाया जाना था क्योंकि व्यापारी द्वारा क्रय किए गए रेत और बजरी "नदी रेत और नदी बजरी" नहीं थी (जैसा कि अनुसूची II-बी में वर्गीकृत है) क्योंकि इसे स्टोन क्रशर द्वारा परिष्कृत किया गया था। लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किये गये तथ्यों को निर्धारण प्राधिकारी द्वारा कर निर्धारण आदेश में उल्लेखित करते हुए पुष्टि की गयी। अतः व्यापारी पर 8.5 प्रतिशत की अंतर दर से ₹ 17.87 लाख<sup>95</sup> का कर आरोपणीय था। नियमानुसार, ₹ 17.87 लाख<sup>96</sup> के कम अधिरोपित कर पर क्रमशः अक्टूबर 2013 एवं अक्टूबर 2014 से व्यापारी द्वारा 15 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से ब्याज भी देय था।

उक्त को इंगित किये जाने पर, शासन द्वारा तथ्यों को स्वीकार (जनवरी 2022) करते हुए अवगत कराया कि विभाग ने प्रकरण का पुनः कर निर्धारण (सितंबर 2020) किया और स्टोन क्रशर से खरीदी गई रेत और बजरी पर 13.5 प्रतिशत की दर से कर अधिरोपित किया गया। कर निर्धारण अधिकारी द्वारा कुल ₹ 21.92 लाख<sup>97</sup> (वर्ष 2013-14 के लिए ₹ 15.39 लाख और वर्ष 2014-15 के लिए ₹ 6.53 लाख) और ₹ 21.35 लाख<sup>98</sup> के ब्याज की मांग (सितंबर 2020) की गयी।

### 3.11 मिथ्या 'प्रपत्र-सी' के उपयोग पर अनियमित कर छूट

एक व्यापारी द्वारा लौह और इस्पात की अंतर्राज्यीय बिक्री के लिए कर की रियायती दर पर मिथ्या घोषणा की गई, जिसके परिणामस्वरूप ₹ 11.89 लाख के कर और ₹ 11.89 लाख के ब्याज का न्यूनारोपण हुआ। इसके अतिरिक्त, ₹ 1.58 करोड़ का अर्थदण्ड भी आरोपणीय था।

केन्द्रीय बिक्री कर अधिनियम, 1956 की धारा-8 (4) यह निर्धारित करती है कि पंजीकृत व्यापारियों को अंतर्राज्यीय बिक्री रियायती दर पर कर योग्य होती है, जब ऐसी बिक्री प्रपत्र-सी में घोषणा द्वारा

<sup>94</sup> मैसर्स श्री ओम सेल्स (टिन-05007794557)।

<sup>95</sup> ₹ 2,10,24,649 x 8.5 प्रतिशत = ₹ 17,87,095 अर्थात् ₹ 17.87 लाख।

<sup>96</sup> ₹ 12,25,817 + ₹ 5,61,278 ।

<sup>97</sup> उपरोक्त कर के न्यूनारोपण ₹ 17.87 लाख सहित।

<sup>98</sup> ₹ 15,39,275 की धनराशि पर 01.10.2013 से 31.10.2020 की अवधि (7 वर्ष, एक माह) के लिए ब्याज ₹ 16,35,480 है। (₹ 15,39,275 × 15 × 7 वर्ष/100 + ₹ 15,39,275 × 15 × 1 माह/1200) लेकिन उत्तराखण्ड वैट अधिनियम, 2005 की धारा 41 (8) के अनुसार, ब्याज ₹ 15,39,275 तक सीमित होगा। ₹ 6,52,922 की धनराशि पर 01.10.2014 से 31.10.2020 की अवधि (6 वर्ष, एक माह) के लिए ब्याज ₹ 5,95,791 (₹ 6,52,922 × 15 × 6 वर्ष/100 + ₹ 15,39,275 × 15 × 1 माह/1200) है। कुल ब्याज = ₹ 21,35,066।

समर्थित हो। यह प्रपत्र, कर अधिकारियों द्वारा वस्तुओं की अंतर्राज्यीय खरीद के क्रेता को जारी किए जाते हैं। उत्तराखण्ड वैट अधिनियम, 2005 की धारा-58 (1) (XXIX) में प्रावधानित है कि यदि व्यापारी एक मिथ्या प्रमाण पत्र या घोषणा पत्र जारी या प्रस्तुत करता है तो वह, अंतर्गस्त वस्तुओं के मूल्य के 40 प्रतिशत से अनधिक या ऐसी वस्तुओं पर आरोपणीय कर का तीन गुना, जो भी अधिक हो, के अर्थदण्ड के भुगतान के लिए उत्तरदायी होगा। इसके अतिरिक्त, इस अधिनियम की धारा-34(4) में यह भी प्रावधान है कि स्वीकार्य रूप से देय कर निर्धारित समय के भीतर जमा किया जाएगा, जिसमें विफल होने पर 15 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से साधारण ब्याज देय होगा और निर्धारित अंतिम तिथि के ठीक अगली तिथि से ऐसी धनराशि के भुगतान की तिथि तक अदत्त धनराशि पर देय होगा। इसके अतिरिक्त, आयुक्त, राज्य कर विभाग, उत्तराखण्ड द्वारा संबंधित कार्यालयों के संयुक्त आयुक्त (कार्यकारी) के अन्तर्गत सत्यापन प्रकोष्ठ के माध्यम से अंतर्राज्यीय लेन-देन के सम्बन्ध में ₹ पाँच लाख और उससे अधिक के सभी घोषणा प्रपत्रों को सत्यापित करने हेतु सभी क्षेत्रीय कार्यालयों को निर्देशित किया (सितंबर 2014) गया था।

उप-आयुक्त (कर निर्धारण)-3, राज्य कर, हरिद्वार के अभिलेखों की लेखापरीक्षा जाँच (जून 2018) में पाया गया कि एक व्यापारी<sup>99</sup> (जनवरी 2014 में कर निर्धारण के साथ जुलाई 2017 में पुनरीक्षित कर निर्धारण) ने लोहे और स्टील की बिक्री के लिए ₹ 3.96 करोड़ की धनराशि के दो प्रपत्र-‘सी’ प्रस्तुत किए थे। प्रपत्र-‘सी’<sup>100</sup> उत्तर प्रदेश (उ प्र) और दिल्ली के क्रेताओं द्वारा व्यापारी को दिए जाने की सूचना दी गई थी। लेखापरीक्षा द्वारा ऑनलाइन जाँच के माध्यम से दोनों प्रपत्र-सी के क्रॉस सत्यापन में पाया गया कि उक्त प्रपत्र इन राज्यों के कर प्राधिकारियों द्वारा जारी ही नहीं किए गए थे। इसके अतिरिक्त, दिल्ली के जारीकर्ता अधिकारियों ने सूचित किया कि प्रपत्र उनके द्वारा जारी नहीं किया गया था और न ही क्रेता ने अपने कर रिटर्न में इस खरीद को दिखाया है। उ प्र के कर अधिकारियों ने भी प्रपत्र-सी जारी नहीं किए जाने की पुष्टि की है। अतः, यह प्रपत्र मिथ्या थे। मिथ्या घोषणा के कारण, व्यापारी ₹ 11.89 लाख<sup>101</sup> का कर, ₹ 11.89 लाख<sup>102</sup> का ब्याज और ₹ 1.58 करोड़<sup>103</sup> के अर्थदण्ड के भुगतान के लिए उत्तरदायी था।

<sup>99</sup> मैसर्स राणा ग्लोबल लिमिटेड, हरिद्वार (टिन - 05008650582) ।

<sup>100</sup> मैसर्स देवांश इंटरप्राइसेस, उत्तर प्रदेश, टिन-09672805229 (प्रपत्र-सी संख्या - 3594876, उत्तर प्रदेश) - ₹ 2.80 करोड़; मैसर्स सागर शैली सेल्स, नई दिल्ली, टिन -07420380384 (प्रपत्र-सी संख्या - 17 पी -018212, दिल्ली) - ₹ 1.16 करोड़

<sup>101</sup> अंतर कर @ 3 प्रतिशत (4 प्रतिशत में से व्यापारी द्वारा पूर्व में 1 प्रतिशत का भुगतान किया गया था) x ₹ 396.18 लाख = ₹ 11.89 लाख।

<sup>102</sup> ₹ 18.43 लाख (₹ 11.89 लाख x 15 प्रतिशत प्रति वर्ष x 124 माह/12x100) 01.10.2010 से 31.01.2021 तक की अवधि के लिए। उत्तराखण्ड वैट अधिनियम 2005 की धारा 41 (8) के अनुसार, ब्याज देय कर की धनराशि तक सीमित कर दिया गया है अर्थात् ₹ 11.89 लाख।

<sup>103</sup> वस्तुओं के मूल्य के 40 प्रतिशत (अर्थात् ₹ 396.18 लाख x 40 प्रतिशत) = ₹ 158.47 लाख (₹ 1.58 करोड़) या आरोपणीय कर का तीन गुना (अर्थात् ₹ 396.18 लाख x 4 प्रतिशत x 3) = ₹ 47.54 लाख, जो भी अधिक हो।

संयुक्त आयुक्त (कार्यकारी), राज्य कर, हरिद्वार के अधीन सत्यापन प्रकोष्ठ ने आयुक्त, राज्य कर विभाग, उत्तराखण्ड के निर्देशों का उल्लंघन करते हुए जारी करने वाले राज्यों से घोषणा प्रपत्र-सी का क्रॉस-सत्यापन नहीं किया। सत्यापन प्रकोष्ठ द्वारा यह कार्रवाई तब की गई जब इस प्रकरण को लेखापरीक्षा द्वारा उजागर किया गया था।

इंगित किए जाने पर, शासन ने (जनवरी, 2022) दोनों प्रपत्र-सी की असत्यता को स्वीकार करते हुए अवगत कराया कि देय कर और अर्थदण्ड के रूप में क्रमशः ₹ 11.14 लाख (जमा के समायोजन के पश्चात्) और ₹ 1.58 करोड़ की मांग (फरवरी 2019 तथा सितंबर 2020) की गई थी।